खण्ड-259, अंक-10
शुक्रवार, 12 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(3 सितम्बर, 1965 ई0)

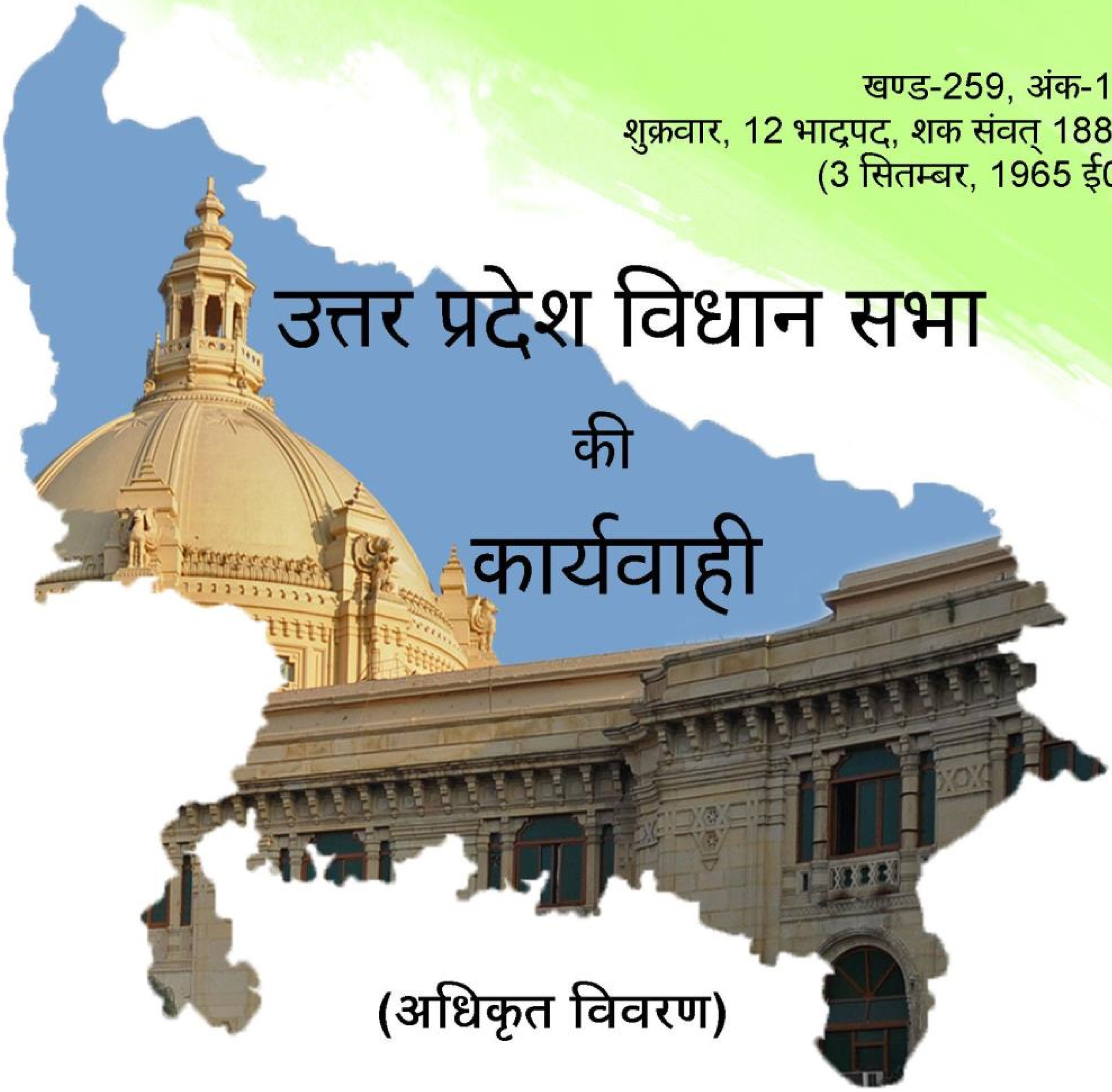

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	९८७–९९१
प्रश्नोत्तर	९९१–१०२४
उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ (श्री राज्यपाल की अनुमति की घोषणा) ..	१०२५
श्री रामचन्द्र विकल द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ..	१०२५–१०३०
जब्त किये गये गल्ले का उपयोग न करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१०३०–१०३१
कानपुर स्थित म्योर मिल तथा महेश्वरी जूट मिल के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	१०३१–१०३८
चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाले कुछ पुलों का एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को न भेजने के फलस्वरूप धन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	१०३८–१०४२
लखनऊ में मिलाद शरीफ के अवसर पर पुलिस द्वारा नागरिकों को पीटे जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	१०४२–१०४७
लोक लेखा समिति के लिये विधान परिषद् के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	१०४७–१०४८
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	१०४८
१९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद	१०४८–१०७३
१९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन (स्वीकृत)	१०७३
अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन (स्वीकृत) ..	१०७३–१०७४
अनुदान संख्या १४—पुलिस (स्वीकृत)	१०७४
अनुदान संख्या १७—शिक्षा (स्वीकृत)	१०७४–१०७५
अनुदान संख्या १८—चिकित्सा (स्वीकृत)	१०७५
अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य (स्वीकृत)	१०७५–१०७६
अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास (स्वीकृत) ..	१०७६
अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन (स्वीकृत) ..	१०७६
अनुदान संख्या २३—सहकारिता (स्वीकृत)	१०७७
अनुदान संख्या २४—उद्योग (स्वीकृत)	१०७७

विषय	पृष्ठ-संख्या
अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय (स्वीकृत)	१०७८
अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन (स्वीकृत)	१०७८
अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय (स्वीकृत)	१०७८–१०७९
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई निर्माण-कार्य (स्वीकृत)	१०७९
अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार	१०७९–१०८०
अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	१०८०
अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें (स्वीकृत)	१०८०–१०८१
अनुदान संख्या ४४—वन (स्वीकृत)	१०८१
अनुदान संख्या ४५—अकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	१०८१
अनुदान संख्या ४८—औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत)	१०८२
अनुदान संख्या ५१—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय (स्वीकृत) ..	१०८२
अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन (स्वीकृत)	१०८३
अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं (स्वीकृत) ..	१०८३
अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (स्वीकृत) ..	१०८३–१०८४
उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५ (विचारोपरान्त पारित)	१०८४–१०९३
आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	१०९४
नस्थियां	१०९५–११०३

विधान परिषद सचिवालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३८२

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री
(उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री

नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषण शरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त माथर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री

यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री

शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—वित्त मंत्री श्री कैलाशप्रकाश, गृह मंत्री श्री हरगोविन्दसिंह तथा गृह उप-मंत्री श्री शिवप्रसाद गुप्त, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

स्याना क्षेत्र के स्कूलों का परीक्षाफल रोका जाना

*१—श्री मुमताजमुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में स्थित शिक्षा संस्थाओं के कितने-कितने विद्यार्थियों ने वर्ष १९६५ में होने वाली स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में भाग लिया तथा उनमें से कितने-कितने छात्रों के परीक्षाफल नकल करने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने के कारण रोक दिये गये ?

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

सूचना संलग्न तालिका में प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०९५ पर)

*२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार जब कि शिक्षा संस्थाओं में दाखिले का अन्तिम समय बीता जा रहा है, उक्त छात्रों का परीक्षाफल शीघ्रातिशीघ्र घोषित करने की तुरन्त व्यवस्था करेगी तथा उक्त छात्रों को जिन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया जायगा, उनके दाखिले की क्या और कैसी व्यवस्था होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा इन छात्रों के मामले की शीघ्र जांच करके परीक्षाफल घोषित किये जान की दिशा में कार्यवाही हो रही है । आशा है कार्यवाही शीघ्र पूरी हो जायेगी । जहां तक बाद म उत्तीर्ण घोषित छात्रों के प्रवेश का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हाई स्कूल पास छात्रों के लिये उपयुक्त नियम हैं जिनके अनुसार परीक्षाफल घोषित होने के बाद श्री उनका दाखिला हो जाता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन तीन शिक्षा संस्थाओं की ओर दिलाना चाहता हूं जो मेरे क्षेत्र की हैं । एक आदर्श शिक्षा सदन हायर सेकेन्डरी स्कूल नरसेना, दूसरी हायर सेकेन्डरी स्कूल, बुलकाना और तीसरी एस० एल० इन्टर कालेज खानपुर की हैं जिनमें क्रमशः १४१ विद्यार्थी हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे और १२४ का रिजल्ट रोक लिया गया । दूसरी में ४७ विद्यार्थी बैठे और ४४ का रिजल्ट रोका गया और तीसरी में ७६ विद्यार्थी बैठे उनमें ६७ विद्यार्थियों का रिजल्ट रोक लिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब सरकारी कर्मचारी इन्वेजिलेटर थे तो किस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद में विद्यार्थियों ने नकल की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीय सदस्य को ज्ञात है कि ये परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा परिषद् के द्वारा होती हैं तब इन विद्यार्थियों की कापियां परीक्षकों के पास जाती हैं । वे देखते हैं और इस बात का अनुमान लगाते हैं कि इसमें नकल तो नहीं हुई है । अगर उनको इस बात की आशंका होती है कि नकल हुई है तो फिर वे बोर्ड को लिखते हैं और बोर्ड उनके परीक्षाफल को रोक लेता है । फिर वह जांच करता है । जांच करने के पश्चात् ही इस तरह का इमकान होता है जैसा कि माननीय सदस्य का प्रश्न है । लकिन अभी इसमें जांच हो रही है कि किस तरह से यह मास कापिंग हुई । यह सब कैसे हुआ इसकी जांच के बाद ही पता लग सकता है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

जब बहुत बड़ी तादाद में इन शिक्षा संस्थाओं का ९७, ९८ फीसदी रिजल्ट रोक लिया गया है । तो क्या म माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि जब वाकई इन विद्यार्थियों ने नकल की तो जो सरकारी कर्मचारी वहां पर इन्वेजीलेशन कर रहे थे और जिन्होंने इन लड़कों को मौका दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी जांच हो रही है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

आप यह खयाल करें कि इतनी बड़ी तादाद में रिजल्ट रोककर उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर सरकारी कर्मचारी इन्वेजीलेशन कर रहे हैं तो उन्होंने क्यों मौका दिया ?

श्री कैलाश प्रकाश—

५, ६ लाख विद्यार्थी परीक्षा में बैठे उनमें कुछ तो ऐसे दोषी पाये ही जा सकते हैं । मैं माननीय सदस्य को यही परामर्श दे सकता हूं कि वे अपने क्षेत्र में नैतिकता का अधिक प्रचार

करे जिससे लड़के मास कापिंग न करें । जैसा मैंने कहा जांच-पड़ताल के बाद ही सब बातों का पता लगेगा ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मार्च में इम्तहान होते हैं और सितम्बर बीत गया । तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जांच-पड़ताल और निर्णय कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन का इससे कोई सीधा संबंध नहीं है । यह सब कार्य परिषद् में होता है और इस बात की चेष्टा की जाती है कि शीघ्रातिशीघ्र परीक्षाफल घोषित किया जाय । माननीय सदस्य भी जानते हैं कि अगर किसी विभाग के खिलाफ कार्यवाही करनी होती है तो वह सब कानूनी ढंग से होती है । अगर किसी विद्यालय से रिपोर्ट आती है कि वहां मास कापिंग हुई है तो परिषद् जांच नियुक्त करती है, जांच के बाद अगर कुछ बातों पर पता लगता है तो आरोप लगाये जाते हैं । और यह सब काम उच्च न्यायालय के फैसलों के अनुसार किया जाता है । इसमें कितना समय लगता है यह इंडिविजुअल केसेज पर निर्भर करता है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि इन विद्यालयों में करीब २७२ लड़के पढ़ते हैं और २३२ लड़के कापी करते हुए पाये गये हैं, और तीन महीने गुजर गये, कुल तीन या चार महीनों का सेशन रह गया है, इसका फैसला जल्दी करायेंगे ताकि लड़कों को कुछ सुविधा मिल सकें ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शासन का इससे सीधा संबंध नहीं है । हम परिषद् को लिखते हैं और परिषद् भी हम को लिखती है । वह चेष्टा कर रही है कि जल्दी मामलों का फैसला हो जाय । वैसे उत्तर में यह आशा भी प्रदर्शित की गयी थी कि अगस्त तक हम जांच पूरी करा लेंगे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

इस परीक्षा में मंत्री जी के अनुसार ५ लाख लड़के बैठते हैं और उन से करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष वसूल किया जाता है, लेकिन बदले में उनको साधारण चीजें ही दी जाती हैं । नतीजा यह है कि इससे एक वाणिज्य संस्थान का रूप ले लिया है जहां भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है । तो क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि इस एक बोर्ड को तोड़ कर रीजनल परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये एक समिति नियुक्त की गई है उसकी रिपोर्ट की अपेक्षा है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या शासन की ओर से यह प्रयत्न किया गया है कि परिषद् की ओर से यह आश्वासन मिल जाय कि जिन छात्रों पर कोई दोष नहीं पाया जायगा उनको शीघ्रातिशीघ्र दाखिला मिल जायगा ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह तो उत्तर में निवेदन कर दिया कि नियमों में उनको दाखिला मिल जाता है और उन की उपस्थिति भी उसी हिसाब से आंकी जाती है ।

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह सब किसी शिकायत के पहुंचने पर हुआ ? अगर कोई शिकायत पहुंची तो क्या जांच हुई और अगर शिकायत नहीं हुई तो रिजल्ट विदहेल्ड क्यों हुआ और किस कायदे के अनुसार ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस संबंध में पहले ही निवेदन कर चुका हूं ।

(श्री हरीश कुमार गंगवार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामचन्द्र निकल—

व्यवस्था का प्रश्न है । जो माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए उनका नाम पुकार कर आप उनको खड़ा करते हैं । हम कई मर्तबा खड़े हुए, हमारे जिले से इस प्रश्न का वास्ता है ।

श्री अध्यक्ष—

वह ५ मर्तबा खड़े हुए । एक मर्तबा कांग्रेस का, दूसरी बार अपोजीशन का इस तरह से नाम पुकारे जाते हैं । आपकी बात समझ में नहीं आती ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

क्वेश्चन आवर में कांग्रेस और अपोजीशन का प्रश्न नहीं होता । जो पहले खड़ा हो उसी को मौका मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न पैदा होता है या नहीं, यह मैं तय करता हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह देखते हुए कि जिन जगहों पर कोई रिपोर्ट नीचे से नहीं है कि नकल होती है और एग्जामिनर्स अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि सामूहिक रूप से नकल हुई उससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होती है, क्या मंत्री जी इस प्रकार नियम को परिवर्तित करने की कृपा करेंगे कि केवल नीचे से जब शिकायत जाय या जांच कराने की प्रार्थना की जाय तब इस प्रकार की जांच होगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इस संबंध में नियमों का परिवर्तन परिषद् के द्वारा होता है ।

श्री राजनारायण मिश्र—

इस केस में जो कि मास कापींग का केस है, ट्रिब्युनल अप्वाइन्ट किया जा चुका है, उन छात्रों को नोटिस दिये जा चुके हैं अपीयर होने के और परीक्षा ली जा चुकी है और यह सब २२–२३ दिन पूर्व हो चुका है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला । तो जिन छात्रों का जीवन खराब हो गया, अगर रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या सरकार उनक लिये उत्तरदायी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ उन्हें कहना था वह उन्होंने कह दिया ।

श्री मुकन्दी लाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

उन छात्रों को जिन पर नकल करने का अपराध लगाया गया है अभी कोई सजा दी गयी या नहीं ? मैं सजेस्ट करता हूं कि उनको साल भर के लिये इम्तहान से अलग कर दिया जाय । निरीक्षक डर के मारे उनको नहीं पकड़ते हैं क्या इसलिये नकल हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

विभिन्न मामलों में विभिन्न कारण हो सकते हैं ।

श्री मुमताजमुहम्मद खां---

जिन छात्रों के परीक्षाफल रोके गये हैं उनके केस कब तक तय हो जायेंगे और जो मंत्री जी ने कहा कि जल्दी ही तय हो जायंगे, तो उस जल्दी की कौन सी सीमा है ? क्योंकि उसमें ज्यादातर बेगुनाह....

श्री अध्यक्ष---

देखिये, मंत्री जी ने कहा कि हमारा साक्षात संबंध नहीं है। वह केवल परिषद् को लिख सकते हैं कि जल्दी करो।

श्री मुमताजमुहम्मद खां---

क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में स्वयं दिलचस्पी लेंगे और परिषद् को लिखेंगे कि इसमें जल्दी की जाय ?

श्री कैलाश प्रकाश---

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि माननीय सदस्य के क्षेत्र का ही परीक्षाफल रुका हुआ है, बल्कि पूरे प्रदेश के छात्रों का है और मुझे उनसे सहानुभूति है और मैं इसमें चिन्तित भी हूं। मैं कोशिश में हूं कि परीक्षाफल शीघ्र घोषित हो और मैं अब लिख भी दूंगा।

पूरनपुर-धनारा घाट सड़क की दुरवस्था

*३---आचार्य मोहनलाल (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर, जिला पीलीभीत के ग्राम शेरपुर कलां की आबादी के मध्य सार्वजनिक निर्माण द्वारा निर्मित पूरनपुर-धनारा घाट सड़क के दोनों ओर गहरे गढ्ढे हो जाने से २ बच्चे मर गये तथा एक भैंसा गिर कर मर गया तथा ३ बच्चों को जीवित निकाल लिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---

शेरपुर कलां की आबादी के अन्दर दूर से मिट्टी लाकर सड़क बनाई गई और गांव के अन्दर कोई गड्ढा नहीं किया गया। बच्चे गांव के पास जो तालाब है उसमें कागज की नाव के खेल में डूब कर मरे। भैंसा तालाब में से रस्सा बांध कर खींचा गया और खींचने में मर गया। ३ बच्चों को जीवित निकालने की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

*४---आचार्य मोहन लाल (अनुपस्थित) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की सूचना ग्राम सभापति तथा ग्रामवासियों के देने पर भी अधिकारियों ने लापरवाही की जिसके फलस्वरूप यह अप्रिय घटना हुई ? यदि हां, तो क्षतिग्रस्त परिवारों को क्या मुआविजा दिया जायगा ? और कब तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त सड़क के गड्ढों को शीघ्र ही भरवा कर जन जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत---

सड़क की खराबी या नये तौर के गड्ढे होने से यह अप्रिय घटना नहीं हुई इसलिये किसी मुआवजे के देने का तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता। सड़क निर्माण का कार्य मार्च, १९६६ तक पूर्ण होने की आशा है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । यह उत्तर आपके पास भेजा जा चुका है। इसके बाद, अभी सदन में आने से पूर्व मैंने वहां का नक्शा भी मंगाकर देखा। बच्चे तालाब में डूब कर मरे, इसमें मुझे कुछ संदेह है और मैं इसकी दोबारा जांच कराना चाहता हूं ।

श्री मुमताजमुहम्मद खां--

मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने दोबारा जांच के लिये स्वयं कदम उठाया । यह उत्तर बिलकुल गलत है ।

रुकमांगद क्षत्रिय इन्टर कालेज, हरदोई में प्रशासन योजना

*५--श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई नगर में स्थित रुकमांगद क्षत्रिय इन्टर कालेज में प्रशासन योजना अभी तक लागू नहीं हो सकी है? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जी नहीं। प्रशासन योजना के अभी तक लागू न हो सकने का कारण यह है कि जो योजना संस्था ने मंडलीय उप शिक्षा निदेशक को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की थी वह त्रुटिपूर्ण थी। इन त्रुटियों के निराकरण के लिये संस्थाधिकारियों से पत्र-व्यवहार हो रहा है ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह प्रशासन की योजना कब प्रस्तुत की गयी और उस पर त्रुटियां निवारण के लिये डाइरेक्टर की ओर से कब किस तारीख को लिखा गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

श्रीमन्, मेरे पास वह दिनांक है जब कि प्रथम बार यह योजना उपस्थित की गयी। वह तिथि २८-१०-१९६० है। उसमें अनेक त्रुटियां बतायी गयी हैं। इसलिये योजना को उप निदेशक महोदय ५ बार संस्था के अधिकारियों को वापस कर चुके हैं और अब अंतिम बार सम्भवतः ९ जून, १९६५ को भेजी जा चुकी है ।

श्री शारदाभक्तसिंह--

श्रीमन्, धारा १६-सी में यह दिया है कि डायरेक्टर के पास जो स्कीमें भेजी जायं उसको या तो वह मूल रूप में स्वीकार कर लें या उसमें परिवर्तन करके और संस्थाओं के पास भेज दें ताकि वह स्वीकार करे या रिप्रेजेन्ट करें। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह प्रशासन योजना प्रस्तुत की गई तो क्या उसमें आवश्यक परिवर्तन या सुझाव डायरेक्टर या संस्था के पास गया ? यदि गया, तो अब उसमें क्या विचार करना है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैंने निवेदन किया कि पहली दफा १९६० में आई थी। माननीय सदस्य जो कहते हैं वह भी ठीक है कि अधिनियम में ऐसी बात है। मैंने यह भी निवेदन किया है कि पांच बार उनको वापिस लेना पड़ा है, पांच बार कब वापिस किया उसका दिनांक मेरे पास नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

वह पूछ रहे थे कि शिक्षा विभाग द्वारा उस प्रशासन योजना में क्या संशोधन करने हैं। यह भी सुझाव में जाते हैं या यह सुझाव दिये गये ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जब पांच दफे वापिस किया गया है तो कुछ सुझाव दिये ही गये हैं, कोई बात कही गई होगी, उसका ब्योरा मेरे पास नहीं है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

श्रीमन्, "१६–सी" में लिखा है कि वे अपनी योजना भेजें और डायरेक्टर मूल रूप में स्वीकार कर लें। लेकिन अगर उनको परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करके और संस्थाओं के पास भेज दें। यदि संशोधन स्वीकार कर लें तो ठीक है। अगर रिप्रेजेन्ट करें तो तीन महीने तक विचार करके वापिस कर दिया जाय। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर एक बार परिवर्तन करके भेज दें तो एक बार संस्था रिप्रेजेन्ट कर सकती है। यह पांच बार क्यों चल रहा है, क्या बात है ? इतनी देर हो गई। ५९ से ६५ हो गया लेकिन योजना लागू नहीं हुई।

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रयास यह किया जाता है कि जो प्रशासन योजना आवे उसमें यदि कुछ परिवर्तन की आवश्यकता हो तो जहां तक संभव हो सके संस्था अधिकारियों से उसकी सहमति ले लें और सहमति लेने में कुछ पत्र व्यवहार भी करना पड़ता है। यह बात अच्छी है कि जो प्रशासन योजना बने वह संस्था अधिकारियों की सहमति से बने। अगर सहमत न हों तब उनको अधिकार है कि वे उन्हें मंजूर करके भेजें।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रशासन योजना की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए कि संस्थाओं में काम करने वाले अध्यापकों को समान सुविधायें प्राप्त हों, तमाम संस्थाओं पर इस बात का जोर देंगे कि वे प्रशासन योजना को लागू कर लें ?

श्री अध्यक्ष—

प्रशासन योजना जब बन जायेगी तब लागू होगी।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की ओर से जो नियम हैं उनको तमाम रिकग्नाइज्ड संस्थाओं में भेजने की सरकार व्यवस्था करेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह मंशा नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

सरकार को क्या कठिनाई है कि सारी संस्थाओं को वे नियमावली भेज दें।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आज भी ८० फीसदी संस्थाएं ऐसी हैं जहां यह प्रशासन योजना लागू नहीं है, तो क्या माननीय मंत्री जी यह व्यवस्था करेंगे कि यह योजना तमाम संस्थाओं में लागू हो जाय ?

जितने इन्टरमीडियेट कालेज हैं वे सब नियमों के मुताबिक बना दिये गये हैं परन्तु आज पांच छः साल हो गये परन्तु फिर भी प्रशासन योजना ८० फीसदी संस्थाओं में लागू नहीं है, इसका क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यह अधिनियम में लागू हुआ है। प्रशासन योजना है और माननीय सदस्य की यह सूचना सही नहीं कि ८० फीसदी संस्थाओं में यह प्रशासन योजना लागू नहीं है। मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं हैं लेकिन मेरे ख्याल से स्थिति विपरीत है। लगभग ८० प्रतिशत में वह लागू हो चुकी है और करीब करीब २० प्रतिशत में लागू नहीं है। मैंने कहा कि मुझे बिलकुल ठीक इस समय याद नहीं है लेकिन यह है कि प्रशासन योजना जिनके यहां नहीं है उनको कुछ अनावर्तक अनुदान नहीं देते हैं, उनकी कुछ मान्यता की बात होती है, उसमें कुछ रुकावट करते हैं, तो इस तरीके से प्रतीत होता है कि बहुत सी संस्थाएं प्रशासन योजना को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं, तो अधिक सख्ती क्यों की जाय ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो प्रशासन योजना भेजी गई थी वह एक दफे वापस की गई, फिर दुरुस्त करके दी गई तो क्या इंसपेक्टर महोदय ने फिर पांच बार उसमें तरमीम करके भेजा था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्रीमन्, मैं निवेदन कर चुका हूं। इससे अधिक स्पष्टीकरण में और क्या दे सकता हूं ? जब पांच बार वापस किए गए तो कुछ सुझाव जरूर दिए गए होंगे और जैसा मैंने निवेदन किया है कि प्रशासन योजना स्वीकार हो तो संस्था और अधिकारियों की सहमति से ऐसा हो जाय इसका प्रयत्न रहता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी माननीय हरिनाथ तिवारी ने जो सवाल किया उसके जवाब में माननीय मंत्री जी ने कहा कि पांच बार जब भेजा है तो उसमें कुछ सुझाव दिये होंगे, श्रीमन् हमारी नियमावली में कि इस तरह का जवाब मंत्री नहीं देगा, डेफिनिट जवाब देगा। तो निश्चित रूप से वे बतावें कि सुधार किया या नहीं और अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी कर ली जाय और फिर जवाब दिया जाय। लेकिन इस तरह का....

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि वाकयात मेरे पास नहीं हैं लेकिन फिर जब आपने प्रेस किया तो उन्होंने कहा कि शायद यह होगा। (व्यवधान) आप ठीक कहते हैं, लेकिन पहले जवाब आ चुका था।

श्री शारदाभक्तसिंह—

मैं समझता हूं कि मैं स्पष्टीकरण नहीं कर पाया। १६ (सी) में दिया हुआ है कि जब उनके पास कोई प्रशासन योजना आये तो या तो मूल रूप में स्वीकार कर लें या परिवर्तन करके भेज दें और फिर क्लाज (२) में दिया है कि इंस्टीट्यूशन कोई रिप्रजेन्टेशन करे तो उस पर विचार करके अन्तिम निर्णय दे दें। मैंने यह पूछा था कि उन्होंने योजना सबमिट कर दी १९६० में और उसे डाइरेक्टर ने परिवर्तित करके भेज दिया तो अब उनको केवल एक अधिकार रह गया कि वह रिप्रेजेन्टेशन करें और डाइरेक्टर उस पर अपना निर्णय दे दें। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यह पांच बार क्यों भेजा गया जिसकी इस

अधिनियम के अनुसार कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी ऐसा किया गया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पांच वर्ष से ऊपर हो गए और पांच वर्ष तक योजना लागू नहीं हो सकी है तो जैसा अधिनियम में दिया हुआ है कि अगर वहां पर अधिक दिनों तक लागू न हो तो अथोराइज्ड कंट्रोलर बिठा दिया जाय, तो कितने दिनों में उसे वहां लागू करवा देंगे और अगर नहीं लागू होगी तो क्या कंट्रोलर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

मैंने निवेदन कर दिया है कि प्रशासन योजना के संबंध में इसी तरीके का प्रयास रहा है कि एकदम बड़ी भारी सख्ती न की जाय और संस्था अधिकारियों तथा शिक्षकों के हित के कारण ही यह बनी थी, उनका आपस का संबंध भी ठीक रहे, शिक्षा संस्था भी चलती रहें, इस बात का प्रयास किया गया है और इसमें देर लगती है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं।

श्री अध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि आपस के समझौते से हो जाय, इसमें चाहे कितने दिन लग जायें।

श्री शारदाभक्त सिंह—

मैंने पूछा था कितने दिन और लगेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ?)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम, ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

राजकीय शिक्षा संस्थाओं में हरिजन अध्यापक

*१—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले कुल अध्यापकों की संख्या क्या है तथा इनमें हरिजन एवं पिछड़ी हुई जातियों के कितने लोग हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

प्रदेश के राजकीय माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्य कर रहे अध्यापकों की कुल संख्या २७६० है जिनमें हरिजन ३० तथा पिछड़ी हुई जातियों के ११९ अध्यापक हैं।

फर्रुखाबाद जिले में अध्यापकों का प्राविडेंट फंड तथा वेतन बकाया

*२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के कौन-कौन हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज के प्रबन्धकों ने अध्यापकों के प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया जमा नहीं किया है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

फर्रुखाबाद जिले में निम्नलिखित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट कालेजों के प्रबन्धकों ने अध्यापकों के प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया जमा नहीं किया है :—

१—आर० बी० एम० इंटर कालेज, अकबरपुर ।

२—एम० एम० उ० मा० विद्यालय, कन्नौज ।

३—ए० बी० इन्टर कालेज, शमशाबाद ।

४—एस० ई० एन० उ० मा० विद्यालय, तेराजकट ।

५—वी० पी० इंटर कालेज, फर्रुखाबाद ।

६—एल० एन० इन्टर कालेज, कन्नौज ।

उपर्युक्त विद्यालयों के प्रबन्धकों को आदेश दिए गये हैं कि वे शीघ्र ही संबंधित अध्यापकों के प्राविडेन्ट फण्ड की बकाया धनराशि उनके लेखे में जमा कर दें ।

*३—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के कौन-कौन हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों का दो माह या उससे अधिक समय का वेतन बाकी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अभीष्ट सूचना अभी तक एकत्रित नहीं हो पाई है । प्रयास किया जा रहा है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन संस्थाओं के पास कितना रुपया बाकी है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसका विवरण देने में मुझे जरा सी देर लगेगी ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

यह रुपया किस सन् से बकाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

आर० बी० इन्टर कालेज, फर्रुखाबाद का दिसम्बर, ६४ से मार्च, ६५ तक, ५६३.६४ रुपये । एम० एम० विद्यालय कन्नौज का फरवरी—मार्च ६५ का १५८.०४ रुपये । के० वी० इन्टर कालेज शमसाबाद का फरवरी—मार्च ६५ का ३९७.४३—रुपये । ए० वी० इन्टर कालेज शमसाबाद का फरवरी—मार्च ६५ का ३९७.४३ रुपये । एस० ई० एन० विद्यालय १२६७.५० रुपये ।

श्री होरीलाल यादव—

नम्बर १ पर अकबरपुर का कालेज २, ३ वर्षों से सरकार के हाथ में है, तो उसका रुपया जमा न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

रुपया जमा न करने से जो क्षति टीचर्स को हो रही है वह मंत्री जी कैसे पूरी करावेंगे क्योंकि कुछ अंशदान मनेजमेन्ट भी देता है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अगर रुपया जमा न करने से टीचर्स का कुछ नुकसान होता है तो उसका उत्तरदायित्व प्रबन्धक समितियों का है और वे पूरा करेंगी। उत्तर आने के बाद कुछ सूचना और आ गई है। मान्यता प्राप्त विद्यालयों की कुल संख्या ३६ है, जिनमें से ३१ विद्यालयों में अब तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है। केवल ५ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें २ महीने या इससे अधिक का वेतन नहीं दिया गया है। ये हैं ए० बी० इंटर कालेज, शम्साबाद, आर० एन० इन्टर कालेज, अकबरपुर, बी० एफ० एफ० इन्टर कालेज सिकन्दरपुर, एस० आर० एम० हायर सेकेन्डरी स्कूल, भीरापुर, एम० एम० हायर सेकेन्डरी स्कूल, कन्नौज। इन वेतनों का शीघ्र भुगतान कराने के लिये जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयास कर रहे हैं।

श्री होरीलाल यादव—

जब अकबरपुर का कालेज सरकार स्वयं चला रही है तो रुपया जमा न करने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

पूरी सूचना तो नहीं है लेकिन इतनी है कि वहां रिसीवर नियुक्त हैं जो भुगतान करते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या विद्यालय निरीक्षक ही तो इस रुपये को नहीं देने दे रहे हैं, मंत्री जी इसकी जांच करावेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

यदि माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो जांच करा ली जायगी।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

पोषक अनुदानों में विभाग की ओर से बड़ी धांधली और रिश्वत की शिकायतें आई हैं। तो माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि अनुदान का ब्यौरा दे दिया जाया करे कि क्षतिपूर्ति में कितना रुपया, फीस की बढ़ोत्तरी में कितना रुपया मिला, इत्यादि, ताकि प्रबन्धकों को शिकायत न हो ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अनुपालिका अनुदान के नियमों में कुछ परिवर्तन किया गया है कि जो वास्तविक आंकड़े हों पूर्व वर्ष के, उनको आधार मानकर आगणन करना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, इस नियम के परिवर्तन से कुछ शिक्षा संस्थाओं को सुविधायें हुईं। कुछ शिकायतें जो ५, ७ मेरे पास आई थीं, उनके लिये मैंने यह किया कि यहां से पत्र दे दिया कि निदेशालय उनको दिखला दें। जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने वहां जाकर अपने को सन्तुष्ट किया। एकाध मामले में गलती पाई गई। माननीय सदस्य का यह जो अनुमान है कि इन विद्यालयों में बहुत धांधली है और रिश्वत ली जाती है यह सही नहीं प्रतीत होता है फिर भी अगर माननीय सदस्य की निश्चित जानकारी में कोई ऐसी चीजें हैं वह अगर लिख कर देंगे तो जांच करा ली जायगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपके द्वारा मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जैसा होरीलाल जी ने कहा कि २ मास से वेतन नहीं दिया गया है मुझे सारे प्रान्त की जानकारी है कि अनेक स्कूलों में ६–६ और ७–७ मास से वेतन नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि जिन विद्यालयों में ५–५ और ६–६ मास से वेतन नहीं दिया गया है उनका अनुदान आप क्यों लगातार दे रहे हैं ? क्या आप उसको रोकने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसे विद्यालयों का अनुदान रोकने में तो कोई कठिनाई नहीं होती लेकिन जब अनुदान रुकता है और विद्यार्थी और अध्यापक माननीय सदस्यों के पास आते हैं कि उनको वेतन नहीं मिल रहा है और वह परेशान होते हैं इसलिये इस तरह की सुविधा दी जाती है कि अध्यापकों को भी तकलीफ न हो और काम भी ठीक से होता रहे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

एक कानून की ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकृष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं।

कानपुर के विद्यालयों में खेल-कूद के अधीक्षकों की योग्यता

*४—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में खेलों के स्तर को सुधारने के लिये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में क्या इस आशय का कोई आदेश भेजा जा चुका है कि योग्य तथा प्रशिक्षित खेल-कूद के अध्यापक के रहते हुए कोई दूसरा अयोग्य अध्यापक खेल-कूद अधीक्षक नियुक्त नहीं किया जायेगा और न उसे कोई भत्ता ही दिया जावेगा?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित आदेश शिक्षा निदेशालय के पत्र दिनांक २८-१२-१९६४ द्वारा जारी हुआ था।

*५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या यह भी सत्य है कि कानपुर में अधिकतर मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खेल-कूद के योग्य तथा प्रशिक्षित अध्यापकों के होते हुए भी अयोग्य अध्यापकों को खेल-कूद अधीक्षक बनाया है? यदि हां, तो आदेश क्या था तथा कब दिया गया था?

श्री कैलाशप्रकाश—

उपर्युक्त आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

*६—श्री लखपतराम शर्मा—

विद्यालय यदि सरकारी आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो उन विद्यालयों के प्रति सरकार व जिला निरीक्षक क्या कर रहे हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

सरकारी आदेश की अवहेलना करने वाले विद्यालयों की सूचना प्राप्त होने पर उनके प्रति जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा—

अभी सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि ८-१२-६४ को आदेश दिया गया कि जिन स्कूलों में अयोग्य शिक्षक हैं उनकी जगह योग्य शिक्षक रखे जायं और उसके बाद भी ६५ तक स्कूलों में इस तरह के शिक्षक रखे गये तो सरकार द्वारा ऐसे स्कूलों के खिलाफ अभी तक कार्यवाही न करने का कारण क्या है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जब कहीं से शिकायत आती है तभी तो पता चलता है वरना विद्यालय अपना प्रबन्ध करते रहते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा—

प्रश्न ५ के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि पूरी सूचना प्राप्त नहीं है तो यह सूचना कब तक आ जायगी और वह कब तक उत्तर दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो १५ दिन के बाद ही आ जायेगी।

उत्तरकाशी जिले में लैंड स्लाइड प्रभावित किसानों के लिए भूमि

*७—श्री कृष्णसिंह (जिला उत्तरकाशी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला उत्तरकाशी के मंकोली ग्राम वासियों की काश्त की जमीन जो लैन्ड स्लाइड से बरबाद हो गई है और मंकोली ग्राम जो उस लैन्ड स्लाइड से खतरे में हैं उस ग्राम के निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थानों में बसाने व उनको अन्य जगह काश्त के लिए जमीन देने की क्या व्यवस्था की गई है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

उत्तरकाशी के मंकोली ग्राम में लैन्ड स्लाइड से ५७२–१०/१६ नाली काश्त जमीन कट गई थी।

(२) किन्तु लैन्ड स्लाइड से इस ग्राम में कोई मकान नहीं कटा है और न सारी आबादी के कटने की ही आशंका है। मौजूदा गांव में उनकी काश्त की जमीन उनके भरण-पोषण के लिये यथेष्ट है। वन विभाग ने सुक्की कम्पार्टमेन्ट नं० ६ में तेलू नामक चक सुरक्षित वन के अन्दर गांव वालों को देने का प्रस्ताव रक्खा जिसे संबंधित गांव वाले लेने को राजी नहीं हो रहे हैं। ग्रामवासी अपनी काश्त के लिये सुरक्षित वन में उत्तरी बीट कं० नं० ३ चक नं० १ व २ कल्डियानी स्थान में जमीन चाहते हैं। यह मांग विचाराधीन है।

श्री कृष्णसिंह—

मंत्री जी कहते हैं कि जमीन उनके भरणपोषण के लिये काफी है, तो कृपया वे बतायेंगे कि कितनी जमीन उनकी बची हुई है, उसमें कितनी उपज होती है और उस गांव की कितनी आबादी है?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जमीन जो कटी है वह थोड़ी सी है और बाकी सवाल के लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री कृष्णसिंह—

क्या मंत्री जी को यह सूचना है कि जो बाकी जमीन है वह भी कटती जा रही है और कुछ सालों में उनके मकानात पर भी असर पड़ेगा तो जो यह कटाव चल रहा है उसको बन्द करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी इत्तिला यह है कि अभी कोई आशंका नहीं है, जैसा मैंने उत्तर में बता दिया।

श्री कृष्णसिंह---

जो जमीन वन विभाग ने गांव के लोगों को दी थी वह दूर थी इसलिये अस्वीकार कर दी। लेकिन जो जमीन गांव वालों ने मांगी थी, वह ५ साल हुए लैन्ड स्लाइड हुआ था तब से उस जमीन के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

बिला वजह देरी नहीं की जायगी।

"बुद्धचरित" प्रकाशनार्थ साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को सहायता

*८---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को पांच हजार रुपये की वित्तीय सहायता "बुद्ध चरित" के प्रकाशनार्थ दी गई थी ? यदि हां, तो अभी तक इसके प्रकाशित न होने के क्या कारण हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश---

साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को "बुद्ध चरित" के प्रकाशन के लिये ५,००० रु० का अनुदान १९५७ में दिया गया था। ग्रन्थ को संसद सचित्र तीन भागों में प्रकाशित कर रहा है। एक तैयार है, एक के चित्र छपने शेष हैं तथा एक प्रेस में है। पुस्तक प्रकाशन का अनुमानित व्यय बढ़ जाने के कारण तथा अच्छे किस्म के कागज की कमी के कारण पुस्तक के प्रकाशन में विलम्ब हुआ।

*९---श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या यह सही है कि सात्यिकार संसद, इलाहाबाद को साहित्यकारों की सहायता के नाम पर दस हजार रुपये का सरकारी ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो अभी तक प्रेस क्यों नहीं खोला गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---

साहित्यकार संसद, इलाहाबाद को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिये १०,००० रु० ऋण दिया गया था। संसद के सेक्रेटरी के कथनानुसार यह धन अपर्याप्त होने के कारण प्रेस न खोला जा सका।

श्री काशीनाथमिश्र---

मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस समय बुद्ध शताब्दी समारोह मनाया गया था और बुद्धचरित की पान्डुलिपि तैयार थी, १९५७ में ५ हजार रु० इलाहाबाद साहित्य संसद ने लिया। अभी आपने जबाब दिया कि तैयार है एक भाग, यह तीन भागों में निकलेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक भाग जो तैयार है तो वह तैयार होकर प्रेस में पड़ा हुआ है या प्रकाशित होकर बाजार में आ गया है, और साहित्य संसद की तरफ से किस व्यक्ति को ५ हजार रु० का अनुदान दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश---

जो उत्तर मैंने दिया है वह संसद से प्राप्त हुआ है और इसके प्रकाशन में देरी का कारण यह बताया है कि जिस समय उन्होंने पहले रु० मांगा था तो १० हजार रु० का खर्चा बताया था लेकिन इसके तैयार होते-होते २० हजार रु० हो गये। सहायता केवल ५ हजार रु० की मिली थी। तो पहले उन्हें ५ हजार रु० का प्रबन्ध करना था, फिर १५ हजार रु० का प्रबन्ध करना था। अब आजकल चन्दा या अनुदान लेकर प्रबन्ध

करने में देरी लगती है और उनका यह भी कहना है कि पहले जो कागज खरीदा गया, वह पूरा नहीं था इसीलिये उन्हें फिर प्रबन्ध करना था...

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं । मैंने कहा था कि एक भाग किस रूप में तैयार है, तो आपके तैयार होने का क्या भाष्य है और रुपया किस व्यक्ति को दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

प्रथम भाग जो तैयार है वह किस रूप में इस समय है ?

श्री कैलाशप्रकाश---

इसकी तो सूचना चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

पैसा किसको दिया गया ?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी यह भी बता दें कि ५ हजार रु० किस व्यक्ति को दिया गया था ।

श्री कैलाशप्रकाश---

इसी संसद को दिया गया । उसके पदाधिकारी कौन थे, यह जानकारी इस समय नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद साहित्य संसद की तरफ से जो प्रेस खोलने के लिये और बुद्ध चरित प्रकाशन के लिये ५ और १० हजार रु० का ऋण आपने दिया । क्या यह ऋण इलाहाबाद साहित्य संसद की तरफ से श्रीमती महादेवी वर्मा ने लिया ?

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, यह व्यक्तिगत प्रश्न है । इसकी मुझे जानकारी नहीं है । यह ऋण संस्था को दिया गया । उसमें उस समय कौन-कौन अधिकारी थे, किसको दिया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब को ज्ञात है बहुत-सी सामाजिक साहित्यकार संस्थायें बहुत से प्रकाशन प्रकाशित करती हैं । इस साहित्यकार संसद को सरकार ने ६-७ वर्ष पूर्व ५ हजार रुपये का ऋण दिया था पर वह पुस्तक अभी तक तैयार नहीं हुई है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संस्था समाज कल्याण की कोई संस्था है और समाज कल्याण के कार्य को लेकर चलती है, या और कोई कारण है ? या साहित्यकारों की सहायता के लिये यह एक संस्था है, जिसके अध्यक्ष श्री मैथिली शरण गुप्त थे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

सरकार ने जो अनुदान पुस्तक के प्रकाशित करने के लिये और जो ऋण प्रेस लगाने के लिये दिया था वह अपर्याप्त धन है । न तो पुस्तक ही छपी है और न ही प्रेस लग पाया है क्योंकि जितनी पूंजी की व्यवस्था थी वह दोनों कार्य के लिये पर्याप्त नहीं है । तो क्या

सरकार इसकी व्यवस्था करेंगी कि जिससे दोनों कार्य अर्थात् पुस्तक भी छप जाये और प्रेस भी लग जाये वरना दोनों काम अधूरे पड़े हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश--

सरकार के पास जब प्रार्थना-पत्र आते हैं, उनके आने पर सरकार देखती है कि इस पर उन्हें क्या करना चाहिए ।

[३ सितम्बर १९६५ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (अनुपस्थित)--

[हटा दिये गये ।]

विद्यान्त हिंदू डिग्री कालेज, लखनऊ में महंगाई भत्ता तथा प्राविडेंट फंड

*३--श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)--

२६ मार्च, १९६५ के प्रश्न संख्या ३९ से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्यान्त हिन्दू डिग्री कालेज ने विद्यार्थियों से सन् १९६३-६४ के अन्त तक २२,७५१ रुपये गरानी भत्ता लिया जिसमें ७,८८४.१२ रु० लिपिक वर्ग तथा भिन्न कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया गया, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शेष धन जो १४,८६६.८८ रु० बचा वह किस-किस मद में व्यय किया गया और अध्यापकों को गरानी भत्ता क्यों नहीं दिया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

शेष धन विद्यालय के अध्यापकों को निर्धारित वेतन क्रमों से अधिक वेतन देने में व्यय किया गया, इसलिये उन्हें महंगाई भत्ता नहीं दिया गया ।

*४--श्री बृजेश्वर सहाय--

उक्त तिथि के प्रश्न संख्या ४० से सम्बन्धित क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब उपरोक्त विद्यालय सन् १९५८ से अध्यापकों से प्राविडेंट फंड काटती है और प्रबन्ध समिति ने आज तक अपने भाग का कुछ भी जमा नहीं किया है जैसा कि सरकार ने स्वीकार किया है, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रबन्ध समिति ने अपने हिस्से का रुपया क्यों जमा नहीं किया और इससे जो अध्यापकों के सूद का नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रबन्धक ने धनाभाव के कारण अपने हिस्से का रुपया जमा नहीं किया। इससे अध्यापकों को जो सूद की हानि हुई है उसके विषय में प्रबंध समिति को कहा जायेगा ।

*५--श्री बृजेश्वर सहाय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब प्रबन्ध समिति ने प्राविडेंट फंड में अपने हिस्से का रुपया अब तक जमा नहीं किया, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की और क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५८ से जब से इन्होंने प्राविडेंट फंड काटा है, तब से अब तक कितना कुल धन अध्यापकों का काटा है और प्रबन्ध समिति को कुल अपने हिस्से का कितना धन जमा करना है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

प्रबन्धक समिति से कहा जा रहा है कि वे अपने हिस्से के प्राविडेन्ट फन्ड का रुपया जमा करदें। अध्यापकों से प्राविडेन्ट फण्ड का २०९३८.४४ रुपया काटा गया है । प्रबन्धक समिति को अपने हिस्से का कुल १९,९१६.५८ रुपया जमा करना है ।

श्री बृजेश्वर सहाय--

माननीय मंत्री जी ने प्रश्न ३ के उत्तर में बताया कि उनको अधिक वेतन दे दिया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या डी०ए० लेने के लिये या वसूल करने के लिये युनिवर्सिटी ने या शिक्षा संचालक ने (डायरेक्टर ने) इस प्रकार का आदेश दिया था कि यह वसूल किया जाय और वसूल करने में के पश्चात वेतन में वृद्धि करके दे दिया जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जब इसकी सूचना मंगाई गयी तो यह ज्ञात हुआ कि शिक्षा निदेशक ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया।

श्री बृजेश्वर सहाय--

जो प्राविडेंट फंड अधिकारियों से काटा गया वह २०,९३८ रुपया होता है और मैनेजिंग कमेटी को १९,९१६ रुपया जमा करना था जो वह धनाभाव के कारण जमा नहीं कर सकी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान २६ मार्च, १९६५ की तरफ आकर्षित करूंगा कि आपने यह स्वीकार किया था कि विद्यालय में प्रबन्ध समिति का जो प्रबन्ध है उसको १ लाख ६५ हजार रु० ऋण दिया है क्योंकि कालेज की आर्थिक अवस्था खराब थी, तो अधिकारियों ने अध्यापकों का जो रुपया जमा था उसे क्यों नहीं जमा किया ?

श्री कैलाशप्रकाश--

ये सब शिकायतें आईं तो इस विद्यालय का आडिट कराया गया और अब आडिट हो चुका है और आडिट की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है। उस आडिट की रिपोर्ट की जांच की जायगी तभी उसमें इन सब बातों का पता लगेगा।

श्री बृजेश्वर सहाय--

माननीय मंत्री ने आडिट कराया और शिकायतें आईं और उसके बाद जो उत्तर कालेज से आया उन सबमें फर्क पाया। इन सब बातों को देखते हुये माननीय मंत्री महोदय उस कालेज में जब इतने गलत काम हो रहे हैं तो वहां एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जहां तक मैं समझता हूं कि डिग्री कालेजेज में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने का कोई प्राविधान नहीं है और माननीय सदन ने भी कोई अधिकार नहीं दे रखा है।

श्री मैनेजरसिंह--

२० हजार रुपया अध्यापकों का काटा गया और १९ हजार रुपया प्रबन्ध समिति को देना था तो अध्यापकों का जो काटा गया था वह प्रबन्ध समिति द्वारा जमा हुआ या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--

पहले उत्तर में मैं यह कह चुका हूं कि जो अध्यापकों का काटा गया है वह भी शायद जमा नहीं किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट विदित हो गया है कि अध्यापकों का हिस्सा कालेज में जमा नहीं किया गया, अपना देना तो दूर रहा तो इससे जो अध्यापकों को नुकसान हुआ उसके लिये क्या आपके पास कोई उपाय है कि अध्यापकों की क्षति पूर्ति हो जाय ?

श्री कैलाशप्रकाश--

मैं निवेदन कर चुका हूं कि आडिट रिपोर्ट आई है और आडिट रिपोर्ट के अनुसार जो वहां के हिसाब में गड़बड़ियां पाई जायंगी तो जो अनुदान दिया जाता है इन विद्यालयों को उसमें हमारा अधिकार रहता है और जो उस हिसाब में कमी पायी जायगी, उसे देख लिया जायगा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

प्रश्न संख्या ३ और ५ के उत्तरों में एक तरफ तो यह कहा गया है कि वह रुपया बच गया और बाद में उन से लोगों को ज्यादा वेतन देने में खर्च किया और दूसरी तरफ यह कहा गया कि धनाभाव के कारण उस प्राविडेंट फंड को जमा नहीं कर सके । तो जब यह आडिट रिपोर्ट आयेगी और उसके बाद जांच करके स्पेशल इंक्वायरी करेंगे तो यह जांच भी करा ली जाय कि उक्त दोनों उत्तरों में कौन सही है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

आडिट रिपोर्ट आने पर जो चीजें उसमें होंगी उन पर भी ध्यान दिया जायगा ।

विधायक निवास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सचिवालय एलाउन्स न मिलना

*६--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकारी सचिवालय, उत्तर प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी जो स्थाई हैं उन्हें दो रुपया सचिवालय एलाउन्स दिया जाता है, तो विधायक निवास के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिन्हें सचिवालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों के अनुसार ही वेतन दिया जाता है, उन्हें दो रुपया सचिवालय एलाउन्स न देने का क्या कारण है ? जब कि राज्य सम्पत्ति कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को सचिवालय के अनुसार ही वेतन दिया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

राज्य सम्पत्ति कार्यालय को सचिवालय के विभाग की मान्यता प्राप्त नहीं है । इसलिये उस विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को प्रश्नगत भत्ता नहीं मिलता ।

*७--श्री ऊदल--

क्या सरकार विधायक निवास के कर्मचारियों को जो स्थाई हैं, सचिवालय के कर्मचारियों के अनुसार दो रुपया सचिवालय एलाउन्स देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

ऐसी सभी बातों पर वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विचार हो चुका है । इसलिये सरकार द्वारा पुनः विचार करने का प्रश्न अब नहीं उठता ।

तेलियाखादर तथा भूसाडोही चक्की का सीमा विवाद

*८--श्री उग्रसेन--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तेलियाखादर (देवरिया) तथा भूसाडोही चक्की के सीमा विवाद के सम्बन्ध में जिलाधीश, देवरिया एवं आजमगढ़ ने अपनी रपट श्रेणी आयुक्त गोरखपुर को दे दी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

नोट--(तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।)

*९—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि किस आदेश के कारण तेलियाखादर (देवरिया) के नक्शे से १,२०० तथा १,००० एकड़ भूमि काट कर आजमगढ़ में कर दी गई ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*१०-११—श्री बेदराम (जिला एटा)—

[हटा दिये गये ।]

नैनीताल में सुरक्षित आवास

*१२—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किन-किन सदस्यों तथा अधिकारियों के लिये मई, जून, १९६४ व १९६५ में नैनीताल में रहने के आवासों का प्रबन्ध किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मई, जून, १९६४ व ६५ में नैनीताल में जिन सदस्यों तथा अधिकारियों के लिये आवास सुरक्षित किये गये उनके नाम क्रमशः †अनुसूची "क", "ख" "ग" व "घ" में दिये हुये हैं ।

*१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन विधायकों के प्रार्थना-पत्र नैनीताल में आवास के लिये रद्द किये गये जो कि ३० अप्रैल, १९६५ के पहले प्राप्त हुये थे और उनके रद्द होने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३० अप्रैल, १९६५ तक प्राप्त जिन विधायकों के प्रार्थना-पत्रों पर नैनीताल में ग्रीष्म के लिये आवास का प्रबन्ध न हो सका, उनके नाम †सूची "ङ" में दिये हुये हैं, सबकी मांग पूरी करने के लिये स्थान उपलब्ध नहीं था ।

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, जून, १९६५ में किन-किन अधिकारियों के लिये बिना पहले प्रार्थना-पत्र मिले हुये नैनीताल में आवास का प्रबन्ध किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पहले प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये बिना जिन अधिकारियों को नैनीताल में सीजन के लिये स्थान दिया गया उनकी †सूची "च" संलग्न है ।

*१५—१७—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[स्थानान्तरित किये गये ।]

---

†छापी नहीं गई ।

सीनियर बेसिक स्कूल, बिल्हौर के उच्चीकरण के लिए प्रार्थना

*१८—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले की टाउन एरिया कमेटी, बिल्हौर ने एक प्रस्ताव पास कर जनवरी, सन् १९६५ में उप-शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद व अन्य अधिकारियों के पास भेजा है कि सीनियर बेसिक स्कूल, बिल्हौर को हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तित कर दिया जाय ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। टाउन एरिया कमेटी बिल्हौर, कानपुर का प्रस्ताव दिनांक २४ जनवरी, १९६५ उप-शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के कार्यालय में भी यथासमय प्राप्त हुआ परन्तु यह विद्यालय जिला परिषद् का होने के कारण, उन्हें ही उस पर कार्यवाही करनी थी। उन्होंने उसके उच्चीकरण के लिये कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

*१९—श्री मुरलीधर कुरील—

[२५ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया जा चुका है।]

*२०—श्री रघुनाथसिंह—

[हटा दिया गया।]

सहारनपुर जिले में जूनियर हाई स्कूल का परीक्षाफल

*२१—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले में जूनियर हाई स्कूल के परीक्षा परिणाम स्थानीय साप्ताहिक 'विकास' में ११ जून, १९६५ तथा फिर दोबारा १८ जून, १९६५ में प्रकाशित किया गया है ? यदि हां, तो क्या कारण है कि पहला परीक्षा परिणाम रद्द किया गया ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां।

साप्ताहिक 'विकास' ११ जून, ६५ में प्रकाशित परीक्षा परिणाम में कुछ अशुद्धियां पाई गईं जिनका संशोधन आवश्यक था। अतः आवश्यक संशोधन कर के परीक्षाफल १८ जून, १९६५ को दुबारा प्रकाशित किया गया। मूल परीक्षा परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं किया।

*२२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि ऊपर कहे परीक्षा परिणामों में जो अन्तर है, वह क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

अन्तर केवल अशुद्धियों को शुद्ध करने के कारण ही हुआ।

*२३–२४—श्री शिवेन्द्रप्रताप (जिला सीतापुर)—

[हटा दिये गये।]

राजस्व परिषद् के लेखा अधिष्ठान के अस्थायी कर्मचारी

*२५—श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्व परिषद के लेखा अधिष्ठान के अधीन कार्य करने वाल अस्थायी कर्मचारियों को स्थाई करने के लिये कोई प्रयोजन संबंधित विभाग से मांगे गये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री हुकुम सिंह विसेन--

जी नहीं ।

*२६--श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या यह सत्य है कि प्रश्न (१) से संबंधित कोई प्रपोजल संबंधित विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उन प्रोपोजलों में क्या सिफारिश की गई है तथा सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्न नहीं उठता ।

रुद्रपुर के कथित क्वार्टर

*२७--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तराई कालोनाइजेशन स्कीम में रुद्रपुर, जिला नैनीताल में १९५० से १९५१ में उसके द्वारा कितने क्वार्टर बनाये गये तथा किस-किस लागत के तथा उनमें कितने ऐसे क्वार्टर हैं जो अब टूट गये हैं अथवा टूट गये थे और फिर से मरम्मत की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तराई कालोनाइजेशन स्कीम, जिला नैनीताल में, रुद्रपुर में १९५०-५१ में सरकार द्वारा कोई क्वार्टर नहीं बनाया गया । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

*२८--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि रुद्रपुर में बने क्वार्टरों की अत्यन्त खराब दशा देखकर क्वार्टर के स्वामियों से आधी कीमत लिये जाने का निश्चय किया गया है, परन्तु ब्याज पूरी लागत पर लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्न नहीं उठता ।

*२९--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि यह रुद्रपुर के क्वार्टर किस की गलती के कारण इतने कमजोर बने हैं कि वे टूट गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

प्रश्न नहीं उठता ।

बुद्ध विद्या मंदिर इन्टर कालेज, बर्डपुर का प्रबंध

*३०--श्री शारदाभक्तसिंह--

बस्ती जिले के बुद्ध विद्या मंदिर इन्टर कालेज, बर्डपुर के संबंध में क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि--

(क) कालेज में सरकारी आडिट कब से नहीं कराया गया ?

(ख) क्या यह सत्य है कि छात्रों से जो फीस ली जाती है उसकी रसीद उनको नहीं दी जाती है ?

(ग) क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि कालेज के ब्वायज फन्ड एकाउन्ट में घोर अनियमितता व्याप्त है ? यदि हां, तो उनकी जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही कराने की कृपा करेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश--

(क) सन् १९६३-६४ तक का आडिट कराया जा चुका है। केवल १९६४-६५ का आडिट अभी नहीं हुआ है।

(ख) यह सत्य नहीं है।

(ग) विद्यालय के ब्वायज फन्ड में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं मिली है। दूसरे भाग में पूछा गया प्रश्न नहीं उठता।

*३१--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

[स्थानान्तरित किया गया।]

कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय

*३२--श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट तथा श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर तथा मेरठ में विश्वविद्यालय कब स्थापित कर दिया जायगा तथा जुलाई, १९६५ से स्थापित न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश-

शीघ्र ही। प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद जिले के वर्कचार्ज कर्मचारियों की अपील

*३३--श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के अस्थाई सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों की अपील नौकरी से गलत ढंग से निकाले जाने के विरुद्ध शासन को जुलाई, तथा अगस्त, १९६४ में अधीक्षण अभियन्ता ४५ वृत्त सर्किल पी० डब्ल्यू० डी०, लखनऊ के माध्यम से मिली तथा उन पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगनप्रसाद रावत--

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वेतन अभिनवीकरण समिति की देहरादून व मंसूरी में बैठक

*३४--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी तथा श्री हरिनाथ तिवारी, एडवोकेट--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण कमेटी की बैठक मई तथा जून, १९६५ में क्या देहरादून एवं मंसूरी में आयोजित की गई ? यदि हां, तो किस-किस तिथि में ?

श्री कैलाशप्रकाश--

उत्तर प्रदेश वेतन अभिनवीकरण समिति की बैठक केवल जून, १९६५ मास में दिनांक १४ से २१ तक देहरादून में तथा दिनांक २२ से ३० तक मंसूरी में आयोजित की गई थी।

"जोन्स मिल", आगरा पर बिक्री-कर का बकाया

*३५--श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "जोन्स मिल", आगरा पर सरकार का सेल्स टैक्स का कितना रुपया बकाया है और उसकी वसूली के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री कैलाशप्रकाश--

जोन्स मिल, आगरा पर बिक्री-कर का १,२०,१८४ रु० ८४ पैसा बकाया है। इसकी वसूली के लिये प्रमाण-पत्र १८-१०-१९५१ को जारी किये गये थे। तत्पश्चात समय-समय पर अनुस्मारक भेजे गये। कालांतर में मिल बन्द हो गई। इसकी देखरेख के लिये आफीशियल रिसीवर नियुक्त किया गया। बकाया की वसूली के लिये विभाग की ओर से क्लेम रजिस्टर कराया गया किन्तु आफीशियल रिसीवर ने आपत्ति की कि इसके लिये हाई कोर्ट की अनुमति आवश्यक है। इस पर जिला अधिकारी, आगरा ने हाई कोर्ट में १८-१२-१९६४ को आवेदन पत्र भेज कर अनुमति की याचना की। यह अनुमति अभी तक अपेक्षित है। जिला अधिकारी, आगरा, ने २५-५-१९६५ को पुनः इस विषय में अनुस्मारक भेजा है।

उपरोक्त धनराशि के अतिरिक्त १-२-१९६४ से ३-६-१९६५ तक १८ प्रतिशत की दर से इस मिल पर २८,८४४ रु० ४० पैसे का ब्याज भी बाकी है।

*३६--श्री बालोजी अग्रवाल--

[२५ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

बलरामपुर तहसील में अग्नि-पीड़तों को सहायता

*३७--श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में सन् १९६४ में आग से जले हुए लोगों के कितने ग्रामों के जलने की सूचना सरकार को मिली थी ? उनमें किन को क्या-क्या सहायता दी गई और शेष को न दिये जाने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

तहसील बलरामपुर, जिला गोंडा में सन् १९६४ में २०७ ग्रामों में आग लगने की सूचना सरकार को मिली थी। इनमें से २१ ग्रामों के ६८ व्यक्तियों को ९०८ रु० की अहेतुक सहायता दी गई। स्थिति को देखते हुए सहायता आवश्यकतानुसार बांटी गई।

*३८--श्री सुखदेव प्रसाद--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि सन् १९६५ माह जनवरी से मई तक उक्त तहसील में कितने ग्रामों की आग लगने की जांच कब हुई तथा उन्हें क्या-क्या सहायता दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सन् १९६५ माह जनवरी से मई तक उक्त तहसील के ७३ ग्रामों में आग लगी। सभी प्रभावित ग्रामों में अग्निकान्ड की जांच सूचना प्राप्त होने के दिनांक से एक

सप्ताह के भीतर की गई। ६ ग्रामों में २६ व्यक्तियों को ३९० रु० की अहेतुक सहायता दी गई। सहायता आवश्यकतानुसार प्रदान की गई।

अकबरपुर तहसील के हाते में शौचालय

*३९—श्रीमती रामरती (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला फैजाबाद की अकबरपुर तहसील के हाते में जहां पर शाही इमारत है उस जगह पर तहसील के किस कर्मचारी द्वारा शौचालय १९६४ में बनवाया जा रहा था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह शौचालय वहां एक जेड० ए० सी० कर्मचारी तथा एक लेखपाल द्वारा जनवरी, सन् १९६५ में बनवाया जा रहा था।

*४०—श्रीमती रामरती—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी ने शौचालय बनवाने के लिये जिलाधीश से आज्ञा ली थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

दातागंज तहसील में चकबन्दी

*४१—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

दिनांक २३ अप्रैल, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या १६ (नत्थी घ) के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो चक नियमानुसार बताये गए हैं उनकी लम्बाई व चौड़ाई एवं क्षेत्रफल मौके पर क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०९६ पर।)

विधायक निवास में पानी की कमी

*४२—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में विधायक निवास फेमली सूट अ/३ और अ/४ जो ऊपर दर में हैं, उसमें गर्मी के तथा अन्य दिनों में पानी की काफी कमी रहती है उसको दूर करने हेतु अभी तक क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कमी दूर होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

विधायक निवास नं० ४ में फेमली सूट्स में पानी की कमी दूर करने के लिये सन् ५८-५९ में काफी बड़ी टंकियां हर कक्ष के लिये लगवा दी गई थीं जिनसे पानी जमा रह सके और जब पानी का दबाव कम हो तब पानी की असुविधा न हो।

बहराइच जिले में लगान वसूली

*४३—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बहराइच में चकबन्दी के उपरान्त कृषकों पर उनकी उस भूमि का जिसका लगान दे चुके हैं पुनः ८—८ वर्षों का बकाया लगान निर्धारित करके वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। जिन्होंने लगान दिया है उनसे नहीं वसूल हो रही है। अगर किसी ने नए सीरदारी अधिकार प्राप्त किये हैं तो उससे वसूली होती है।

*४४—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि किसी सी० ओ० ने दो वर्ष का, किसी ने तीन वर्ष का तथा किसी ने आठ-आठ वर्षों का बकाया लगान निर्धारित किया है ? यदि हां, तो भिन्नता का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिस वर्ष से सीरदारी अधिकार सिद्ध होते हैं उसी साल से लगान भी निर्धारित होता है। इस कारण भिन्नता हो सकती है।

*४५—श्री रामअधार कनौजिया—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अलीनगर, परगना फखरपुर के किन-किन कृषकों पर कितना-कितना तथा कितने-कितने वर्षों का बकाया लगान निर्धारित किया है तथा किस आधार पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। अदालती तरीके से चकबन्दी न्यायालयों द्वारा नई सीरदारी प्राप्त होने पर लगान निर्धारित किया जाता है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०९७ पर)

खसरा के खाना कैफियत में काबिज लिखने का अधिकार

*४६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो लेखपाल काबिज सम्बन्धी इंदराजात करते थे उसमें सरकार ने कोई संशोधन किया है ? यदि हां, तो वह क्या है और अब किसके द्वारा यह कार्य होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। सरकार ने लेखपाल के खसरे के खाना कैफियत में काबिज लिखने का अधिकार समाप्त कर दिया है। अब सुपरवाइजर कानूनगो मौके पर जाकर जांच करने के बाद काबिज का इंदराज करेंगे। भूलेख नियमावली में इसके लिये आवश्यक संशोधन कर दिये गये हैं।

रसूलाबाद के कृषकों की सड़क में हस्तगत भूमि का मुआवजा

*४७—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकलौंसी संडीला रोड में पड़ने वाली जमीन ग्राम रसूलाबाद जिला उन्नाव में किन-किन किसानों को कितनी-कितनी जमीन हस्तगत की गई थी और उनको कितना-कितना मुआवजा दिया गया ? यदि नहीं दिया गया तो क्यों और मुआवजा देने की क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

ग्राम रसूलाबाद, जिला उन्नाव में चकलौशी संडीला मार्ग निर्माण करने के लिये जिन कृषकों की भूमि ली गई है उसका ब्यौरा संलग्न अनुसूची में दिया हुआ है।

अनुसूची में वर्णित भूमि कृषकों से आपसी तौर पर वार्ता के आधार पर ली गई है और उसके मुआवजे को आपसी बातचीत द्वारा तय करने में समय लगा है। अब मुआवजा निश्चित हो चुका है और उसके वितरण करने की कार्यवाही की जा रही है ?

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०९८–१०९९ पर।)

रुद्रपुर–नगवां सड़क में हस्तगत भूमि का मुआवजा

*४८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में देवरिया तहसील में रुद्रपुर—नगवा सड़क ली गई भूमि का मुआवजा १२ वर्ष बाद भी न देने का क्या कारण है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

इस सड़क के लिये ली गई भूमि की लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अन्तर्गत अध्याप्ति की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है। यह कार्यवाही पूरी होने के पश्चात् मुआवजा देने की कार्यवाही की जायगी।

राजकीय बालिका महाविद्यालय, आजमगढ़

*४९—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ शहर के राजकीय बालिका महाविद्यालय के लिये सरकार ने कोई भूमि एक्वायर करने का निश्चय दिसम्बर, १९६४ में किया था ? यदि हां, तो क्या अब प्रस्तावित जमीन में से कुछ जमीन छोड़ने का इरादा सरकार कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बेहटा के अग्निपीड़ितों को सहायता

*५०—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फर्रुखाबाद जिला कन्नौज तहसील के परगना तिरवा के ग्राम बेहटा में आग लगने से ९ जून, १९६५ को ६२ मकानों के जलने की सूचना मिली है ? यदि हां, तो धन, जन एवं जानवरों का कितना नुकसान हुआ है ? तथा क्या तात्कालिक सहायता दी गयी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

९ जून, १९६५ के बजाय वास्तव में ८ जून, १९६५ को बेहटा ग्राम में आग लग गई थी जिसमें ६२ मकान प्रभावित हुए। लगभग १,८०,००० रुपये की क्षति हुई। ७ वर्ष के एक बच्चे की तथा ८ पशुओं की मृत्यु हो गई। प्रभावित व्यक्तियों को १८० रु० की अहेतुक सहायता एवं २,१०० रु० की तकावी दी गई।

पश्चिमी जिलों में बरसाती पानी का जमाव

*५१—श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को यह भी मालूम है कि पश्चिमी जिलों में मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि में गत वर्ष भी वाटर लागिंग बहुत हुआ जिसके कारण खरीफ की कोई फसल नाम मात्र के लिये भी नहीं हुई और गेंहूं भी करीब ३० फीसदी नहीं बोया जा सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला मुजफ्फनगर, मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी व एटा में गत वर्ष वाटर लागिंग हुआ परन्तु उसका प्रभाव ऐसा न था कि खरीफ की फसल नाममात्र को भी न हुई हो या गेंहूं ३० फीसदी भी न बोया गया हो ।

फैजाबाद जिला परिषद् में हरिजन अध्यापकों की नियुक्तियां

*५२—श्रीमती रामरती—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कमिश्नर फैजाबाद को विधायकों द्वारा इस आशय का पत्र १९६४ में दिया है कि फैजाबाद जिला परिषद् में सरकार द्वारा १८ प्रतिशत हरिजन अध्यापकों की पूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो उस पर कमिश्नर महोदय ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कैलाशप्रकाश—

माननीया सदस्या तथा श्री सुखराम दास विधायक का एक पत्र आयुक्त, फैजाबाद मंडल फैजाबाद को दिनांक १५ सितम्बर, ६४ को प्राप्त हुआ था ।

आयुक्त ने मामले पर छानबीन की और यह पाया कि नये अध्यक्ष, जिला परिषद् द्वारा की गई हरिजन अध्यापकों की नियुक्तियां उनके लिये निर्धारित प्रतिशत से अधिक थीं ।

दारुलशफा में श्री हरिसरन वर्मा की भूमि

*५३—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर स्थित त्रिलोकनाथ मार्ग में जिस भूमि पर सर्वप्रिय भोजनालय स्थित है, यह भूमि शासन द्वारा कितने दिन के पट्टे पर किसको दी गई तथा पट्टे की अवधि कब समाप्त हो गई है ? इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है तो फिर अभी तक जमीन खाली क्यों नहीं कराई गई तथा कब तक खाली हो जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दारुलशफा में १५०० वर्ग फीट भूमि श्री हरिसरन वर्मा को सन् ५२ में १० वर्ष के पट्टे पर और १६२.५ वर्ग फीट भूमि सन् ५४ में ८ वर्ष के पट्टे पर दी गई थी । पट्टे की अवधि फरवरी, सन् ६२ में समाप्त हो गई । कार्यालय की भूल से अवधि समाप्त होने के बाद भी २ वर्ष का किराया श्री वर्मा ने जमा कर दिया । उन्हें भूमि खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है परन्तु उन्होंने भूमि खाली नहीं की है । इसलिये दीवानी में कार्यवाही की जावेगी ।

धानेपुर और श्रीनगर सड़क पर पुल की मरम्मत

*५४—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को यह पता है कि धानेपुर और श्रीनगर जिला गोंडा के बीच सार्वजनिक सड़क का एक पुल टूट गया है ? क्या सरकार उसे शीघ्र ही बनवाने की कृपा करेगी जिससे जनता को बरसात के समय परेशान न होना पड़े ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

प्रश्नगत पुल पुराना था और उसमें दरारें पड़ गई थीं इसलिये इसकी मरम्मत आवश्यक थी और इसके पटरे व बीम बदले गये। इस बीच इस पुल पर यातायात बन्द रहा। मरम्मत के बाद यह पुल १ जुलाई, १९६५ से यातायात के लिये खोल दिया गया है।

नार्मल स्कूल, उतरौला की बिल्डिंग

*५५—श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार द्वारा नार्मल स्कूल, उतरौला जिला गोंडा की बिल्डिंग बनने की योजना सरकार से स्वीकृत भी हो गई थी लेकिन अभी तक न बनने का क्या कारण है और यह कब तक बन जायेगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी हां। उतरौला जिला गोंडा में नार्मल स्कूल के भवन निर्माण की योजना स्वीकृत कर गई है किन्तु कोई उपयुक्त साइट न मिलने के कारण निर्माण कार्य स्थगित है। साइट उपलब्ध होने पर ही विद्यालय का भवन निर्माण कराने की दिशा में प्रगति संभव है।

*५६—श्री सुखदेवप्रसाद—

[२४ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

विकास खण्ड, दहगवां में शिक्षा प्रसार

*५७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे जिला बदायूं के विकास खंड दहगवां में सरकार अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किसी भी क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने हेतु प्राविधान नहीं है।

गाजीपुर जिले में चकबन्दी

*५८—श्री रघुवीर राम (जिला गाजीपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत सी० ओ० सर्किल के अन्दर बहादुरगंज, बहादुरगंज मुतालिक पट्टी गढ़ चकबन्दी एरिया के संबंध में राजस्व मंत्री के नाम से दिनांक ८ अप्रैल, १९६५ को एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें गाजीपुर के सभी एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० के हस्ताक्षर हैं ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। इन गांवों की कार्यवाही कागजात दुरुस्ती के आगे रोक दी गई है। चकबन्दी आयुक्त इन्हें चकबन्दी से अलग करने के बारे में भी शीघ्र ही निर्णय लेंगे।

कानूनगो प्रशिक्षण स्कूल, हरदोई

*५९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मंत्री जी कृपया यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कानूनगो प्रशिक्षण स्कूल हरदोई, वर्ष १९६२-६३, १९६३-६४, १९६४-६५, में बन्द रहा और वर्ष

१९६५–६६ में उसका चलना संदिग्ध है, यदि हां तो इसका प्रभाव विभागीय अप्रशिक्षित कानूनगो वर्ग पर क्या पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं स्कूल दूसरे अहलकारों के लिये खुला रहा। नये कानूनगो नहीं भर्ती किये न ६५–६६ में किये जाने की संभावना है क्योंकि जगह नहीं हैं। अप्रशिक्षित कानूनगो पुराने लेखपाल हैं। जो स्थानापन्न रूप से कानूनगो का काम कर रहे हैं।

बाजपुर तहसील में दफा ४४७ के मुकदमे

*६०—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बाजपुर, जिला नैनीताल में १ अप्रैल, १९६४ से ३० जून, १९६५ तक कितने मुकदमें ४४७ ता० हि० के मातहत किन-किन माल अधिकारियों ने किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ चलाये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस अवधि में माल विभाग के कर्मचारियों ने ७ रिपोर्टें धारा ४४७ ताजीराते हिन्द के अन्दर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शेष सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ ११०० पर)

मेहदावल–करमइती सड़क की जमीन का मुआवजा

*६१—श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी जिला बस्ती में पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क मेहदावल से करमइती के लिये जो नई बन रही है, उस पर कितनी भूमि अधिगृहीत की गई और कितना मुआविजा दिया गया है ? कितना बाकी है ?

६२—क्या सरकार कृपया जांच कर बतायेगी कि उपरोक्त सड़क में बैरिहना आदि गांव में जो जमीन निकली है उसका मुआवजा अभी तक कुछ नहीं दिया गया है ? उसे तत्काल दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

यह सड़क ग्रामीण जन शक्ति योजना के अन्तर्गत बन रही है। यह तय किया गया था कि इस योजना के अन्तर्गत कार्यों के लिये भूमि मूल्य रहित ली जाय। प्रश्नगत सड़क के लिये भूमि जिला नियोजन अधिकारी ने मूल्य रहित प्राप्त की। किसी काश्तकार ने इस पर आपत्ति नहीं की। अतः मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में गोमती बाढ़ नियंत्रण योजना

*६३—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि लखनऊ शहर को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने के लिये अब तक क्या क्या उपाय किये गये हैं ? और अब तक कितने रुपये बाढ़ योजना पर व्यय हो चुके हैं और कुल कितने रुपये अभी और व्यय होने वाले हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

लखनऊ शहर को गोमती नदी की बाढ़ से बचाने की २.९६ करोड़ (दो करोड़ छियानबे लाख) रुपये की योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत कुकरैल नाले पर बांध

का निर्माण तथा मोती महल के पास दीवार का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष कार्यों की प्रगति संलग्न अनुसूची में दी हुई है।

इस योजना पर जुलाई, १९६५ तक चौरानवे लाख रुपये व्यय हो चुके हैं और दो करोड़ दो लाख रुपये व्यय होने बाकी है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११०१–११०२ पर)

चन्दौली तहसील से श्री मुंशीराम का शिकायती-पत्र

*६४—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको जुलाई सन् १९६५ के ५ तारीख से १० तारीख के बीच मुंशी, पुत्र सरजू, निवासी ग्राम लवन्डा, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है कि उस हलके के कलेक्शन अमीन एवं चपरासी ने बकाया मालगुजारी के सिलसिले में उसके बैल को मवेशी खाने में ले जाते समय अत्यधिक मारा और वह मवेशीखाने में पहुंचाने से पहले ही मर गया, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। उक्त प्रार्थना-पत्र पर कलेक्टर, वाराणसी को जांच करके रिपोर्ट भेजने का आदेश हुआ था। कलेक्टर, वाराणसी को मुंशीराम के और भी प्रार्थना-पत्र इस शिकायत के संबंध में पहले प्राप्त हो चुके थे। शिकायत की जांच हाकिम परगना, चन्दौली ने की। दो बैल दिनांक ३–७–१९६५ को वसूली के सिलसिले में कुर्क हुए थे जिसमें से एक प्रार्थी के पिता का था। दोनों बैल दिनांक ३–७–६५ को सुपुर्दगी में दिए गए। प्रार्थी ने अपना बैल दिनांक ४–७–१९६५ को जीवित देखा था। तीसरे पहर यह बैल मरा पाया गया। मृत्यु आकस्मिक प्रतीत होती है। दूसरा बैल छुड़ा लिया गया है। हांकने के लिये बैलों को साधारण प्रकार से प्रताड़ित किया गया था। प्रार्थी ने लिखा है कि उसने इस घटना की सूचना चन्दौली थाने में भी लिखित दरख्वास्त के रूप में दी है। अमीन के खिलाफ बैलों को कांजी हाउस में न रखने की गलती के लिये कलेक्टर विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं।

*६५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

[हटा दिया गया।]

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए केन्द्रीय सहायता

*६६—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेशीय सरकार चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को पूरा करने के लिये भारत सरकार से कितना रुपया मांग रही है और कितना रुपया भारत सरकार देने को तैयार है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

राज्य सरकार ने योजना आयोग के समक्ष १४०५ करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी जिसमें परिव्यय के ८० प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता की अपेक्षा की गई थी। किन्तु अभी तक भारत सरकार ने इस विषय पर निर्णय नहीं लिया है।

सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर

*६७—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के कर्मचारियों के वेतन तथा सेवा संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग की ओर से कब विवरण उक्त विद्यालय से मांगा गया था तथा उक्त विद्यालय से उक्त विवरण विभाग को प्राप्त होने में विलम्ब का कारण क्या था और विभाग को जो विवरण प्राप्त हुआ है, वह क्या है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजीपुर से सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर का वेतन तथा सेवा संबंधी विवरण २० अक्तूबर, १९६४ को मांगा गया था। यह विवरण २७ नवम्बर, १९६४ को प्राप्त हुआ। अतः इस संबंध में विलम्ब के कारण का प्रश्न नहीं उठता।

विवरण की एक† प्रति संलग्न है।

जिला टेहरी गढ़वाल में नवीन विद्यालयों की मांग

*६८—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला उत्तरकाशी)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टेहरी गढ़वाल में डांगचौरा किलकिलेश्वर और रामाश्रम (जरखोली) में शासन की ओर से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कब खुलेंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अतएव, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता।

*६९—श्री विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त स्थानों की ओर से उन्हें तथा प्रदेश के अन्य शिक्षा अधिकारियों को शिष्ट मन्डल लिखित प्रतिवेदन कितने और कब-कब मिले हैं ?

श्री कैलाशप्रकाश—

डांगचौरा के संबंध में शासन को एक प्रतिवेदन दिनांक ४ अप्रैल, १९६५ को मिला। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

*७०—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया लड़कियों के लिये जे० टी० सी० दीक्षा विद्यालय, देव प्रयाग या नरेन्द्र नगर में खोलने का आदेश देंगे ?

श्री कैलाशप्रकाश—

शीघ्र उपयुक्त भवन व स्थान उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकता है।

---

†छापी नहीं गई।

जूनियर हाई स्कूल, देवरिया गंगा के अध्यापक राजेन्द्रसिंह को जेल

*७१—श्री श्यामलाल—

क्या शिक्षा मंत्री निम्नांकित सूचना देने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती, तहसील खलीलाबाद के अन्तर्गत देवरिया गंगा नामक गांव के एक राजेन्द्र सिंह, पुत्र लल्लन सिंह को, १४७, ३४२, ४५२, भा० दं० वि० के अन्तर्गत ६ महीने की सजा हुई है? और क्या जुलाई सन् १९६४ के दिसम्बर सन् १९६४ तक बस्ती जिला जेल में सजा काट चुके हैं?

श्री कैलाशप्रकाश—

जिला परिषद, बस्ती से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र सिंह धारा १४७ तथा ४५२ भारतीय दन्ड विधान के अन्तर्गत दिनांक २१ सितम्बर, ६४ से ३१ दिसम्बर, ६४ तक जेल में रहे।

*७२—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को मालूम है कि वही राजेंद्र सिंह देवरिया गंगा जूनियर हाई स्कूल में जेल जाने और सजा काटने के पहिले अंग्रेजी अध्यापक थे और १ जनवरी, सन् १९६५ को जेल से छटकर आने पर सजा की अवधि का पूरा वेतन मेडिकल ग्राउन्ड्स पर जिला परिषद्, बस्ती के अध्यक्ष से मिल कर ले लिया है? यदि हां, तो यह क्यों?

श्री कैलाशप्रकाश—

श्री राजेंद्र सिंह, जूनियर हाई स्कूल देवरिया गंगा में अंग्रेजी अध्यापक थे। इन्हें जेल में रहने की अवधि का कोई वेतन नहीं दिया गया।

दारुलशफा "बी" ब्लाक मोटर गैरेज

*७३—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दारुलशफा बी-ब्लाक मोटर गैरेजों के बिजली का करेंट काट दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मोटर तथा मोटरों का सामान इत्यादि रात्रि में रखने-रखाने में असुविधा होती है? यदि हां, तो क्या सरकार मोटर गैरेजों के बिजली का करेंट यथाशीघ्र जोड़ने की कृपा करेगी जिससे मोटर इत्यादि रखने-रखाने में असुविधा न हो? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दारुलशफा "बी" ब्लाक के गैरेजों को जिस लाइन से बिजली मिलती थी उसे काट दिया गया है क्योंकि गैरेजों का तथा बिजली की सुविधा की दुरुपयोग होता था। गैरेजों में बिजली न होने से मोटर खड़ी करने में कोई विशेष असुविधा नहीं होती। शासन का विचार इन गैरेजों में बिजली देने का नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

हरिजन प्रिंसिपल

१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

१९ फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न ४६ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १८ संरक्षण होने व बी०ए० एवं एम०ए० पास अनेक हरिजन उपलब्ध होने

के बावजूद प्रदेश की राजकीय हाई स्कूलों व इंटर कालेजों के १०४ प्रिंसिपलों म से एक केवल ही हरिजन प्रिंसपल तथा राजकीय दीक्षा विद्यालयों के १२४ प्रधानाचार्यों में से केवल ४ ही हरिजन प्रधानाचार्य रखने का क्या कारण है ?

श्री कैलाशप्रकाश—

योग्य हरिजन अभ्यर्थियों का प्रर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना ।

२—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १९ फरवरी, १९६५ के प्रश्न ४७ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सचिवालय के ६ अधिकारियों व शिक्षा निदेशालय के ३६ अधिकारियों में से एक भी हरिजन न रखना और शिक्षा सचिवालय के १२९ कर्मचारियों में केवल ६ हरिजन तथा शिक्षा निदेशालय से ६६० कर्मचारियों में केवल २४ हरिजन रखना क्या हरिजन संरक्षण देने का परिचायक है ? यदि नहीं, तो क्या अब उक्त पदों में हरिजन संरक्षण पूरा करने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री कैलाशप्रकाश—

सचिवालय के शिक्षा विभाग तथा शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जो संख्या बताई गई है उनमें वे पद जिन पर भरती प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा होती है, उनमें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित प्रतिशत में पद आरक्षित किये जाते हैं। जहां तक सचिवालय शिक्षा विभाग का संबंध है, भरती सारे सचिवालय के लिये की जाती है न कि किसी विशेष विभाग के लिये। अतः प्रत्येक विभाग में निर्धारित प्रतिशत में अनुसूचित जाति के अधिकारी एवं कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है ।

३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

उक्त दिनांक १९ फरवरी, १९६५ के प्रश्न ५६ के ही उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६५ की सालाना परीक्षा में सभी असफल १३ हरिजन छात्रों को दाखिल न रखके केवल ८ ही हरिजन छात्रों को दाखिल रखने और पूर्व उत्तरों में किसी को भी न निकालने की घोषणा करने का मुख्य कारण क्या है और किन हरिजन छात्रों को निकाला गया था ?

श्री कैलाशप्रकाश—

जो असफल हरिजन छात्र प्रवेश लेने के हेतु विद्यालय में उपस्थित हुए उन सभी छात्रों को दाखिल कर लिया गया । जो असफल हरिजन छात्र प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं थे और उचित समय पर विद्यालय में दाखिले के लिये उपस्थित नहीं हुए, उनके दाखिले का प्रश्न नही नहीं उठता । किसी भी असफल हरिजन छात्र को विद्यालय से निकाला नहीं गया ।

आगरा–कड़ा मार्ग

४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने इस बात की सिफारिश केन्द्रीय सरकार से की है कि आगरा–कड़ा (इलाहाबाद) मार्ग का निर्माण केन्द्रीय सरकार चौथे पंच वर्षीय योजना में करे ? यदि हां, तो उक्त संबंध में क्या परिणाम रहा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के पीछे का इतिहास, उसकी उपयोगिता व जन सुविधा का ध्यान रखते हुये ऐसी शिफारिश निकट भविष्य में करने की कृपा करेगी ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं ।

आगरा–इटावा–कानपुर फतेहपुर–इलाहाबाद राष्ट्रीय मार्ग है। इससे कड़ा २ मील पक्की (वाटर बाउन्ड) सड़क द्वारा मिला हुआ है। अतः कड़ा तक किसी अन्य राष्ट्रीय मार्ग का बनाना इस समय सम्भव नहीं है।

लखनऊ में यातायात संकेतक शीशे

५—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जब हिन्दी (नागरी) को प्रान्तीय सरकार द्वारा राष्ट्र भाषा माना जा चुका है उसके उपरान्त भी लखनऊ के प्रमुख चौराहों पर अंग्रेजी भाषा में ही "स्टाप" 'गो' का प्रयोग अब तक किया जा रहा है, जिसके कारण अंग्रेजी भाषा का बड़ी मात्रा में आज भी प्रचार हो रहा है? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

विद्युत् संचालित यातायात संकेतक के शीशे जो मंगवाए गए उन पर अंग्रेजी भाषा में "स्टाप" और "गो" शब्द खुदे हुये थे और उनको उसी रूप में प्रयोग किया गया। मई, १९६५ के सरकारी आदेशानुसार अब इन शीशों पर लिखित संकेत हिन्दी में परिवर्तित किये जा रहे हैं।

कानपुर, बरेली, मुरादाबाद के कालेज अध्यापकों की निर्वाह निधि

६—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ३१ दिसम्बर, १९६४ तक कितनी धनराशि डी० ए० वी० कालेज, कानपुर, बरेली कालेज, बरेली, के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के अध्यापकों की निर्वाह निधि में जमा थी और क्या यह धनराशि राजकीय प्रतिभूति में विनियुक्त है? यदि हां, तो किस व्याज की दर से? यदि नहीं, तो किस प्रकार विनियुक्त है?

श्री कैलाशप्रकाश—

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११०३ पर)

७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त शिक्षा संस्थाओं ने उपरोक्त निधि को नियम विरुद्ध मनचाहे ढंग से निजी व्यापार अथवा अन्य कार्यों में लगा रखा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कैलाशप्रकाश—

जी नहीं।

दीक्षा विद्यालय केराकत व मड़ियाहूं

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जिले में स्थित राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत व मड़ियाहूं से प्रत्येक से सन् १९६४–६५ में कितने विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये तथा दिनांक ७ जून तक उनमें से कितनों की नियुक्तियां हो गयीं?

श्री कैलाशप्रकाश—

सत्र १९६४–६५ में जौनपुर जिले में स्थित राजकीय दीक्षा विद्यालय, केराकत से ५६ तथा राजकीय दीक्षा विद्यालय, मंड़ियाहूं से ४४ अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उपरोक्त में से ७ जून, १९६५ तक कोई भी नियुक्ति नहीं हुई थी।

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६५ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक ५ अगस्त, १९६५ की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक १६ अगस्त, १९६५ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक २८ अगस्त, १९६५ को प्राप्त हो गई है और वह सन् १९६५ का उत्तर प्रदेश का १६ वां अधिनियम बन गया।

श्री रामचन्द्र विकल द्वारा अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

माननीय विकल जी की शिकायत है कि वह किसी विषय पर बोलना चाहते थे, उस समय माननीय रामायण राय जी दौड़ कर आय और कहा कि मुख्य सचेतक का आदेश है कि आप इस विषय पर न बोलें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का हस्तक्षेप स्वतंत्रतापूर्वक सदन का कार्य करने में बाधक है। माननीय रामायणराय जी का उत्तर में कहना है कि पार्टी का जो आदेश था उसके अनुसार उन्होंने उनको सूचना दी थी और उसी के अनुरूप निवेदन किया था। (श्री रामचन्द्र विकल से) आप को इस संबंध में कुछ कहना है?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मान्यवर, आप माननीय विकल जी को सुन रहे हैं। आपने पढ़ कर भी सुनाया जो माननीय रामायणराय जी ने लिखा है कि मुख्य सचेतक की आज्ञा से मने उनसे कहा तो क्या आप दोनों को अभियुक्त बना रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

पार्टी के आदेशानुसार उन्होंने एक बात कही। आप कहते हैं कि माननीय रामायणराय जी ने ऐसी बात कही।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या आप इसको ले रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—

इस समय तो मैं सम्मति दूं या नहीं, यह विचार जानना चाहता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल—

अध्यक्ष महोदय, ३१ तारीख को जिस समय आप के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव के लिये अनुज्ञा मांगने का विवाद सदन में चल रहा था उस समय सदन के सभी माननीय विरोधी दल

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

के सदस्य बोल रहे थे और कांग्रेस दल की तरफ से माननीय रामायणराय और कल्पनाथ सिंह जी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उस समय में भी अपनी राय सदन को देना चाहता था। जिस समय म खड़ा हुआ उस समय माननीय रामायण राय जी आये और खाली उन्होंने यही नहीं कहा कि यह मुख्य सचेतक का आदेश है बल्कि धमकी भरे शब्दों में अभद्र व्यवहार किया।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो लिख कर भेजा है उस में यह नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल—

आप सुनते ही नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप कहिये जरूर। लेकिन आपने जो लिख कर भेजा है उसमें 'अभद्र' शब्द नहीं लिखा है।

श्री रामचन्द्र विकल—

श्रीमन्, वे बड़े आवेश में और गुस्से में थे। मैंने उनसे कहा कि मुख्य सचेतक का आदेश लिखित दीजिये। मैं यह आज्ञा नहीं मानता, यह मेरा अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन के अन्दर पार्टी के आदेशानुसार कोई ऐसा व्हिप आ सकता है? मैं समझता हूं कि किसी पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ होगा। सदन में लिख कर पहले से कोई बात आती है। सदन में बजट के ऊपर या किसी भी मौके पर सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का दूसरा मौका मिलता है। मैं एक उदाहरण उपस्थित कर सकता हूं जब कि विरोधी से विरोधी भाषण कांग्रेस सदस्यों ने गवर्नमेन्ट के खिलाफ किये। लेकिन आपके अविश्वास के प्रस्ताव का मामला तो गवर्नमेंट का नहीं था। मैं नहीं जानता कि इसमें कोई पार्टी का मसला था। यह तो आपके ऊपर अविश्वास के प्रस्ताव का सवाल था तो इसमें कैसे व्हिप आ सकता है? मैं चाहता हूं कि प्रश्न विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि यह निश्चित हो जाय कि व्हिप कब लाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि यह मेरी उचित मांग है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत साफ बात हो गई। जब माननीय रामायण राय जी ने लिख कर दिया है कि हमने ऐसा कहा है यानी वे खुद जुर्म का इकबाल करते हैं तो सीधे इसे प्रिविलेज कमेटी को दे देना चाहिये। यह प्राइमाफेसी केस है। उन्होंने लिखित दे दिया है। अब आपको भी निश्चित करने को नहीं रहता है कि प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री वीरसेन (जिला मेरठ)—

प्वाइंट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, नियम ६४ और ६७ आप देखने का कष्ट करें। इन दोनों नियमों में यह व्यवस्था है कि कोई सदस्य अगर सूचना देगा और सूचना देने के बाद अध्यक्ष यदि सम्मति देंगे तब कोई जिक्र आ सकता है। तब किसी सदस्य को एक्सप्लेनेशन देने का मौका हो सकता है। मैं जानना चाहता हूं कि नियम ६४ और ६७ के अन्दर इस कस को प्राइमाफेसी मान कर आपने सदन में अनुमति दे दी है?

श्री अध्यक्ष—

नियम ६७ में यह है—"यदि नियम ६४ के अन्तर्गत अध्यक्ष अपनी सम्मति दें तो वे उस मामले को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट करके सदन को यह सूचना दे सकेंगे अथवा प्रश्नों के अन्दर तथा कार्य सूची का कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व वे शिकायत करने वाले सदस्य से अतिरिक्त स्पष्टीकरण क लिए कह सकेंगे। तत्पश्चात् सदस्य अपनी शिकायत, यदि कोई दस्तावेज हो तो उसक सहित, सदन के सम्मुख पढ़ेगा तथा एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकगा। अध्यक्ष, यदि आवश्यक हो तो किसी अन्य सदस्य को सुनने के उपरान्त, यह निश्चित करेंगे कि क्या शिकायत नियमित है .....

किन्तु जब अध्यक्ष ने नियम ६४ के अन्तर्गत सम्मति देने से इनकार कर दिया हो या उनकी राय हो कि चर्चा के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल नहीं है, तो वे शिकायत को सदन में पढ़ कर सुना सकेंगे और कह सकेंग कि वे सम्मति देने से इनकार करते हैं या वे उसको नियमानुकूल नहीं ठहराते।"

मैंने माननीय विकल जी से आग्रह किया था कि वह मेरे कक्ष में आने की कृपा करें लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। वह कहते हैं कि यहीं सदन में कहूंगा। तो मैंने कहा यहीं सुन लूंगा, माननीय मैनेजर सिंह या किसी अन्य सदस्य को भी सुन लूंगा, उसके बाद निर्णय करूंगा कि सम्मति देता हूं या नहीं।

*श्री रामायण राय—

अभी जिन शब्दों में माननीय वक्ता महोदय ने जिन्होंने मेरे विरुद्ध शिकायत की है, जो कुछ मैंने किया था उसके सम्बन्ध में सदन को जो सूचना दी, उस पर तो मैं दुख प्रकट करता हूं। उनका यह कथन है कि उनके जैसे एक माननीय सदस्य के साथ मैंने धमकी भरे शब्दों में सूचना दी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं यह कहूं यह निराधार है, असत्य है। किन्तु मान्यवर, इतना अधिकार मुझे अवश्य है कि जो मैंने किसी विशेष पद से माननीय सदस्य को वह सूचना दी, उससे अगर उनको क्लेश है तो उनसे अधिक क्लेश मुझे है। क्योंकि, मान्यवर आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि हमारे दल ने एक विशेष कार्य की जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। यदि मेरे किसी कार्य से हमारे दल के किसी माननीय सदस्य को ठेस पहुंची है, तो मुझे दुःख है। लेकिन, मान्यवर, इन प्रश्नों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, मैं ऐसा समझता हूं, मान्यवर, आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि संसदीय जनतंत्र में दलीय व्यवस्था है और दलों के साथ साथ उनका अनुशासन होता है। जब कोई माननीय सदस्य किसी दल विशेष की सदस्यता स्वीकार करता है, तो सदस्यता स्वीकार करते हुए उसमें अन्तर्निहित है कि वह अपने को उस दल के अनुशासन से भी बांध देता हूं। मैंने दलीय अनुशासन के अधीन इस कार्य को किया और मैं ऐसा समझता हूं, मान्यवर, आप यदि अपनी ऐसे अवसरों पर दिये गये रूलिंग्स को देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को स्वीकार करेंगे कि सदन में रहते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को अपने विचारों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का पूरा-पूरा अधिकार है। कोई भी दलीय अनुशासन यदि कोई माननीय सदस्य उस अनुशासन से अलग हटकर कोई बयान देता है या विचार प्रकट करता है, तो ऐसे कृत्य के लिये, कोई बाधता उस पर लागू नहीं करता। एक प्रकार से संकेत करता है वह कि हमारे सिद्धान्त, हमारी कार्य-पद्धति आप को अमुक प्रकार के आचरण की ओर ले जाने की तरफ आग्रह करती उसे स्वेच्छा है, चाहे तो उस दल के सिद्धान्तों और आदर्शों को स्वीकार करे। क्योंकि मान्यवर दलों की सदस्यता पात्रता के आधार पर नहीं होती....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप सूक्ष्म में कहिये, आप तो बहुत विस्तार में जा रहे हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह क्या कांग्रेस दल का जलसा हो रहा है या मीटिंग हो रही है, जो इस विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा हो रही है। यदि कहना ही है तो यह अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं, इतनी लम्बी चौड़ी बात क्यों कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

(श्री रामायण राय से) जो कुछ आप को कहना है उसे आप संक्षेप में कह दें।

श्री रामायण राय—

मैं केवल एक लाइन निवेदन कर दूं, फिर आप माननीय सदस्यों को सुनें। मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं कि जैसे ही कोई माननीय सदस्य किसी दल में आता है, उसके साथ, उस दल के साथ अनुशासित हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। यदि वह माननीय सदस्य उस अनुशासन के अतिरिक्त विपरीत आचरण करता है तो केवल इतना तो हो सकता है कि वह उस दल का सदस्य न रहे, लेकिन वह इस सदन में अपने विचार स्वतन्त्रता पूर्वक प्रकट कर सकता है, भले ही उससे दल का अनुशासन टूटता हो।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

बड़ी आप सिद्धान्त आदर्श और अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप का आदर्श उस समय कहां गया था जब कि आप पी० एस० पी० के मेम्बर के रूप में जनता द्वारा चुने जाने पर कांग्रेस में कुर्सी के लिये चले गये। आप जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, यदि आप को जाना था तो त्यागपत्र देकर जाना चाहिये था।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जिस जनता ने आप को वोट दिया था उसके अनुशासन को भूलकर आपने उसे धोखा दिया है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, आज आप के सामने जो प्रश्न आया है, उसके, मान्यवर, २–३ पहलू हैं। एक तो यह कि किसी माननीय सदस्य को जब वह खड़े हो कर बोलना चाहे तो रोकना मुनासिब है या नहीं? नम्बर दो पार्टी का सदन के अन्दर क्या व्हिप हो सकता है? नम्बर ३ माननीय रामायण राय जी ने जो कहा वह विशेषाधिकार की अवहेलना है या नहीं, श्री विकल जी की शिकायत जो है सो यह पार्टी का अपना अन्दरूनी मामला है और पार्टी का क्या व्हिप है इसका निर्णय करना आप के हाथ में नहीं है। यह पार्टी का अन्दरूनी अनुशासन है....

श्री उग्रसेन—

यह तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में होना चाहिये था यहां क्यों उठाया गया? अगर यह तिलोई हाउस में होता तो अच्छा होता। समय सदन का नाहक में नष्ट किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

समय नष्ट होने के बारे में कहने का आप का अधिकार नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय क्योंकि यह सदन कांग्रेस कमेटी का दफ्तर नहीं है जो यहां उस तरह से मामले तय किये जायं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आप के परामर्श का आभारी हूं।

श्री नवलकिशोर—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह पार्टी के अन्दर का व्हिप है इसका निर्णय पार्टी को करना चाहिये। यह मैं अवश्य महसूस करता हूं कि जो रूल्स के इंटरप्रिटेशन का सवाल है वह मामूली तौर से किसी पार्टी का सवाल नहीं होता। रूल्स का इंटरप्रिटेशन सही या गलत एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल जिमनास्टिक होता है और किसकी दलील आप को पसन्द आ जाय या स्वयं आपका इंटरप्रिटेशन हो जाय कोई नहीं जानता इसलिये जो नियम है उनका इंटरप्रिटेशन किसी पार्टी के अनुशासन के अन्दर नहीं आता। अब मैंने रामायण राय जी को भी सुना। उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर विकल जी को व्यथा पहुंची है तब उन को खेद है मैं समझता हूं कि अगर वह न टोकते तो ज्यादा अच्छा होता, उन को टोकना नहीं चाहिये था। अन्तिम बात यह कि यह पार्टी का अन्दरूनी मामला है, मैं विकल जी से भी प्रार्थना करूंगा कि मेम्बर्स को इतना टची नहीं होना चाहिये, विशेषाधिकार को अपनी एक सेंक्टिटी होती है और विशेष परिस्थितियों में वह उठाया जाता है और ऐसी छोटी-छोटी बातों में चाहे वह अनुचित भी हों अगर विशेषाधिकार की परिधि लागू कर दी जायगी तो फिर विशेषाधिकार की कीमत बहुत सस्ती हो जायगी और ऐसी सस्ते कीमत की चीज उसे न बनावें यह मैं विकल जी से प्रार्थना करूंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मुझे एक मिनट कहने की आज्ञा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने नियम पढ़कर सुनाया कि अभियोक्ता और अभियुक्त को तथा एकाध को और सुन लूं। अब पर्याप्त हो गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब विषय समाप्त कर दीजिये। अब कृपा कर के बैठ जाइये।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं स्मरण दिला दूं। आपने अभी घोषणा की थी कि मैनेजरसिंह को बुलाऊंगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, एक मिनट दे दें.....

श्री अध्यक्ष—

मेरे कमरे में कह दीजियेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

इतनी देर में तो मैं खत्म कर देता। एक मिनट ....

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप तो विद्वान हैं, एल० एल० एम० की परीक्षा दे रहे हैं, मुझसे मिल लीजियेगा, मैं आपको सुनूंगा।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने विकल जी को, आपके पक्ष में आने से इन्कार करने पर, उनको तो यहां बोलने का मौका दिया और उनको जो कुछ कहना था उन्होंने कह लिया, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक सदस्य के आग्रह पर तो आप उसे सदन में ही बोलने का मौका दे देते हैं और दूसरा सदस्य जब इसके लिये आग्रह करता है तो उसे मौका नहीं देते, तो यह भेद क्यों है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी में भेद नहीं करना चाहता हूं।

श्री उग्रसेन—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो लोग माननीय विकल की तरह से आपसे बात करने के लिये आपक कक्ष में जाने को तैयार नहीं हैं, वे क्या करें?

श्री अध्यक्ष—

वे मुझे लिख कर दे दें।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, ५ दिन पहले एक मंत्री के खिलाफ एक विशेषाधिकार की सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं आपको बतला दूंगा। (कुछ क्षण बाद) इस सम्बन्ध में मैंने माननीय मंत्री जी को लिख कर भजा था। वहां से सूचना आ गयी है, अब इसे ६ तारीख को लिया जायगा।

जब्त किये गये गल्ले का उपयोग न करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनाएं मैंने स्वीकार की हैं जो एक ही विषय की हैं। एक माननीय बसन्त सिंह की है और एक माननीय काशीनाथ मिश्र की है। इन दोनों को मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है। माननीय बसन्त सिंह जी की सूचना इस प्रकार है :—

"कुछ गल्ला व्यापारियों द्वारा गल्ले की बिक्री में बरती गई अनियमितताओं के कारण राज्य सरकार द्वारा सब मिला कर एक लाख मन से भी अधिक गल्ला जब्त किया गया। व्यापारियों पर की जा रही कार्यवाही अन्तिम रूप तक न पहुंचने के कारण गल्ला सरकारी गोदामों में ही सड़ रहा है। वर्षा क कारण अधिकांश गल्ला सड़ गया है। बाजार भाव पर न बेंच देने अथवा सरकार द्वारा स्वय न खरीद कर बिकवा देने से उक्त गल्ला सड़ रहा है तथा एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति हो रही है। एक ओर प्रदेश की नंगी तथा भूखी जनता एक-एक दाने अन्न के लिये कराह रही है, दूसरी ओर सरकार की ढिलाई के कारण १ लाख मन गल्ला सड़ जाय, यह अत्यन्त खेद की बात है।

इसके परिणामस्वरूप जनता में घोर असन्तोष एवं उत्तेजना व्याप्त है। अस्तु आपके माध्यम से लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय खाद्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराये जाने के अपने निश्चय की सूचना देता हूं।"

माननीय काशीनाथ जी की सूचना इस प्रकार है :—

"कानपुर तथा राज्य के अन्य भागों में जो लाखों मन गल्ला सरकार ने जखीरेबाजों के यहां से पकड़ा था, खुले बाजार में या राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से अभी तक नहीं बिकवाया गया। वह गल्ला गोदामों तथा अन्यत्र सरकारी सुरक्षा में सड़ रहा है, उसमें से अधिकांश अखाद्य हो गया है। राज्य में एक ओर तो अकाल, भुखमरी हो और दूसरी ओर लाखों मन अन्न सड़ जाय, यह शासन के निकम्मेपन का अजीब उदाहरण है। इस रवैये से आज जनता में घोर क्षोभ और असन्तोष है।

अतः लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर में सम्बद्ध मंत्री महोदय और इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

ये दो सूचनाएं हैं, इन पर मंत्री जी, वक्तव्य कब दिया जायगा ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

श्रीमन यह मामला तो अभी कोर्ट के अन्दर है। लेकिन जब आपकी आज्ञा है तो हाउस खुलने पर ६ तारीख को मैं वक्तव्य दे दूंगा।

कानपुर स्थित म्योर मिल तथा महेश्वरी जूट मिल के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब कानपुर स्थित म्योर मिल तथा महेश्वरी जूट मिल के बन्द होने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री रक्षपाल सिंह, श्री सन्तसिंह यूसुफ तथा श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं पर श्रम मंत्री का वक्तव्य होगा।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

श्रीमन्, नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय रक्षपाल सिंह जी ने कानपुर के सूती मिल मजदूरों की समस्या के सम्बन्ध में ही विवाद की मांग की है। तो यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या यह उचित नहीं होगा कि दोनों को एक साथ ही ले लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी, माननीय मंत्री जी का कहना यह है कि माननीय रक्षपाल सिंह जी ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, जो स्वीकार हो चुकी है, और जिस पर आज सायंकाल ५ बजे के बाद चर्चा होगी...

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आज के एजेन्डे को देख लें। उसमें केवल सूती मिल पर बहस है और इस प्रश्न के सम्बन्ध में कई जूट मिल और दूसरे शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह उनका सुझाव था। आप इसको स्वीकार करें तो ठीक है अन्यथा जैसा आप चाहेंगे हो जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

एक बात और है। जो माननीय रक्षपाल सिंह जी ने सूचना दी है उस सम्बन्ध में। यद्यपि आज ही सायंकाल को हमने उसको रखा है, लेकिन यह सम्भव हो सकता है कि जो हमारे सामने अनुपूरक बजट आ रहा है उसमें हमको अधिक समय की आवश्यकता हो। तो क्या यह सम्भव हो सकेगा कि इस ५३ वाले विषय को हम ६ तारीख को ले लें।

अनेक सदस्य—

६ तारीख को ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

इसी के साथ यह भी है कि क्या आप यह उचित समझते हैं कि इस विषय को भी उसके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

जी नहीं, इसको आज ही लिया जाय।

श्री बनारसीदास—

म्योर मिल तथा महेश्वरी देवी जूट मिल, कानपुर की श्रम-स्थिति से अभी कुछ दिन पूर्व में इस आदरणीय सदन को अवगत कर चुका हूं।

२—महेश्वरीदेवी जूट मिल की स्थिति का विवरण मैंने अपने १०-८-६५ के वक्तव्य में दिया था। अब इस विषय में कुछ और कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि गत ६१ अगस्त को मिल के प्रबन्धकों और श्रमिकों में राजीनामा हो गया है जिसके अनुसार पहली सितम्बर से मिल में काम चालू हो गया है। अब देखने की बात यही रह जाती है कि यह मिल सुचारु रूप से चलता है या नहीं, क्योंकि यदि यहां फिर वही पुरानी कठिनाइयां खड़ी होती हैं तो शासन को इसके बारे में कुछ करना ही होगा जिससे कि उत्पादन में व्यवधान न हो।

३—म्योर मिल की स्थिति में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। जैसा मैंने गत १७ अगस्त के वक्तव्य में इस आदरणीय सदन को बतलाया था, इस मिल में विवाद वाइंडिंग विभाग के श्रमिकों के कार्यभार के प्रश्न को लेकर उठा था। समाजवादी मजदूर सभा, कानपुर ने गत १३ जुलाई को एक नोटिस दिया था कि यदि नोटिस में दी गई मांगें पूरी न की गईं तो २९ जुलाई से मिल के हाई-स्पीड-वाइंडर और ग्रे-वाइंडर पुराने आधार पर काम करना आरम्भ कर देंगे। श्रमायुक्त, कानपुर ने २२ जुलाई को दोनों पक्षों की बातें करने के लिए बुलाया परन्तु श्रमिकों के किसी प्रतिनिधि के न आने के कारण कोई समझौता न हो सका। २९ जुलाई से हाई-स्पीड-वाइंडरों तथा ग्रे-वाइंडरों ने पुराने आधार पर काम करना आरम्भ कर दिया। प्रबन्धकों ने ३० जुलाई को मिल के कार्डिंग तथा स्पिनिंग विभाग के १८६ श्रमिकों की बैठकी कर दी। स्थिति में सुधार न होने के कारण बैठकी पर भेजे गए श्रमिकों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई जो आगे चल कर लगभग ४,४०० हो गई। मिल के कुछ विभागों में अब भी कुछ श्रमिक काम कर रहे हैं।

४—समाजवादी मजदूर सभा के नेता को श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा यह समझा दिया गया था कि कपड़े का काफी अधिक स्टाक जमा हो जाने के कारण मिल मालिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वे स्वयं मिल बन्द करने की सोच रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में किसी मांग को हड़ताल की धमकी पर प्रस्तुत करना उपयुक्त न होगा और न श्रमिकों के हित में ही होगा। परन्तु श्रमिक नेतृत्व को यह बात मान्य न हुई। मिल मालिकों ने १४७ ग्रे-वाइंडरों को मिल के स्थायी आदेशों के अधीन आरोप-पत्र देकर जांच होने तक सेवा से निलम्बित कर दिया।

५—गत १७ अगस्त को सेवा से निलम्बित किये गए श्रमिकों में से ९० ग्रे-वाइंडरों ने प्रबन्धकों को इस आशय का प्रार्थना-पत्र भी दिया है कि वे गत २८ जुलाई की स्थिति पर काम करने को तैयार हैं। प्रार्थना-पत्र में यह भी कहा गया है कि उनके वेतन, कार्यभार और बैठकी पर भेजे गए श्रमिकों के वेतन का मामला पंच-निर्णय को भेज दिया जाए और श्रमिकों को दिये गए आरोप-पत्र वापस ले लिये जायं। सेवायोजक श्रमिकों के कार्यभार तथा वेतन के अतिरिक्त और किसी मामले को पंच-निर्णय में भेजने के लिये तैयार नहीं हैं।

६—श्रम विभाग के अधिकारी अब प्रयत्नशील हैं कि दोनों पक्षों में कोई समझौता हो जाए। परन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है, इस मिल में काम बन्द होने का मुख्य कारण मिल का आर्थिक संकट है जिसके कारण मिल मालिक मिल चलाने के लिये उत्सुक प्रतीत नहीं होते और मिल का बन्द रहना एक प्रकार से वे अपने हित में ही समझते हैं। यह खेद की बात है कि श्रमिकों की ओर से ऐसा करने का अवसर दिया गया। यदि शीघ्र ही स्थिति में कुछ सुधार नहीं होता है तो शासन को सोचना होगा कि इस मिल को चलाने के लिये क्या उचित प्रबन्ध किया जाय।

७—गत २६ अगस्त को जे० जे० काटन स्पिनिंग तथा वीविंग मिल, कानपुर के प्रबन्धकों ने यह नोटिस लगाया था कि वर्ष १९६४ का बोनस ४ प्रतिशत के न्यूनतम दर पर देय होता है क्योंकि मिल को लगभग २,४८,००० रुपये का नुकसान हुआ है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि लेबर कमिश्नर के ८ अक्तूबर, १९६४ के एवार्ड के अनुसार सन् १९६२ तथा १९६३ का जो बोनस श्रमिकों को दिया जा चुका है वह भी सन् १९६४ के बोनस में समायोजित (ऐडजस्ट) किया जायगा। आगे यह भी कहा गया है कि गत सितम्बर, १९६४ में हड़ताल के कारण जो प्रबन्धकों को क्षति पहुंची थी उसका भी समायोजन (ऐडजस्टमेंट) सन् १९६४ के बोनस में किया जायगा। नोटिस वस्तुतः गत ३० अगस्त को ही मिला। प्रकट रूप से यह समायोजन (ऐडजस्टमेंट) की बात जो मिल के प्रबन्धकों द्वारा कही गई है वह समर्थनीय प्रतीत नहीं होती। फिर भी चूंकि एक विधिक प्रश्न उठाया गया है, शासन इस पर आवश्यक परामर्श लेकर उचित कार्यवाही करेगा।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो हड़ताल चली उसमें कुल कितने मैन डेज की क्षति हुई तथा कितने उत्पादन का नुकसान हुआ?

श्री बनारसीदास—

इसका ब्योरा तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक महीने से अधिक हड़ताल चली और उत्पादन का भी नुकसान हुआ। अब जितने मजदूर हों उनका गुणा कर लीजिये मैन डेज लास्ट का पता चल जायगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

जब मजदूरों का इतना नुकसान हो गया तब मंत्री जी ने इस विवाद को पंच निर्णय के लिये भेजा। तो मैं जानना चाहता हूं कि पहले ही सरकार ने इसे पंच निर्णय के लिये क्यों नहीं भेज दिया?

श्री बनारसीदास—

जूट मिल के अन्दर पंचनिर्णय के लिये हम जबरदस्ती नहीं कर सकते जब कि दोनों पक्षों का फैसला न हो जाय। जब कोई पंचनिर्णय न हो सके तब सरकार अभिनिर्णय के लिये भेज सकती है। जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में ही कहा, दोनों पक्षों में फैसला हो गया था और श्रमिकों की ओर से जो मांग-पत्र दिया गया था उसके आधार पर ही यह फैसला हुआ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जब सरकार भेज सकती थी तो सरकार ने उसी समय क्यों निश्चय नहीं लिया ?

श्री बनारसीदास—

यह न तो होता है और न इस प्रकार की कोई परम्परा है। पहले होता यह है कि मामला आर्बिट्रेशन से तय किया जाय जिसको दोनों पक्ष मान लें, क्योंकि ऐड्जुडीकेशन में खतरा रहता है कि कोई अग्रीव्ड पार्टी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। इसलिए ज्यादा बेहतर समझौता या आर्बिट्रेशन है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

महेश्वरी जूट मिल मेरे क्षेत्र में पड़ता है। यह देखते हुए कि महेश्वरी जूट मिल के श्रमिकों ने इतने संयम से और शान्ति से काम किया और शान्ति स्थापित हो गई है, मिल चालू हो गयी है, क्या सरकार विचार करेगी कि श्रमिकों की जो मांग है उनको शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित कर सके ?

श्री बनारसीदास—

फैसला जो हुआ है उसके अनुसार जैसे कि बोनस का प्रश्न था, ६२–६३ और ६३–६४ का बोनस दोनों पक्ष मिल कर तय करेंगे। ग्रेचुइटी के सम्बन्ध में भी उन्होंने माना कि दोनों पक्ष मिल कर तय करेंगे। जो श्रमिक स्थायी नहीं हैं उसको भी मिल कर तय करेंगे। १३ श्रमिकों को जो चार्जशीट दी गयी थी वह वापस ले ली गयी है और जो यह मांग थी कि इस दौरान का अर्न्ड वेतन काटा न जाय इसको भी मिल मालिकों ने मान लिया है। समझौता तो हो गया है, प्रश्न यह है कि उस पर अमल होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

मैं जे० के० काटन मिल के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं। प्रेसीडेंट के आर्डिनेंस के मुताबिक अगर सन् ६२ में कोई झगड़ा है कोर्ट में या कहीं भी बोनस का तो वह ४ परसेंट मिलेगा और सन् ६४ का कम से कम ४ परसेंट मिलेगा, क्या सरकार इसके बारे में मिल के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री बनारसीदास—

मैंने वक्तव्य में स्थिति स्पष्ट कर दी है। आर्डिनेंस के मुताबिक ६४ का बोनस जब कि घाटा है ४ परसेंट मिलेगा। लेकिन मिल मालिक का यह कहना है कि ६२ और ६३ का बोनस जिसका फैसला लेबर कमिश्नर ने किया है, एडजस्ट किया जायगा। तो यह अनुचित है, उसका एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सन् ६४ के पहले आर्डिनेंस लागू नहीं था। साथ ही साथ उनका यह कहना कि हड़ताल के दौरान में मजदूरों की वजह क्षति हुई और लेबर कमिश्नर ने फैसला किया और एक दिन का सांकेतिक वेतन काट लिया गया तो दूसरी सजा नहीं मिल सकती। इसपर उन्होंने एडवोकेट जनरल की राय ली है तो हम भी कानूनी सलाह करेंगे और उसके मुताबिक प्रयास करेंगे कि जो सेवायोजकों ने गलत फैसला लिया है वह न हो सके और सन् ६२–६३ के बोनस में से किसी तरह की रकम नहीं काटी जायगी और न सितम्बर की हड़ताल का कोई पैसा काटा जा सकेगा।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—

सन् १९५४ में मजदूर अदालत ने फाइन्डरों के वर्कलोड के मसले पर फैसला किया था, उसके बाद कोई और फैसला नहीं हुआ, लेकिन मिल मालिक सन् ५७ से लेकर आज तक उस वर्कलोड को बढ़ाते रहे और उनकी उजरत नहीं बढ़ाई, गवर्नमेंट ने उसके संबंध में क्या ऐक्शन लिया ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, प्रश्न में स्पष्ट कर दूं। प्रश्न स्पष्ट यह है कि जब मिल वालों ने वर्क लोड को बढ़ा दिया तब उसके साथ उनके वेतन को क्यों नहीं बढ़ाया ?

श्री बनारसीदास—

सम्पूर्णानन्द एवार्ड के आने के पहले हाई स्पीड बाइंडिंग तथा प्रे-बाइंडिंग का काम शुरू हुआ था। केवल एक फ्रेम के अन्दर जहां पर ७ आदमी काम करने वाले थे, कुछ वर्कलोड बढ़ा था। किन्तु उसी के अनुसार उनकी मजदूरी भी बढ़ गयी थी। इसलिये यह प्रश्न तो विवाद का रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी मिल मालिक को इसमें एतराज नहीं है कि इस प्रश्न को एड्जूडिकेशन में, पंच निर्णय के लिये भेज दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, सम्पूर्णानन्द एवार्ड की धारा ७५, धारा ७६ तथा धारा ७७ की अवहेलना इसमें हुई है। इन धाराओं के अनुसार इन लोगों ने काम नहीं किया और न ही इस मामले को सुपरवाइजरी कमेटी के सामने, जिसके कि डाक्टर यूसुफ साहब मेम्बर हैं, ही भेजा। बिना किसी नोटिस के काम को बढ़ा दिया। तो जब इन्होंने सम्पूर्णानन्द एवार्ड की धारा ७५, ७६ और ७७ की अवहेलना की है, तो आपके विभाग ने इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाया ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, २ साल से यह चीज चल रही है। कभी कोई इस प्रकार का मसला लेबर विभाग के सामने उपस्थित ही नहीं किया गया। जैसा मैंने अर्ज किया, एक फ्रेम के अन्दर, जहां कि ७ आदमी काम करने वाले थे, वहां कुछ वर्क लोड बढ़ा था, और उसके अनुसार उनकी मजदूरी भी बढ़ गयी। यह विवाद तो हड़ताल का अब हुआ। अब भी उन्हीं के दल के जो मजदूर हैं, ९० ने यह लिख दिया है कि हम २८ तारीख से पुरानी स्थिति पर जाने के लिये तैयार हैं और आप इसे पंच निर्णय के सुपुर्द कर दें। मजदूर लोग इतना और कहते हैं कि यह जो हमारी चार्जशीट है इसको भी भेज दीजिये। आपकी यह शिकायत कि लेबर विभाग ने कुछ नहीं किया, उसके सामने यह प्रश्न रखा ही नहीं गया। सुपरवाइजरी कमेटी की बैठकें भी होती रहीं, अब फिर होने वाली भी हैं, कभी यह मसला रखा ही नहीं गया।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, इन दोनों मिलों में जो स्थिति आज पैदा हो गयी है उसका मुख्य कारण यह है कि मिल मालिकों ने १९५४ का जो लेबर ट्रिब्यूनल का फैसला था उसकी अवहेलना की है और डाक्टर सम्पूर्णानन्द एवार्ड में जो यह कहा था कि जब वर्क लोड बढ़ जायेगा तो पहले कमेटी से एप्रूवल लिया जायेगा, उसकी अवहेलना की गयी है। मजदूरों ने अपना कानूनी हक मांगा है और कहा है कि हम १९५४ के फैसले के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन मिलवालों ने इसको गो-स्लो बतलाकर, एक झूठा चार्ज लगाया ताकि उनको जो ४,००० का कम्पेन्सेशन देना पड़ता वह न देना पड़े और लेबर डिपार्टमेंट मिलों के खिलाफ कोई कार्यवाही न कर सके। तो आज इसके कारण जो इतने मजदूर बेकार हैं, इसकी मंत्री जी जांच करवायेंगे ?

श्री बनारसीदास—

म्योर मिल वाले तो आर्थिक कारणों से खुद बन्द करना चाहते थे, मगर वे खुद बन्द करते तो कानून के मुताबिक मजदूरों को कम्पेन्सेशन देना देना पड़ता। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि समाजवादी मजदूर दल ने एक तरह से मिल-मालिकों की मदद की। मजदूरों ने आज भी लिख कर दे दिया है कि वे २८ तारीख से जाने को तैयार हैं, लेकिन अभी तक हड़ताल चल

[श्री बनारसीदास]

रही है। यदि समाजवादी दल के मजदूरों की तरफ से हड़ताल नहीं होती तो भी मिल मालिक बन्द करने के लिये बाध्य होते और लेबर डिपार्टमेंट उनको कम्पेन्सेशन देने के लिये बाध्य करता।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

माननीय मंत्री जी, आपको इस बात की जानकारी है कि मिल मालिक ने सरकार को यह नोटिस दिया कि इन मिलों को उन्होंने बन्द कर लिया है। फाईनेन्शियल क्राईसिस की वजह से एरियर नहीं दिये, सरकार के ड्यूज नहीं दिये और वाईंडिंग का बहाना फैलाया है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मिल को डी० आई० आर० में टेक ओवर करने के लिये तैयार है या नहीं। इससे सरकार का नुक्सान है, और मजदूरों का नुक्सान है। ये वाईंडिंग का बहाना करके आपको दबाना चाहते हैं खाली रुपया लेने के लिये।

श्री बनारसीदास—

जैसे ही हमको इसकी इत्तला हुई, हमने इसकी आर्थिक स्थिति की जांच के लिये कदम उठाया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐक्ट के मातहत इसकी जांच होती है जिसका अधिकार सैन्ट्रल गवर्नमेंट की है। यह मिल नहीं चला हमने सैन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है कि इसकी जांच हो। उसकी जांच के बाद एक अथराइज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त किया जायेगा।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

मंत्री जी ने आर्थिक स्थिति की बात कही है। मैं यह जानना चाहता हूं जिस तरीके से चन्द्रजीत यादव जी ने कहा कि १९५४ का जो फैसला हुआ है सुपरवाइजरी कमेटी के बाद, मजदूरों ने जब भी फैसला करना चाहा कि कितना नुकसान होता है, तब तब लेबर कमिश्नर ने उनकी कोई परवाह नहीं की क्योंकि लेबर कमिश्नर उसके बीच में होता है। १८८४ से लेकर १९४८ तक जब तक ब्रिटिश सत्ता रही और जब वे छोड़ गये तो सवा करोड़ रुपये रिजर्व में छोड़ गये थे। जब बागला जी ने लिया तो उसमें डेढ़ करोड़ का नुकसान कर दिया। इस समय डेढ़ करोड़ का नुकसान है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी मिल जो प्राफिटेबुल थी आज सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो गई है। क्या सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके साथ-साथ यह कि वह क्या पालिसी अख्तियार करने जा रही है?

श्री बनारसीदास—

इसका प्रबन्ध? हाथों में १९५८ को आया। जिस वक्त ५८ में आया उस समय ९० लाख के करीब नुकसान था। उसके बाद प्रबन्धकों ने नुकसान को कम किया और ८०–८५ लाख रुपये के करीब कर दिया। इसके कुछेक कारण रहे। उन्होंने इस प्रकार का कपड़ा बनाया जो कि बाजार के अन्दर बिक नहीं सकता था। अतएव आर्थिक स्थिति पैदा हुई। जैसा मैंने निवेदन किया यदि इस मिल का आर्थिक संकट दूर नहीं हुआ तो सरकार यहां अथाराईज्ड कन्ट्रोलर नियुक्त करने के लिये व्यवस्था करेगी और इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय गवर्नमेंट को जांच करने के लिये लिखा है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—

श्रीमन्, इसमें तो दो तीन महीने कम से कम लग जायेंगे कन्ट्रोलर के आने में। मजदूर बेचारा तब तक वैसे ही मर जायेगा। आप इसी वक्त इसको डी० आई० आर० के अन्दर लीजिये।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रक्षपालसिंह--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मजदूर सभा ने गड़बड़ कर दी। उनकी मांग तो पंचनिर्णय के हो जाने की है। सरकार को उस निर्णय के हो जाने में क्या आपत्ति है ?

श्री बनारसीदास—

इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहला काम तो यही है कि मजदूर काम पर जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय मंत्री जी के अनुसार केवल टर्म्स आफ रेफरेन्स का मतभेद है कि मजदूर नेता कुछ दूसरी मांग शामिल करना चाहते हैं लेकिन मिल मालिक कुछ हद तक मानने को तैयार हैं। जो पहली शर्त है, जितने मजदूर पकड़े हैं जिन पर चार्जशीट लगाई गई है। क्या आप खुद इसमें दखल देकर के और दोनों पार्टियों को बुला कर के इस बात की व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे कि मिल चले, ४४०० मजदूर वापस आ जायं और ऐडजुडिकेशन में मामला उचित शर्तों के साथ चला जाय ?

श्री बनारसीदास—

श्रम विभाग की तरफ बराबर इसके लिये प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रम विभाग ने जो नोटिस दी थी उसका कोई बाकायदा समन किसी को इश्यू नहीं हुआ और मजदूर नेता उसमें गये नहीं, उनका विश्वास है कि श्रम विभाग उनके कोल्यूजन में है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या आप खुद दोनों पार्टियों को बाकायदा नोटिस देकर बुलायेंगे और इस मामले को तय करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया, सवाल यह नहीं है कि मांग क्या है क्या नहीं है, सेवायोजकों से मैंने इस प्रश्न के पहले भी बातचीत की और अभी दो तीन रोज पहले भी बातचीत की, उनका तो कहना यह है सीधा प्रश्न उनका है कि जब तक उनके लिये कुछ रुपये की व्यवस्था न हो वह मिल चलाने में असमर्थ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

म्योर मिल के बन्द होने के कारण जब आज ६ हजार श्रमिक बेकार हैं और बेहाल हैं तो तो क्या सरकार उनके प्राविडेंट फंड से कुछ रकम उनको दिलाने की तुरन्त कृपा करेगी जिससे कि जैसे परसों एक आदमी बेहोश हो गया, ऐसी दुर्घटना न होने पाये ?

श्री बनारसीदास—

प्राविडेंट फंड का रुपया तो जिनका वाजिब होता है उन्हीं को मिलता है, प्राविडेंट फंड के तो नियम हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बोनस का विवाद केवल इसी म्योर मिल का नहीं है और मिलों में भी चल रहा है, इसके लिये कोई त्रिदलीय सम्मेलन बुला कर या स्वयं मंत्री जी वहां जाकर इसका निर्णय करायेंगे जिससे कि यह आग और मिलों में भी न लगे ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, शुगर फैक्ट्रीज की मीटिंग हुई थी, वहां तय हो गया है। जहां तक कानपुर का मामला है बोनस का कानून आ गया है जिसमें लिखा है कि मिनिमम ४ परसेंट और ज्यादा से ज्यादा २० परसेंट देना होगा ....

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी की सफाई से दो बातें निकलीं। एक तो वह यह कहते हैं कि समाजवादी मजदूर सभा हड़ताल करना चाहती थी, उसने नोटिस दे दिया, तो हड़ताल हो गई और दूसरी बात यह है कि जो कानूनी कार्यवाही मन्त्री जी ने नहीं की ५९–५३ में (व्यवधान) हमारा सवाल यह है कि क्या मंत्री जी को पता है कि इन्हीं के लेबर कमिश्नर साहब ने कामरेड संतसिंह यूसुफ से यह कहा कि ३० तारीख से मिल मालिक तो मिल बन्द करने ही जा रहे हैं, इसलिये बन्द किया उन्होंने और मन्त्री जी गलत प्ली ले रहे हैं ?

श्री बनारसीदास—

श्री उग्रसेन को इस प्रश्न को करने की जरूरत नहीं थी, मैंने स्वयं माना है कि मिलमालिक बन्द करना चाहते थे लेकिन इस हड़ताल से उनको एक कानूनी अड़चन का बहाना मिल कारखाना गया।

श्री एस० जी० दत्त—

अगर आप ६ तारीख को दफा ५३ में मौका दें तो मैं प्रश्न न करूं, उस दिन मैं सारा भंडा फोड़ दूंगा।

श्री उग्रसेन—

मैं श्रीमन्, नियम ५३ का नोटिस दूंगा आप इस पर ढाई घंटे का विवाद करावें।

चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण होने वाले कुछ पुलों का एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को न भेजने के फलस्वरूप धन न मिलने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

अध्यक्ष महोदय, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के एक किनारे से दूसरे किनारे तक प्रदेश को लगभग दो भागों में विभाजित करती हुई बहती है। प्रदेश के लगभग सभी मुख्य-मुख्य मार्ग जो पूर्व से पश्चिम को तथा उत्तर से दक्षिण को जाते हैं गंगा नदी को पार करते हैं। परन्तु इस समय गंगा नदी के ऊपर केवल ४ पुल गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, इलाहाबाद ,तथा वाराणसी पर ही हैं। अन्य स्थानों पर सूखे मौसम पर अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता है और बरसात के दिनों में फेरी की व्यवस्था की जाती है। अतः इन स्थानों पर पक्के स्थायी पुलों के अभाव में यातायात की बड़ी कठिनाई होती है।

पिछली तीन योजनाओं में राज्य सरकार को जो धन उपलब्ध हुआ वह गंगा नदी के ऊपर पुलों के निर्माण के लिये बहुत ही अपर्याप्त था जिसके कारण गंगा नदी के ऊपर इस अवधि में किसी भी पुल का निर्माण सम्भव नहीं हो सका।

गत अप्रैल के महीने में केन्द्रीय वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश पधारे थे। प्रदेश में विकास सम्बन्धी प्रश्नों पर वार्ता के दौरान प्रदेश में गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों पर आवश्यक पुलों के निर्माण के प्रश्न पर भी राज्य के अधिकारियों ने केन्द्रीय वित्त मंत्री जी से वार्ता की तथा इस बात पर जोर दिया कि प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों पर कम से कम मुख्य-मुख्य स्थानों पर पुलों का होना परमाश्यक है जिससे कि यातायात को

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कोई विघ्न व बाधा न हो। उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि इन पुलों के निर्माण के लिये प्रदेश को केन्द्रीय सरकार विशेष अनुदान दे या उनको केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कर ले। उनसे १३ ऐसे बड़े पुलों के निर्माण की प्रार्थना की गई थी और उनका मोटा-मोटा अनुमानित मूल्य जो लगभग २० करोड़ होता था बताया गया था।

केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने इन पुलों के निर्माण की आवश्यकता स्वीकार की तथा यह आशा दिलाई कि इन बड़े पुलों के निर्माण के लिये वह प्रदेश को विशेष धनराशि, जितनी कि बिहार प्रदेश को गंगा नदी के ऊपर पुल के निर्माण के लिये दी जायगी, दिलवाने का प्रयत्न करेगी। तदुपरान्त गत मई के महीने में भारत सरकार के कनसल्टिंग इंजीनियर (रोड्स) श्री एच० पी० सिन्हा से राज्य के अधिकारियों ने उक्त प्रश्न पर वार्ता की। ७ जुलाई, १९६५ ई० को राज्य में गंगा नदी तथा इसकी मुख्य-मुख्य सहायक नदियों के ऊपर पुल निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में केन्द्रीय परिवहन मंत्री को लिखा गया। उसके उत्तर में परिवहन मंत्री जी ने एक अन्तरिम उत्तर भेजा है और कहा है कि उनका विभाग इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है और इस सम्बन्ध में वह विस्तृत रुप से फिर लिखेंगे। योजना आयोग को भी इस विषय में एक पत्र गत २४ जुलाई, १९६५ ई० को भेजा गया उसके बाद एक अनुस्मारक पत्र भी २० अगस्त, १९६५ ई० को भेजा गया है किन्तु अभी उनका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री विजयसिंह (जिला जौनपुर)—

जब १ अप्रैल को केन्द्रीय वित्त मंत्री जी आये थे और उस वक्त से वार्ता होती रही और २० अगस्त को आप की चिट्ठी भी भेजी गई तो मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन्होंने कोई विशेष व्यक्ति इसके लिये दिल्ली क्यों नहीं भेजा जो इस सम्बन्ध में वार्ता करता ताकि जितने रुपए की आवश्यकता थी वह मिल जाता और कार्य जल्द आरम्भ होता?

श्री जगनप्रसाद रावत—

व्यक्तिगत रुप से भी केन्द्रीय मंत्रियों से बातचीत होती रहती है और बराबर हमारे स्मृति-पत्र भी जाते रहते हैं लेकिन अभी चूंकि वहां पर बहुत से निर्णय होने को बाकी हैं इसलिये उन्होंने अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, जो वक्तव्य माननीय मन्त्री जी ने दिया उससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ बीच में छोड़ दिया है। उन्होंने उसमें पैरा ५ नहीं पढ़ा है और उसके ऊपर पैरा ४ में जहां पर ६,०४,००० रुपये सर्वेक्षण के सम्बन्ध में है, इस वक्तव्य से निकाला गया है। तो क्या इसे निकाला हुआ समझा जाय?

श्री अध्यक्ष—

क्या माननीय मन्त्री जी, कुछ छोड़ तो नहीं दिया है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जी नहीं। जो मैंने पढ़ा है, वही है।

श्री रामचन्द्र विकल—

इस वक्तव्य में आरम्भ में (पैरा २) में यह कहा गया है कि ३ योजनाओं में राज्य सरकार को जो धन उपलब्ध हुआ वह गंगा नदी के ऊपर पुलों के निर्माण के लिए बहुत ही अपर्याप्त था जिसके कारण इस अवधि में पुलों का निर्माण नहीं हो सका। तो मैं जानना चाहता हूं कि कितना धन हमने मांगा था और और कितना केन्द्रीय सरकार ने देना चाहा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

श्रीमन्, हमें जितना रुपया मिला उसी के मुताबिक हम काम करते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

मैं जानना चाहता हूं कि वह कौन-कौन स्थान हैं जहां पर ये पुल बनाए जाने की योजना है? वे १३ पुल किस-किस नदियों पर हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

एक तो फर्रुखाबाद में गंगा नदी पर,
एक मिर्जापुर में गंगा नदी पर,
एक हरिद्वार में गंगा नदी पर,
एक राउली में गंगा नदी पर,
एक अनूपशहर में गंगा नदी पर,
एक कन्नौज में गंगा नदी पर,
एक डलमऊ घाट में गंगा नदी पर,
एक उजियार घाट में (जिला बलिया में)।

इनके अलावा जो सहायक नदियां हैं उन पर यमुना पर चीलीघाट पर, यमुना पर हमीरपुर में, घाघरा पर चौका घाट में, (बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में) केन नदी पर भूरागढ़घाट पर और चम्बल में पिनकघाट पर।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, हम सरयू कैसे पार करेंगे?

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि इन १३ पुलों के लिए २० करोड़ रुपए का अनुमान है। तो मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जब तक हमें केन्द्रीय सरकार ने यह धनराशि नहीं मिल जाती है तो जो आवश्यक पुल है, कम से कम उनके लिए माननीय मन्त्री जी केन्द्रीय मन्त्री जी से बातचीत करके यह आश्वासन देंगे कि कुछ पुल गंगा पर बनेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो २० करोड़ की बात कही गयी है वह इस तरह से चली है कि उन्होंने बिहार के लिए १८ करोड़ देने की बात सोची है। तो उन्होंने कहा कि इतना ही धन वे हमें दे देंगे। चूंकि वहां के लिए कोई फैसला नहीं हुआ इसलिए यहां के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। अगर वे हमें एक ही पुल की स्वीकृति देंगे तो हम उसको ही बनाना शुरू कर देंगे। हमें कोई कठिनाई न होगी?

श्री विजयसिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इन १३ पुलों में पहुज नदी जिला जालौन के पुल को भी शामिल कर लेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जो हमारे प्रदेश का बजट होगा उसमें हम देखेंगे कि किस पुल को लिया जाय।

श्री रामचन्द्र विकल—

माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने आश्वासन दिया कि जितनी धनराशि बिहार में गंगा के पुल निर्माण के लिए देंगे उतनी ही धनराशि हमारे प्रदेश को देंगे तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने अपने वायदे के खिलाफ कुछ कहा है। यदि हां, तो कब और क्या कहा है?

श्री जगनप्रसाद रावत—

वायदे के खिलाफ कोई बात नहीं कही है। लेकिन हमारे पास फारमल सैंक्शन नहीं आयी है। बिना उसके आए हम कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

जो आपने ६ लाख रुपया कहा कि एस्टीमेशन करेंगे, क्या वह ६ लाख रुपया मिला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब फारमल कमिटमेंट आएगा तो उसको अपने बजट में इनक्लूड कर लेंगे।

श्री रामचन्द्रसिंह (जिला एटा)—

जैसा मन्त्री जी ने बताया कि उन्होंने यह वायदा किया है कि जितना बिहार को केन्द्रीय सरकार देगी उतना ही हमको मिलेगा, तो इस उत्तर से प्रतीत होता है कि आप इस पर सन्तुष्ट होगए हैं। क्या मन्त्री जी मांग करेंगे कि बिहार में गंगा नदी कम क्षेत्र में बहती है और प्रदेश भी छोटा है इसलिए हमको उससे अधिक देना चाहिए। क्या दोबारा और अधिक की मांग आप करेंगे ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

अभी हमको जितना मिल जायगा ठीक है। उससे आगे की बात फिर करेंगे।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

५ पुलों का रफ एस्टीमेट केन्द्रीय सरकार को चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं भेजा गया तो मैं जान सकता हूं कि आया ५ पुलों का रफ एस्टीमेट उनके पास इस वक्त है, डिजाइन है या नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

हमको जब तक कि वहां से आज्ञा नहीं मिलती कि हम पुलों को बनाने की आज्ञा देते हैं तब तक हम कोई डिजाइन बना ही नहीं सकते।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

मन्त्री जी ने बताया कि हमने केन्द्रीय सरकार से पैसे की मांग की है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार से जितनी मांग की गयी है वह पैसा कभी मिला तो मन्त्री जी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिन्हें स्टेट रोड घोषित किया गया है, जैसे चौका घाट और डलमऊ के पुल पड़ते हैं, इसलिए स्टेट रोड जो घोषित की गयी हैं उनको प्राथमिकता दी जाय।

श्री जगनप्रसाद रावत—

मेरा खयाल है जिन पुलों का इस प्रश्न से सम्बन्ध है और दूसरे हमारे स्टेट के बजट के हैं वे अलग हैं। उन दोनों को मिला नहीं सकते।

श्री रामचन्द्र विकल—

केन्द्र के सिनहा जिन्होंने हमारे प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की उन्होंने यह कहा है कि केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तावित पुलों के आगणन शीघ्र तैयार किए जायं। तो इस आधार पर सरकार ने एस्टीमेट्स तैयार कराए कि नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—

जब तक कि वहां से हमको औपचारिक रूप से यह आज्ञा नहीं मिलती कि प्लानिंग कमीशन या केन्द्रीय सरकार इन पुलों के बनाने की आज्ञा देती है उस समय तक हम कोई आगणन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी धन और सामान की आवश्यकता होती है। उसको आपके सामने बजट अलाटमेन्ट लाना पड़ता है। जब तक आज्ञा नहीं मिल सकती तो पैसा खर्च नहीं कर सकते।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

प्वाइन्ट आफ आर्डर। यह कौन-सा नियम है, कौन-सी संसदीय परम्परा है कि आप यों हाथ कर देते हैं। जब तक किसी माननीय सदस्य का आप नाम नहीं पुकारेंगे इस सदन में कुछ नहीं कह सकता। आप यों हाथ कर देते हैं। किस संसदीय परम्परा के अन्तर्गत हाथ करने की प्रथा आपने अपनायी है?

श्री अध्यक्ष—

अच्छा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, यह हर वक्त अंग्रेजी बोलते हैं। यह कोई अंग्रेज हैं। यह व्यवस्था का प्रश्न क्यों नहीं कहते। ऐसे लोगों पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए और ऐसे लोगों को कभी खड़े होने का मौका नहीं देना चाहिए।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं व्यवस्था ही कहूंगा। कभी-कभी गलती हो जाती है। इस पर श्रीमन्, आप व्यवस्था दें।

श्री रामचन्द्र विकल—

जैसा अभी कहा कि आगणन तैयार किए जायं इसके बाद माननीय मन्त्री जी क्या आश्वासन चाहते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—

गवर्नमेंट से पत्र आता है जिसमें यह लिखा होता है कि हमने आपकी यह योजना मंजूर कर ली है और आप इस योजना पर अमल करें। उसके बाद हम उस योजना पर अमल करते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल—

आगणन का जो व्यय है वह केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है अथवा प्रान्तीय सरकार द्वारा और इसका अन्दाजा लगाने में कितना खर्चा हो जायगा?

श्री जगनप्रसाद रावत—

सर्वे करने तथा इक्विपमेंट में कितना खर्चा होगा इसका अन्दाजा हमारे पास है।

लखनऊ में मिलाद शरीफ के अवसर पर पुलिस द्वारा नागरिकों को पीटे जाने के संबंध में वक्तव्य

*गृह उपमंत्री (श्री शिवप्रसाद गुप्त)—

प्राप्त सूचना के अनुसार २८ अगस्त, १९६५ को रात्रि में थाना हजरतगंज के हेड कांस्टेबिल रघुबंश सिंह, कान्सटेबिल रामनाथ और कान्सटेबिल हबीब अशरफ मोहल्ला नरही में हो रहे एक मिलाद शरीफ में ड्यूटी पर थे। करीब साढ़े ग्यारह बजे रात को मिलाद

शरीफ खतम हुई और वहीं पर कव्वाली प्रारम्भ हुई। इस समय श्री रवीन्द्र नाथ श्रीवास्तव भईया जी के नाम से ही कहे जाते हैं, एक व्यक्ति शमशेर के साथ वहां आये और उसके साथ बैठ कर कव्वाली सुनने लगे।

२—शमशेर एक हिस्ट्री शीटर हैं और सिटी मैजिस्ट्रेट लखनऊ की अदालत से धारा ११०, भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत उसको गिरफ्तारी का वारन्ट जारी था। २६ जुलाई, १९६५, को यह वारन्ट हैड कान्सटेबिल रघुवंश सिंह को जो मिलाद शरीफ में ड्यूटी पर था, तामील को दिया गया था। इस हेड कान्स्टेबिल ने शमशेर की गिरफ्तारी की कई बार कोशिश की थी लेकिन वह नाकामयाब रहा। उसने शमशेर को पहचान कर उसे गिरफ्तार करने का निश्चय किया। उसने और उसके साथी कान्स्टेबिलों ने शमशेर पर जो भइया जी के साथ था अपनी दृष्टि बनाये रखी।

३—कुछ देर बाद भइया जी से वार्तालाप के पश्चात् शमशेर वहां से चल पड़ा हैड कान्स्टेबिल रघुवंश सिंह व उसके साथियों ने शमशेर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होते ही शमशेर ने अपने को छुड़ाने की चेष्टा करते हुए जोर से चिल्लाकर भइया जी से छुड़ाने को कहा। इस पर भइया जी शमशेर की सहायतार्थ ललकार कर दौड़े और उनके साथ १४–१५ और व्यक्ति हो लिये। शमशेर को छुड़ानें में भइया जी व उनके साथियों ने छीना झपटी की। उन लोगों ने कान्स्टेबुलों पर ईटे और पत्थर भी चलाये। भइया जी व उनके साथी शमशेर को छुडाने में सफल हुए और शमशेर पुलिस वालों की हिरासत से भाग निकला।

४—इस घटना में ईट पत्थर चलने, छीना झपटी तथा मारपीट में तीनों पुलिस कान्स्टेबुलों को तथा भइया जी को चोटें आई। पुलिस ने भइया जी को घटनास्थल पर धारा १४७/२२४/२२५/३३२/५०४ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। उनके और साथी घटनास्थल से भाग गये। थाने में आकर रिपोर्ट लिखाने के बाद भइया जी व कान्स्टेबुल डाक्टरी मुआयने के लिये अस्पताल भेजे गये। मुआइने में तीनों कान्स्टेबुलों और भइया जी के कुछ चोटें पाई गई। डाक्टरी मुआइने में यह नहीं पाया गया कि उपरोक्त तीनों कान्स्टेबुलों में किसी ने शराब पी रखी थी।

इस मुकदमें की तफतीश जारी है और अभी तक पांच और अभियोगी गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

जिन महानुभावों ने नोटिस दिया है सर्वश्री नेकराम शर्मा, रघुबीर राम, नाथूराम शिक्षक और मन्ना लाल, ये माननीय सदस्य अगर स्पष्टीकरण मांगना चाहें तो मांग सकते हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

स्पष्टीकरण तो कोई भी चाहे मांग सकता है।

श्री अध्यक्ष—

हर्गिज कोई नहीं कर सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

थाने के अन्दर भैया जी को पीटा गया या नहीं इस संबंध में क्या जांच हो रही है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जो जांच द्वारा प्राप्त सूचना आई है वह पढ़ कर सुना दी गयी।

श्री उग्रसेन—

यह एक फोटो है, (सदन में एक फोटो दिखाते हुए) इसे आपके पास भेज रहा हूं। थाने में बुला कर भैया जी को इतना पीटा गया, लाठियों से मारा गया। दरोगा जांच पर गये हुए थे वे आये, बड़े दरोगा तथा मुंशी आये तब उनको छुड़ाया गया। इतनी मार पड़ी कि वे सिविल अस्पताल में पड़े हुये हैं। आप फोटो देख लीजिये। माननीय गृह मंत्री जी इसकी जांच करायें कि पुलिस ने भैया जी को थाने में और बाहर पीटा या नहीं। इस तरह से कानून नहीं चल सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, मेरा सीधा सवाल है.....

श्री अध्यक्ष—

यह वक्तव्य के लिये है, स्पष्टीकरण करना या न करना यह उनके अधिकार की बात है।

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, माननीय गेंदासिंह और रामायणराय जी भैया जी को देखने के लिये गये तो माननीय गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं वहां जाकर देखा? यदि वे वहां जाकर देखते तो उनको मालूम होता कि कैसी ग्रीवियस चोटें हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस घटना के बाद नगर के कुछ संभ्रान्त नागरिक जैसे माननीय किशोरीलाल, त्रिलोकीसिंह जी, डाक्टर गैरोला, शिवप्रसाद जी और रमेशचन्द्र जी पत्रकार माननीय गृह मंत्री जी से मिले और उनको बताया कि थाने के अन्दर और थाने के बाहर भैया जी पर इतनी मार पड़ी है कि उनकी पसलियां टूट गई हैं और उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ है और उनसे यह भी प्रार्थना की थी कि यह नगर का वाकया है और एक नहीं तीन तीन घटनायें इस तरह की पुलिस वालों ने की हैं, एक बस वाले को रोका और इसके अलावा एक लड़की को मारा, तो क्या वे सी० आई० डी० से जांच करायेंगे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, इसकी जांच हो रही है और चूंकि यह मामला जेर तफतीश है इसलिये इस समय और कोई चीज नहीं हो सकती।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, वे ही जांच कर रहे हैं जिन्होंने उनको मारा है।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

क्या माननीय पुलिस मंत्री जी को मालूम है कि भैया जी के कहां-कहां चोटें लगी हैं और उनकी क्या दशा है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

जी हां, जो डाक्टरी मुआयना हुआ है उसकी रिपोर्ट हमारे पास है।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानाना चाहूंगा कि यह देखते हुये कि भैया जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और उनके मारे जाने के कारण लोगों में काफी असंतोष है क्या वे इसकी जांच किसी मजिस्ट्रेट से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्रीमन्, इसकी तो बड़ी सहल तरकीब है कि माननीय नवलकिशोर जी इस्तगासा दायर करा दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने माननीय नवलकिशोर जी को इस्तगासा दायर कराने की राय दी । लेकिन किसी पुलिस वाले के जरा सी खरोंच भी लग जाती है तो मुकदमा चलाया जाता है और जब एक सम्मानित नागरिक की हड्डियां टूटती हैं और उसकी रिपोर्ट होती है तो क्या उसका इनवेस्टीगेशन कराकर पुलिस वालों पर वे मुकदमा चलायेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, उनसे कोई स्पष्टीकरण लेना व्यर्थ है । जब तक वे पुलिस मंत्री रहेंगे इसी प्रकार के कांड होते रहेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मैनेजरसिंह जी, यह अनियमित है ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, इस आदरणीय सदन में जब से .....

श्री अध्यक्ष—

यह बेकार है । अब यह प्रकरण समाप्त होता है ।

श्री मैनेजरसिंह—

यह समाप्त नहीं होगा जब तक उनका इस तरह का रवैया रहेगा । माननीय नवलकिशोर जी उनकी पार्टी के सचिव हैं । उन्होंने मैजिस्ट्रेट के द्वारा जांच कराने के लिये कहा तो उस पर उन्होंने इस तरह से गैर-जिम्मेदारी का उत्तर दिया, आप इस पर ध्यान दें और अगर आप भी उनसे डरते हैं तो फिर हम लोगों.....

श्री उग्रसेन—

वह मृत्यु की शैय्या पर हैं । कैसे इस्तगासा दाखिल करने जायेंगे ?

श्री मैनेजरसिंह—

अध्यक्ष जी, सिविल हास्पिटल में मैं गया था । देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं । क्या माननीय हरगोविन्दसिंह को जा कर देखना नहीं चाहिए था ?

श्री अध्यक्ष—

सभापति, लोक लेखा समिति ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

यह सवाल बड़े महत्व का है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं मैंने उनको बुला लिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जिन लोगों ने पुलिस वालों को मारा है.....

श्री अध्यक्ष—

यह अनियमित है । यह लिखित नहीं होगा ।

श्री मैनेजरसिंह—

श्री हरगोविन्दसिंह के गैरजिम्मेदाराना उत्तर के विरोध में मैं दिनभर के लिये सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मैनेजरसिंह सदन छोड़ कर चले गये ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आप से निवेदन करना चाहता था कि आपकी सहायता होनी चाहिये क्योंकि आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं, जहां से हमारे अधिकारों की रक्षा हो सकती है । माननीय किशोरीलाल अग्रवाल के मुहल्ले में यह घटना हुई जिसके कारण उन्हें पूर्ण जानकारी है । और माननीय त्रिलोकी सिंह जो नेता विरोधी दल रह चुके हैं इस घटना के संबंध में माननीय गृह मंत्री से मिले और जो ज्यादती पुलिस ने भय्या जी के साथ किया उसका विवरण सुनाया है । माननीय हरगोविन्द सिंह का संबंध केवल कुछ पुलिस अधिकारियों तक सीमित है । माननीय नवलकिशोर और माननीय किशोरीलाल अग्रवाल का संबंध पब्लिक से है, जो पब्लिक में २४ घंटे बैठते हैं । जब श्रीमन्, उधर के पक्ष वाले सही रिपोर्ट देते हैं तो क्या, गृह मंत्री का फर्ज नहीं हो जाता है कि शिकायतों की जांच निष्पक्ष करायें ? माननीय उपनेता सदन में बैठे हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिये । इस तरह से गृह मंत्री लट्ठमार जवाब देंगे तो जनता के अधिकारों का हनन होगा, जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो उसकी मनोवृति हिंसा की ओर जायेगी । बदला लेने की भावना फैलेगी । उसकी सारी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर पर होगी । इसलिये आप उनको ठीक रास्ते पर ले जाने के लिये सरकार से कहें । रोजाना इस सदन में इस तरह की बातें उनके द्वारा कही जाती हैं । हम लोगों को बड़ा असंतोष है । अगर रवैये को नहीं बदलते हैं तो मजबूर हो कर हम लोग इनके विरुद्ध ऐसा कदम उठाने की बात सोचेगें और हम लोग १५ मिनट के लिये सदन का त्याग करते हैं ।

(संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री चन्द्रजीत यादव—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री का रवैया यह हो गया है कि पुलिस कर्मचारी जो कुछ करते हैं उसका आंख बन्द कर के समर्थन करते हैं । हजरतगंज थाना वह है जहां इस नगर के सारे पुलिस के उच्चाधिकारी रहते हैं । वहां नादिरशाही रवैया हो गया है । इससे पहले भी एक घटना हो चुकी है। जो यह घटना हुई उसके विरुद्ध मोहल्ले की तरफ से हड़ताल हुई । सारे नगर के प्रतिष्ठित लोग मिले । माननीय नवलकिशोर जी ने कहा कि सिविल अस्पताल में पड़े हुए हैं, कम से कम इसकी जांच मैजिस्टेट से करवा ली जाय । श्रीमन्, इसको भी इन्होंने इनकार कर दिया । मैं समझता हूं गृहमंत्री का यह रवैया पूर्ण मनमानी का है, यह रवैया डिक्टेटरशिप का है । अतः हम मंत्री महोदय के इस नादिरशाही रवैये के विरोध में सदन का ५ मिनट के लिये त्याग करते हैं ।

(कम्युनिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, मैं देख रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का ऐसा रवैया बहुत दिनों से रहा है और कई वर्षों से उनका यह मनमानी का रवैया नहीं बदला है । नवलकिशोर जी उनके दल के विशिष्ट

सदस्यों में से हैं, और मुझे दुःख है, कि उनकी न्यायोचित मांगों को भी उन्होंने नहीं माना है। इससे पता चलता है कि भैयाजी की पसली की हड्डियां टूटी हैं और उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मजिस्टेरियल जांच अवश्य बिठलानी चाहिये। मैं, अपने को पुलिस मंत्री के इस रवैये से दुखी होकर सदन का त्याग करता हूं।

(रिपब्लिकन दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हजरतगंज थाने के अन्तर्गत कथित शर्मनाक घटना को देखकर और शहर और प्रदेश के अन्दर की घटनाओं को देखकर ऐसा महसूस होता है कि अब वह समय आ गया है कि लोगों की जान माल की सुरक्षा इस पुलिस राज्य में सम्भव नहीं है। किसी भी नागरिक की इज्जत सुरक्षित नहीं है। अतः मैं सरकार के ऐसे कार्यों के विरोध में अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(निर्दलीय दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, उनको इस बुरी तरह से पुलिस द्वारा मारा गया है कि उनकी हड्डियां टूट चुकी हैं और आप भी यह देख चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में मंत्री जी का यह कहना कि उन पर केस नहीं चलेगा यदि वे स्वयं चाहे तो इस्तगासा दाखिल करें, यह उचित नहीं है और यह बिलकुल गलत रवैया है। मैं नहीं समझ पाता कि आप कब तक इस तरह का अत्याचार जनता पर करते रहेंगे और कब तक वह आपके अत्याचार को बरदाश्त करती रहेगी। इसके विरोध में मैं भी वाक आउट करता हूं।

(श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा सदन के त्याग को देखकर और घटना के संबंध में दुःख और रोष को देखकर, माननीय मंत्री जी अपना रवैया बदल दें तो ज्यादा अच्छा हो। वह जिद के कारण अपनी ही बात पर अडिग हैं। मैं इस अप्रजातांत्रिक ढंग को देख कर अपने दल के साथ सदन का थोड़े समय के लिये त्याग करता हूं।

(स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

लोक लेखा समिति के लिए विधान परिषद् के एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री शिव प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान परिषद् ने, जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (१९६५-६६) के सहयुक्त-सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित कि गये थे, उक्त समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है,

अतः यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे और निर्वाचित सदस्य का नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री शिव प्रसाद सिंह, सदस्य, विधान परिषद् ने, जो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति (१९६५–६६) के सहयुक्त–सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित किये गये थे, उक्त समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है,

अतः यह सदन विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि वह उक्त रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे और निर्वाचित सदस्य का नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में उन पांच सदस्यों के स्थान पर, जिनका कार्यकाल दिनांक ७ सितम्बर, १९६५ को समाप्त होगा कार्य करने के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन, जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में उन पांच सदस्यों के स्थान पर, जिनका कार्यकाल दिनांक ७ सितम्बर, १९६५ को समाप्त होगा, कार्य करने के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के पांच सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

१९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

श्री टम्बेश्वर प्रसाद, मैं समझता हूं कि समय को देखते हुये आप सबके ऊपर डिबेट एक साथ कर दें और अन्त में यह अनुदान की मांगें रख दी जायंगी। यही तरीका रहा है हर साल।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

पहले सबको बोलने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—

जितने अनुदान हैं उन पर माननीय सदस्य बोलें।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज आपके सामने लगभग १८ करोड़ रुपये का बजट माननीय वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। आज देश के सामने काश्मीर के कारण एक गम्भीर स्थिति है और ऐसे समय में आज सभी ओर से, स्थान स्थान से यह मांग सामने आ रही है कि एक सामंजस्य के साथ कार्य होना चाहिये और उस सामंजस्य के साथ और उस निर्विवाद रूप

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कार्य करने के लिये आवश्यक है कि आज की सरकारें भी अधिक सुनियोजित ढंग से, अधिक से अधिक सभी लोगों को साथ रखकर यहां का कार्य चलायें। स्मरण हो कि पिछले आक्रमण के समय यहां पर विवाद तक न रखकर मांगें स्वीकार की गयी थीं। मैं समझता हूं आज फिर वही स्थिति है, परन्तु मुझे दुःख है और दुःख विशेष रूप से इसलिये है कि आज प्रदेश के इस बजट में इस तरह की कोई चर्चा नहीं रखी गयी है जो इसमें कुछ सामयिक लगती हो, जिससे लगता हो कि देश पर आये हुये इस बड़े संकट के समय, उस संकट को बेकार करने के लिये, देश की सेना की मदद करने के लिये हम उद्धत हुए हों। संकटकालीन परिस्थिति में आज का बजट एक योगदान देने वाली ईकाई होता तो शायद यह नौबत न आती कि विरोधी दल के लोग इस तरह की कटौती की मांग करते और इस पर विवाद की मांग करते। देखने से ज्ञात होता है कि सब परम्पराओं को छोड़कर सप्लीमेंटरी बजट में जो नई-नई योजनाएं और अत्यावश्यक खर्च समाविष्ट होने चाहिये वह नहीं किये गये हैं। इसमें किसी नवीन योजना का समावेश नहीं किया गया है। पुरानी मदों पर ही और अधिक व्यय की मांग रखी गयी है, जैसे कई करोड़ रुपये का खर्च विद्युत् परिषद् को देने की बात है और वेतन क्रमों की बात है। जहांतक वेतन क्रम का सवाल है उनके लिये रुपया हमने स्वीकार कर लिया है। उनके लिये मूल बजट में ही दे दिया था, उनका जिक्र इसमें नहीं है। मैं समझता हूं कि कुछ खर्च इसमें ऐसे गलत हैं, जिनका हमेशा सरकार दुरुपयोग करती है और उसके कारण मैं इसका विरोध करता हूं।

(इस समय १ बज कर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए।)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज यह सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक तत्वों का दबाने में असमर्थ रही है, आज यह सरकार भुखमरी, गरीबी और बीमारी की स्थिति को बचाने में असमर्थ रही है। आप इस बजट में देखिये, पिछले बजट में इस सरकार ने राज्य व्यापार के नाम पर २९ करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की थी, किन्तु मैं समझता हूं कि यदि उसकी कोई उपयोगिता होती तो उस अनुदान का उपयोग हो चुका होता। लेकिन इस व्यवस्था के लिये खाद्यान्न खरीदे नहीं गये तो इस खर्च की व्यवस्था कैसे होती? किन्तु अन्य प्रदेशों ने इस दिशा में अपने यहां अच्छी प्रगति कर ली है। कोई किसी प्रकार की खरीद की योजना इसमें इस प्रकार की नहीं है जो निश्चित रूप से सरकार के खाद्यान्न का निर्धारण करे और इसलिये मैं इस बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि इस प्रदेश की सामान्य स्थिति कैसी है, गरीबी एवम् मुखमरी बढ़ी हुई है। इस प्रदेश के निवासियों की औसत आय को देखें तो आप पायंगे कि यहां के साधारण व्यक्ति की औसत आय कितनी कम है। यहां के निवासी की औसत आय १४७ और १७३ रुपये वार्षिक के बीच में है। इस प्रदेश का बजट और जो पकमटी है उसकी रिपोर्ट को भी देखें, इस बजट में जो इस साल पेश हुआ है, २७ से ३२ रुपये तक के वेतन-क्रमों का जिक्र है जो कि इस सरकार के लिये और इस सदन के माननीय सदस्यों के लिये कलंक की बात है। आज क युग में कैसे कोई २७ रुपये में गुजर कर सकता है, सोच कर हरानी होती है।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

उन्हें टोटल कितना मिलता है, यह तो बतायें?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जीने योग्य वेतन पाने का हक उन सभी को है जिनसे आप सरकारी काम लेते हैं। आप वेतन क्या देते हैं उनको? परिवार तो जाने दीजिये केवल एक व्यक्ति के रहने के लिये भी वह अपर्याप्त है। जिसको आप देते हैं उसके पत्नी है, बच्चे हैं, वह कैसे रहते होंगे? मेरे सामने वेतन-क्रमों की सूची है जब मैं विभागों पर आऊंगा तब उनका जिक्र करूंगा। मैं आपका ध्यान एक-एक बात की ओर अलग-अलग आकृष्ट करूंगा। इसमें मंत्रियों के लिये मोटरें खरीदने का खर्चा है। मैं इसका विरोध तो नहीं करता कि मंत्रियों के पास मोटरें होनी ही नहीं चाहिए लकिन जिस रूप से मंत्रियों की मोटरें दलगत राजनीति के कामों

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद]

को पूरा करने के लिये उपयोग में लाई जाती हैं, वह अनुचित है। एक ही महीने में ६०–७० हजार मील दौरा कर दिया उससे ऐसा लगता है कि इतना दौरा सिवाय दलगत राजनीति को चलाने के लिए ही किया गया है। आपका इस दुरुपयोग की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

मैं उनका ध्यान सतर्कता आयोग की तरफ ले जाना चाहता हूं। राज्यपाल ने जिस करप्शन का जिक्र किया था क्या उसको समाप्त करने में यह आयोग कामयाब हुआ? सिवाय अध्यक्षों के बदलने और कुछ चीजों को उठा ले जाने के अलावा कौन सा काम इसने किया है, जरा यह बताइये?

मैं माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं कि जिलों में जो एंटी-करप्शन कमेटियां बनी हुई हैं और विभागीय जांच के कार्य होते हैं, उन कमेटियों ने आज तक क्या काम किया है। मैंने पता लगाया तो पता चला कि इन कमेटियों के लिए कागज पेंसिल तक की व्यवस्था नहीं है, मीटिंग बुलाने की व्यवस्था तो जब किसी ने सोच ली तो वह हो गयी। मैं नहीं समझ पाया कि केवल अधिकारियों के बढ़ा देने से क्या होगा। सतर्कता आयोग आज से चौगुना कर दिया जाय और उससे कोई काम न लिया जाय तो वह इस प्रदेश के लिये क्या हितकारी हो सकता है।

माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं मुझे दुख है, वे ही वित्त मंत्री भी हैं। दूसरे मंत्री जी हैं लेकिन वे होते तो अधिक लाभ होता। शिक्षा के कई खंड हैं। एक तो जो सरकारी विद्यालयों द्वारा शिक्षा दी जाती है और दूसरे जो विश्वविद्यालययों द्वारा शिक्षा दी जाती है। तीसरी बात यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी काम करते हैं और जिनके लिये सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सरकार ने उनके लिये जिस वेतन-क्रम का निर्माण किया है वह बहुत शोचनीय है। पहले जो शिक्षक सवा दो सौ से प्रारम्भ करता था वही अब दो सौ रुपये से प्रारम्भ करेगा। यह प्रगति आपने की है? दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियों में जो स्केल्स हैं उनमें असमानता अभी तक विद्यमान है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को केवल १० रुपये की बढोत्तरी दी गयी है। उन का वेतन क्रम इस समय २२ रुपये से प्रारम्भ होता है। मैं चाहता हूं कि अर्द्ध सरकारी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके वेतन-क्रमों पर फिर से विचार करने के लिए अलग कमेटी बनाई जाय जो उनके लिये अलग से निर्णय करे। इन बीसमील लेजिस्लेशन्स से उनकी समस्याओं का निराकरण होने वाला नहीं है।

माननीय अधिष्ठाता जी, आप यह देखें कि कदाचित् गवर्नमेंट ने उन्हीं कर्मचारियों की तरफ विशेष ध्यान दिया है जो कि बड़े हैं। वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट देखने से मालूम होता है कि एक-एक आफिसर की २००–२०० रु० महीने तक की बढोत्तरी की गयी है जब कि दूसरी तरफ बहुत से कर्मचारियों का कुल वेतन भी २०० रु० तक नहीं है, बढ़ोत्तरी का तो सवाल ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी महंगाई के जमाने में भी यदि कर्मचारियों को उनके जीवनयापन लायक वेतन नहीं मिला तो वे कैसे सुचारुरूप से अपना कार्य कर सकते हैं और रिश्वतखोरी के मामले में यह प्रदेश, जो सारे देश में बढ़ा हुआ है, उसको किस प्रकार से यहां से मिटा सकते हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कर्मचारियों का वेतन-क्रम इस तरह से परिवर्तित किया जाय जिससे उनका तथा उनके बाल-बच्चों का जीवनयापन हो सके। सिद्धांत की बात न कहते हुए मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इस समिति के संबंध में जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह आश्वासन दिया था कि अगर किसी भी कर्मचारी को इस वेतन-क्रम से हानि होगी तो उसको वे स्वयं देखेंगे ताकि किसी एक कर्मचारी को भी हानि न हो सके, उस वक्तव्य का हवाला देते हुए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन तमाम वेतनक्रमों पर पुनः विचार किया जाय, जिसके बिना इस प्रदेश में शांति संभव नहीं है। कुछ अन्य कर्मचारियों को छोड़ कर आप इस बजट में देखें कि कुछ विभागीय मांगें स्वीकार की गयी हैं, उनमें से एक मांग तो बड़ी ही

उपहासास्पद है। उसका मैं आपके सामने उल्लेख कर दूं कि रायबरेली जिले में गेहूं की एक सघन विकास योजना कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत हुई है। मैं जानता हूं कि कृषि विभाग को सदा से ही सरकार सौतेले बच्चे की तरह से देखती है क्योंकि माननीय योजना मंत्री का अधिकार बहुत बड़ा है। ऐसे माननीय योजना मंत्री अन्त में जाकर कोआर्डिनेशन में ही जिम्मेदार रह जाते हैं। आज जो कृषि विभाग का स्कीम हमारे सामने है वह उत्पादन की न होकर सहकारिता की रह गयी है और उससे उसमें बहुत अधिक हानि हो रही है। एक और स्कीम का जिक्र है, कुकुरमुत्ता पैदा करने की स्कीम पर २९ हजार रुपये खर्च होंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कुकुरमुत्ता पैदा करने के लिये जिन ग्रामीणों को आप अपने स्टाफ रखेंगे उन पर भी खर्च होगा ही, फिर इससे लाभ कितना हो सकेगा? मुझे बतलाया गया है कि कुकुरमुत्ता डाइबेटीज मर्ज की दवा काम में आता है। संभव है कि किसी मंत्री को डाइबिटीज की शिकायत हो और यह सोचा गया हो कि इसके लिये कुकुरमुत्ता काफी मिकदार में नहीं मिल रहा है अतः उसके लिये एक पूरी योजना ही शुरू कर दी जाय।

इस तरह से पशुपालन विभाग में पशुपालन के नाम पर मुर्गीपालन का काम हो रहा है। इससे दूध देने वाले जानवरों का कहां तक संरक्षण होता है यह सब को अच्छी तरह से मालूम है। जो जानवर बेकार हो जाते हैं, उनको मरने के वक्त गो सदनों में भेज दिया जाता है। ऐसे जानवरों के चारा पानी के लिये ही गो सदन की स्कीम बनी है। इस संबंध में मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार से सरकार का उत्पादन और वितरण के ऊपर नियंत्रण है उसी तरह से यह विभाग चारे के उत्पादन और उसके वितरण पर भी नियंत्रण करे तथा दूध के उत्पादन और वितरण पर भी पशुपालन विभाग का ही नियंत्रण होना चाहिये। क्योंकि आजकल जिस तरह से सहकारिता का बढ़ता हुआ भूत है, उसकी वजह से दूध के उत्पादन और वितरण पर भी सहकारिता मिनिस्टर का ही अधिकार है जिससे आज लोगों को अपने बच्चों के लिये दूध खरीदने में भी कठिनाई होती है और मेरा खयाल है कि शायद उतना दूध उत्पन्न भी नहीं होता है जितनी कि आज आवश्यकता है। और इसीलिये आज छोटे-छोटे बच्चों को अमेरिकन दूध पिलाने की योजना स्वीकृत है। हमारे यहां जो पहले से दूध की योजना है वह भी एक बड़ी योजना है लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस दूध की योजना को चलाने वाले हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन योजनाओं के अन्तर्गत जहां वह एक ओर बेकार खर्चा स्वीकार करते हैं वहां उनसे मैं बहुत जोरदार शब्दों में कहता हूं कि वह इन प्रभावी योजनाओं की ओर ध्यान दें जिससे जन कल्याण हो और जनता की क्षमता भी बढ़े।

अब मैं आपका ध्यान बजट के २ विकास अनुदानों की ओर दिलाना चाहता हूं। उनमें एक तो औद्योगिक विकास का अनुदान है और दूसरा सिंचाई तथा निर्माण कार्यों पर पूंजीगत व्यय है। जहां तक सिंचाई के निर्माण कार्यों का संबंध है हमने हमेशा यह देखा है और सरकार से पूछने पर ज्ञात हुआ है कि उसमें बहुत अधिक उत्पादन होने की बात पहले बतलाई जाती है। हमने पिछले वर्ष भी देखा था और इस वर्ष भी देखा कि सिंचाई के जितने भी कार्यक्रम लिये गये उनमें अधिकतर विद्युत विभाग के कार्य सम्मिलित रहते हैं। पहले तो उनको सिंचाई योजना के अन्तर्गत लिया गया और बाद को वे कार्य विद्युत योजना के अन्तर्गत चले गये। हमने रिहन्द योजना को देखा और जमुना जल विद्युत योजना को भी देखा जो सिंचाई के परपज के लिये थी लेकिन बाद में वह विद्युत योजना हो गई। अब शायद उनके जल का कुछ उपयोग करने वाले हैं लेकिन अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। इसी के साथ यह भी निवेदन करना है कि यद्यपि हर साल नहरों की लम्बाई और उनकी क्षमता हम बढ़ाते जाते हैं लेकिन हमारे यहां प्रति एकड़ जितना पानी देना चाहिये उतना पानी सरकार नहीं दे पाती है। हमने देखा है कि खरीफ में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिये लेकिन बावजूद इस बात के वर्षा नहीं हुई और बहुत से स्थानों पर पानी अधिक उपलब्ध था लेकिन यह सरकार उनको पानी नहीं दे सकी। इसका नतीजा यह हुआ कि जितना उत्पादन

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

कर सकते थे उतना उत्पादन नहीं हुआ। यदि १५ दिन के लिये भी उनको अधिक जल मिल जाता तो शायद हजारों एकड़ जमीन में उत्पादन हो सकता था जो कि पानी न मिलने के कारण सूख गई है। उनको बचाया जा सकता था लेकिन हमारे सिंचाई विभाग ने ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन पूंजी पर व्यय हुआ है।

इसी तरह से हम देखते हैं कि लगभग जो सरकारी ट्यूबवैल हैं उनमें भी प्रति वर्ष ३.७४ करोड़ रुपये की हानि हो रही है यह सरकारी ट्यूबवैल हैं। लगभग प्रति एकड़ १७ रुपये सिंचाई के लिये सब्सिडी में खर्च आता है। वह भी लगभग अब बेकार हो गया है। यह सरकारी रिपोर्ट है इसलिये मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। मुझे लोक लेखा समिति का सदस्य होने के नाते मालूम है कि सैकड़ों ट्यूबवैल ऐसे थे जो पानी नहीं दे सके और वे चले ही नहीं लेकिन जो बन गये उनमें भी ४ करोड़ के लगभग प्रतिवर्ष हानि हो रही है। इसी तरह से सरकार ने जो आर्थिक योजनायें बनाई थीं वे सब अनर्थिक हो गईं।

बिजली का बहुत जिक्र किया जाता है। मैं भी अब उस पर आता हूं। उस बिजली विभाग को वस्तुतः इस सरकार ने चौपट कर दिया है। मैं यह समझता हूं कि विद्युत परिषद् ने आज तक अपना बैलेंस शीट बना कर प्रस्तुत नहीं किया।

(इस समय १ बज कर ५२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमलासिंह यादव पीठासीन हुए।)

उनकी रिपोर्ट तो आ गयी लेकिन फार्मों में कुछ परिवर्तन हुआ है इस कारण वह बैलेंस शीट-सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। इस वर्ष भी हम ने उनको ८० करोड़ रुपये के लगभग दिया है और इस समय १० करोड़ रुपया देने जा रहे हैं। अगर ऐसे बाडी की बैलेंस शीट बन कर सदन के सामने न आये तो यह सदन कैसे उसको अधिक रुपया देगा? अधिक संभावना इसमें घाटे की है इसलिये मैं समझता हूं कि जल्दी से जल्दी उसका बैलेंस शीट यहां रखा जाना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, यहां कुछ जिक्र हुआ अनुदानों तथा अग्रिम योजनाओं का। मैं समझता हूं कि यहां के कृषक के लिये परमावश्यक है कि उसकी सारी वसूलयाबी रोक दी जाय। उसे जीने तक के लिए आप को भोजन और रुपया देना पड़ेगा, स्थिति ऐसी है। आज ८० फीसदी व्यक्ति ग्रामों में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। उनके लिये अग्रिम ऋण की कोई योजना आपके पास नहीं है। ऐसा कर के मंत्री जी करोड़ों लोगों को भूखे रहने का न्योता दे रहे हैं।

मैं मंत्री जी का इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि क्या रुपये की मांग करते समय जो इस की मान्यतायें हैं उन की ओर भी आपने ध्यान दिया है। आप उत्तर प्रदेश की बजट मैनुअल को देखें। हमारी जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उसके अनुसार आपको उन पर निरन्तर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इस सदन में आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई, किन्तु दूसरे सदन में जो प्रस्तुत हुई है उस के अनुसार ६९ केसेज में अन्डर असेसमेंट है। कतिपय अधिकारी जिन की आर्थिक आय कुछ भी नहीं है, मंत्रियों से ज्यादा ठाटबाट से रहते हैं और इस कारण भी आप के प्रदेश की आर्थिक आय कम है। व्यक्तियों की और अधिकारियों की व्यक्तिगत उपलब्धियां बढ़ती जा रही हैं लेकिन सरकार की उपलब्धियों में कमी होती जा रही है। हमारी योजनाओं की उपलब्धियों की ओर भी आप नहीं देखते और इसके कारण भी हमारी उपलब्धियों में कमी हो रही है। इस ओर ध्यान न देकर आप बजट में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं और सीधे प्रदेश को आप टैक्सेशन की दिशा में ले जा रहे हैं और इस प्रकार टैक्सेशन का औचित्य सिद्ध करना चाहते हैं। मैं आप को बता देना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता अब टैक्स देने लायक नहीं रह गयी है। कुछ सरकारी कर्मचारी हैं और कुछ आदमी पूंजीवाले हैं....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कितना समय और चाहते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं समझता हूं कि आज तक आपने कोई समय नहीं रखा । आप जो समय बता देंगे वह मैं मान लूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

इसे मैं आप की च्वायस पर छोड़ता हूं । बोलने वाले काफी हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं शीघ्र समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कह रहा था माननीय मंत्री जी से कि यह देय क्षमता अब प्रदेश की जनता में नहीं है । और उसके लिए मैं चाहता हूं कि मंत्री जी के समक्ष कुछ आंकड़े जो उन्हीं की सरकार की चौथी पंचवर्षीय योजना के है, प्रस्तुत कर दें या वह स्वयं भी देने का कष्ट करेंगे । उसके अन्तर्गत हमारे जो अर्थ के स्रोत हैं या कुल जो नैशनल इनकम है उसमें कोई बढोत्तरी विशेषरूप से नहीं हुई है । यह मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आप अगर योजनाओं की उपादेयता सिद्ध करके कर देने की क्षमता बढ़ावें तब तो कर लगावें लेकिन आप हमारी क्षमता को, कंजम्पशन को न बढ़ा सकें और आमदनी न बढे हमारी लेकिन कर हम दें तो यह कैसे संभव हो सकता है ? विशेष तौर से प्रत्येक कर का भार यहां के कृषक पर ही जाता है और इस वर्ष कृषक विशेष आपत्ति में है । खेतिहर मजदूर दूसरा कृषक वर्ग है । उसकी केवल डेढ दो सौ रुपया प्रतिवर्ष आय रह गयी है यह नैशनल सर्वे की रिपोर्ट है । उस आय में किस हद तक उनको टैक्स किया जा सकता है ? आज सुबह से ही मंत्री जी का प्रयास है कि मिलों को बन्द करके मजदूरों की आमदनी को कम कर दें । आज उनके हाथ में मिल मालिक किस प्रकार से अपने को सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं और किस प्रकार मूल्य कम न होने देने के लिये वह मिल की उत्पादित वस्तुओं को बाजार में नहीं भेजने देना चाहते और खाद्यान्नों को भी किस प्रकार से रोका जाता है, यह सब पर विदित है ।

कहा जाता है कि कृषक के पास गल्ला है । अगर वह बीज भी रबी के लिए न रखे वर्ष भर के लिए खाना न रखे तो इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं है कि वह आत्महत्या कर ले तभी वह आपकी योजनाओं में सम्मिलित हो सकता है ।

मंत्री जी ने जिन कर्मचारियों की छटनी करने का निश्चय किया है उसमें विशेष रूप से मलेरिया कर्मचारी, चपरासी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । उनके लिए जो पुराने बजट में वादा किया है उस हिसाब से उन्होंने प्रावीजन किया है, लेकिन चूंकि अभी प्रावीजन नहीं किया गया है तो उनकी नीयत में वही पुरानी योजना बरकरार है । सप्लीमेंटरी ग्रांट का न आना यह कोई योजना नहीं है ।

अन्त में मुझे यह कहना है कि मंत्री जी ने कुछ बढोत्तरी की अनुदानें पेश की हैं, आज उनपर डिबेट नहीं है, लेकिन यह सिद्ध करता है और मुझे दुख है कि बजट न तो सही ढंग से बनाया जाता है न वह योजनाओं का प्रभावी दृष्टिकोण देते हैं । वह हर जगह अपना स्क्रू फिट करना चाहते हैं । सन् ६२-६३ में दसियों करोड़ का रुपया बच गया और बिना सदन की स्वीकृति के वापस कर दिया और इस बार भी करने वाले हैं । सप्लीमेंटरी बजट का कार्य यह है कि जो योजनायें नहीं चल सकी हैं उनको चालू करें और उनकी सेविंग्स का जिक्र करें और उन्हें जिन पदों में ले जाना चाहते हैं उनका जिक्र करें, लेकिन इस सप्लीमेंटरी बजट से कोई ऐसा दृष्टिपात नहीं होता है । यह बजट उनकी विशफुल थिंकिंग मात्र मालूम देता है ।

[श्री टम्बेश्वर प्रसाद]

सौ-सौ रुपये की प्रतीक मांगें उन्होंने रख दी हैं ताकि अन्त में मन माफिक रूप से काम में आवें। इस बजट से न प्रदेश को, न देश को और न इस लेजिस्लेचर के सदस्यों को दृष्टि मिलती है।

मैं समझता हूं कि जो देश की आज स्थिति है, उसी के अनुसार इस बजट को होना चाहिये और इस बजट के रूप को बदलना चाहिये। घाटे के बजट के अलावा सरप्लस बजट आना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप इस गलत बजट को हिम्मत के साथ वापस लें और फिर से विचार करने के बाद, सरप्लस बजट के रूप में, एक अच्छा बजट इस सदन में प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

आज की स्थिति में तो इसे तुरन्त पास करना चाहिये।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

कर देते यदि आपने उसका जिक्र इस बजट में किया होता या सुरक्षा आदि के कामों के लिए रुपया मांगा होता। आप तो अपनी मोटरों के लिये रुपया मांगते हैं। अब तो कुछ मंत्रिगण कम हो गये हैं, जो मोटर हैं उन्हीं से काम चलाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

मैं समझता हूं कि अब १०–१० मिनट का समय सब के लिये ठीक रहेगा।

श्री विजयसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस सप्लीमेंटरी बजट का विरोध करने के लिये खड़ा हूं। ४ थी पंचवर्षीय योजना के व्यय के संबंध में सम्पूर्ण बातें माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहीं हैं। मान्यवर, सप्लीमेंटरी बजट उस समय सदन के समक्ष आता है जबकि सरकार के सामने कोई आकस्मिक खर्चा आ जाये जिसका कि पहले से ज्ञान न हो और उसका प्राविधान मूल आय-व्ययक में भी न हो सकता हो.....

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, इस समय जब कि बजट पर विवाद चल रहा है, कम से कम वित्त सचिव या उप मंत्री महोदय को यहां होना चाहिये था।

श्री अधिष्ठाता—

एक मंत्री तो हैं यहां, मैं कम्पेल नहीं कर सकता हूं।

श्री विजयसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कह रहा था कि १९६५–६६ के अनुपूरक बजट में वित्त सचिव की जो टिप्पणी है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस अनुपूरक बजट की मांग तीन रूप से की जा सकती है। अधिकृत धन से अधिक व्यय जो होता है उस रूप में मांग की जाती है, दूसरे नई योजना और मदों के संबंध में अनुपूरक मांगों के लिये पैसा मांगा जाता है और तीसरी बात यह कि मूल योजना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाय तो उसके लिये धन की आवश्यकता होती है। उनकी टिप्पणी में महत्वपूर्ण वाक्य है कि ये मांगें व्यय

की कई मदों के लिये हैं जिनके लिये चालू वित्तीय वर्ष के लिये व्यवस्था नहीं की गई थी और वे इतनी आवश्यक हैं कि आगामी वर्ष के लिये उनका रोका जाना अनुचित समझा गया। मान्यवर, इसके लिये यही आवश्यक था कि जो मूल आय व्ययक आया था उसमें इसका समावेश किया जाता। मूल आय व्ययक २ अरब ६२ करोड़ रुपये का था और अब १८ करोड़ रुपये की मांगें पेश हुई हैं। यह अनुपूरक मांगें इस आपत्काल को देखते हुए बहुत ज्यादा हैं। हर जगह मांग में देखते हैं कि जहां प्रतीक मांग का संकेत है वहां यह भी लिखा है कि उस अनुदान से बचत की हुई धनराशि मद में खर्चा की जायगी और जिस विभाग से जो रुपया मांगा गया है वही टोकन ग्रांट के रूप में मांगा गया है। अगर किसी भी अनुदान से पैसा बचता है तो उसका नियमित रूप से बजट के अन्त में सरेंडर किया जाना चाहिये था फिर उसका रिएप्रोप्रिएशन होना चाहिये। केवल उन्हें नई योजनाओं का ही प्रारूप देकर रुपया मांगना उचित प्रतीत नहीं होता है। किसी को भी कोई अनावश्यक आधार देकर एक योजना मान लें यह सब अव्यवस्थित है। इस तरह व्यय भी अव्यवस्थित रूप से होता है। इन मदों के अन्दर बहुत से कार्य हैं, जिनमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार के परिवर्तन की इच्छा से इनको लागू कर रहे हैं, यह ठीक है। लेकिन बहुत सी मांगें ऐसी थीं जो आवश्यक थीं जिनकी जरूरत थी वह आज कहीं भी नहीं हैं। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं। अभी आज से तीन वर्ष पूर्व जिन मदों का पैसा स्वीकार किया गया था उनका कोई व्यय ही नहीं हो पाया है। हमारे जिले जालौन में भेड़ अस्पताल के लिये ८ हजार रुपये का प्राविधान हुआ था लेकिन चीन की लड़ाई के समय उसको एमरजेंसी की स्थिति में समाप्त कर दिया गया। मान्यवर, इस समय उसकी जरूरत थी। अस्पताल में मनुष्यों का इलाज होता है, जनहित में पैसा लगता है, जनजीवन को लाभ होता है। पर उसका प्राविधान यहां नहीं किया गया, पर आज जो बेकार की मदें आई हैं, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी ने कहा इसमें मोटरकारों की व्यवस्था है। इन मोटरकारों की क्या आवश्यकता थी? इसमें तीन मोटरें और मांगी गई हैं। कौन सी आवश्यक बात आ गई है अब जिसके लिए पैसा चार मास पहिले नहीं मांगा जा सकता था। इसी तरह सरकारी मैनुअल का हिन्दी अनुवाद करने के लिये सरकार ने पैसे की मांग की है। इसमें एक लाख रुपया मांगा है। भाषा का प्रश्न तथा अनुवादों का होना कोई आज का प्रश्न नहीं है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह आज से कोई नया प्रयत्न शुरू किया जा रहा है? इसके लिये तो कब से जन-अन्दोलन हो रहा है कि अंग्रेजी में जो कुछ भी काम है उसका हिन्दी में अनुवाद कराया जाय। तो आज कौन सा ऐसा आवश्यक कार्य आ गया जिसकी वजह से सप्लीमेन्टरी में इसका प्राविधान करना पड़ा।

मान्यवर, मैं यह देख रहा हूं कि कुछ जिलों को कुछ विशेष स्कीमों के अन्तर्गत लिया गया है। आप जरा उनको ध्यान से देख लें, इनका सैद्धान्तिक आधार क्या है। वित्त सचिव ने अपनी रिपोर्ट में दिया है कि कुछ कृषि का कार्य होना है, ठीक है, हम मानते हैं कि माननीय नये कृषि मंत्री जी आये हैं, वह अपनी कुछ नयी स्कीमें लाये होंगे, उन पर खर्चा किया जाना उचित है, वह ठीक किया। कुमायूं, गढ़वाल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, चमोली और नैनीताल विशेषकर इन जिलों को इस स्कीम में लिया गया है। इसके अलावा कुछ नयी दुग्धशालायें तथा बच्चों के लिये दूध बनाने की स्कीमें खोली गई हैं और वह बुलन्दशहर, मुरादाबाद, मेरठ और वाराणसी में खोली जा रही हैं। १०१ पेज पर सड़कों के नाम दिये हैं जो इस सप्लीमेन्टरी ग्रांट में ली जा रही हैं। मान्यवर आप देखें ये सड़कें अल्मोड़ा, गढ़वाल, बस्ती और देहरादून में ली गई हैं। आप जानते हैं कि अल्मोड़ा, गढ़वाल से हमारे माननीय गुप्ताजी एक बहुत बड़े राजनीतिक व्यक्ति यहां चुनकर पधारे हैं, बस्ती जिला माननीया मुख्य मंत्री का ही है, देहरादून माननीय शान्तिप्रपन्न जी का है और बुलन्दशहर के तो माननीय बनारसीदास जी मौजूद ही हैं उपरोक्त जिलों में क्रमशः माननीय खन्नाजी, माननीय वित्त मंत्री तथा माननीय बंशोधर पांडेय हैं। तो ये जिले चुनकर लिये गये हैं वरना वहां कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिसके लिये सप्लीमेन्टरी बजट में रुपया रखने की आवश्यकता

[श्री विजयसिंह]

पैदा हो गई ? यह नीति राजनैतिक दृष्टिकोण से ठीक है पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है ।

मान्यवर, आप देखें कुछ मुकदमों में खर्चा देना पड़ा है जिसके लिये इसमें रुपया रखा गया है । मैं एक ही दो के नाम बताऊंगा । हमारे देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे स्वर्गीय श्री दानसिंह बिष्ट जिन्हें एशिया का टिम्बर किंग कहा गया है उनसे गवर्नमेंट ने एक मुआहिदा किया और कुछ बंगले बेचे । उनसे १९,६५० रुपये मांगे गये । जब उन्होंने इतने में उसे नहीं लिया तो ६,२२० रुपये में उसे बेच दिया । उसमें मुकदमा चलाया गया और २ हजार रुपये की डिग्री हो गई, सरकार पर । तो यह सब क्यों आप करते हैं ? क्यों एक बड़े धनी व्यक्ति से अत्यधिक रुपया मांगा बाद में छोटी रकम में बेचा ? माना कि इस वक्त ठीक है डिग्री हो गई है, रुपया आपको देना ही है, लेकिन यह आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा और क्यों ६,२२० रुपये में किसी अपने आदमी को बेच दिया । इसी तरह अनुदान संख्या २० और २१ पर एक और डिग्री का रुपया देने का प्राविधान है । तो यह जो कभी-कभी आकस्मिक व्यय आ जाते हैं और आ गये हैं, ठीक है, उनका आप प्राविधान कर दें । लेकिन जिसमें आपकी हार होती है वह कदम क्यों उठाते हैं ? शिक्षकों की तनख्वाह का सवाल सामने आ गया उसको रख दिया, पे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो पैसा देना है वह इस अनुपूरक अनुदान में रख दिया, ठीक है । इंजीनियर्स का कन्वेंशन हुआ उसमें व्यय किया गया, यह चीजें इसमें आ सकती हैं । इसी तरह की दो एक मदें और हैं जिनका आ जाना आवश्यक था । लेकिन जैसे कुम्भ मेले की बात थी यह यहां नहीं आना था । कुम्भ मेला ६४–६५ में नहीं हुआ तो ६५–६६ में तो वह अवश्य ही होता और उसका प्राविधान मूल बजट में होना चाहिये था । लेकिन वह न करके इसमें एकदम से ६ लाख की मांग प्रस्तुत कर दी । अधिष्ठाता महोदय, जरा पी० डब्ल्यू० डी० अनुदान की ओर देखिये––एक दिन स्वयं आपने इस माननीय सदन में कहा था कि इमारतें ऐसी बनती हैं कि आज बनती हैं और कल गिरने लगती हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बनी हुई इमारतें आज धराशायी हो गयी । मेरे पास एक कटिंग है जिसमें लिखा है कि सरकार द्वारा एक मुख्य प्राविधिक निरीक्षक नियुक्त हुये थे जिन्होंने १,८८४ इमारतों का निरीक्षण किया जिसमें से १,५५० बिलकुल बेकार पायी गयीं । यह हालत है इमारतें बनवाने की । एक योजना में तो उन्हें बनवाते हैं और दूसरी योजना म कहते हैं कि वे इमारतें धराशायी हो गयीं । इस प्रकार जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बरबाद किया जा रहा है इस सरकार द्वारा और इसके विभागों द्वारा । इसकी रोकथाम होना बहुत जरूरी है । अनुदान संख्या १७ के उपशीर्षक २८ (शिक्षा), जिसमें माननीय वित्त सचिव की टिप्पणी है कि कुछ स्कूल जो द्वितीय योजना के पूर्व बने आज जीर्णशीर्ण हैं उनके लिये यह रुपया मांगा गया । यह है आपकी प्लानिंग और यह है वित्त विभाग की कार्यकुशलता । आज इस कार्य हेतु २७।। लाख रुपया इसके लिये सप्लीमेंटरी बजट में मांगने की क्या जरूरत थी ? पेज १५ पर इसी बजट में लिखा है कि बालकों के लिये दो राजकीय अवर प्रशिक्षण महाविद्यालयों (जूनियर ट्रेनिंग कालेजेज) की स्थापना । तो इसी मध्य सेशन में इन दो कालेजों के खोलने की क्या आवश्यकता हो गई ? सरकार को पहले से सोचना और देखना चाहिये था कि अगली योजना में अध्यापकों की आवश्यकता होगी । पहले ही मूल बजट में इसका प्राविधान हो जाना चाहिये था ।

मान्यवर, चिकित्सा के संबंध में जो मांग है उसे आप कृपया देख लें कि आगरे में उत्तर प्रदेश के रासायनिक परीक्षक की प्रयोगशाला के शताब्दी समारोह में ३,००० रुपया खर्च किया जा रहा है । जालौन के भेड़ ग्राम में तो मेडिकल अफसर का क्वार्टर बनने के लिये आपत्तिकालीन अवस्था आ गई और शताब्दि समारोह के लिये ३,००० रुपया खर्च करने जा रहे हैं । पूर्वी इलाके में बकरा बकरी नस्ल विकास के लिये सरकार पैसा खर्च करने जा रही है । आदमियों के जीवन दान के लिये भी कुछ नहीं करने जा रही है । इसके आगे अनुदान संख्या २० (कृषि संबंधी विकास)

पर २ लाख ९७ हजार रुपये की मांग तो ठीक है पर सहकारिता विभाग का गोरखधन्धा देखें। मान्यवर, साढ़े चार लाख की मांग सहकारिता विभाग की इस अनुदान में है। आप देखें कि इसका तात्कालिक महत्व क्या है। दुग्धशालायें खोली जारही हैं मुरादाबाद, गुलन्दशहर और लखनऊ में कुछ उपयुक्त स्थान चुन कर वहां बच्चों के लिये डिब्बों में दूध तैयार किया जायगा। बुन्देलखंड में जहां दूध का भण्डार है, वहां कोई दुग्धशाला नहीं खोली जा रही है। वहां की आवाज उठाने वाला आज कोई नहीं रह गया है, जो थे वह भी चले गये। फिर शिशु आहार निर्माण शाला स्थापित करने के लिये मुरादाबाद ही क्यों चुना गया? कहते हैं कि यह सेंटर से आदेश हुआ। यदि ऐसा है तो इसकी व्यवस्था मूल बजट में भी हो सकती थी।

मान्यवर, अब जरा पी० डब्ल्यू० डी० को देखें कि पलिया-निघासन रोड से १०,००० रु० निकाल कर इटावा-बरेली रोड में लाया गया। ऐसी क्यों आवश्यकता हुई? माननीय मंत्री जी ने कोई वहां वायदा किया होगा, इसलिये यह रुपया वहां के लिये एक काम की जगह से हटा कर रखा गया है। पालिया-निघासन रोड से १०,००० रु० यह कह कर अलग किया कि सीमेन्ट न मिलने से बचत हो गई और माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में लगेगा। यह बजट मैनुअल के अनुसार नहीं आया है लेकिन राजनैतिक हितों के लिये कुछ व्यय किया गया है। जालौन में चम्बल रैवीन्स हैं और डकैत भी बहुत होते हैं। वहां की स्थिति बहुत खराब है। वहां के लिये रुपया नहीं रखा जा सकता था क्योंकि जालौन जिले का कोई मंत्री नहीं है।

मान्यवर, अब जरा वन विभाग देखें, वन विभाग में भी, अनुदान संख्या ४४ में, कुछ रुपया रखा गया है। कहा गया है कि इसकी तात्कालिक आवश्यकता समझी गई, जो मेरी समझ में नहीं आती। यह १०,५०० रुपये की मांग है। वित्त सचिव ने लिखा है कि ये चीजें अगले वर्ष के लिये नहीं टाली जा सकती हैं। इसी प्रकार से बहुत से रुपये का प्रावीजन गलत किया गया है। अभी तो यह पहली ही किस्त है, दूसरी का पता नहीं है कि उसमें क्या क्या होगा।

उत्तर प्रदेश में जिन रेलवे समपाकों पर आदमी नहीं हैं उन पर उन्हें तैनात रखने के लिये १३,००० रुपये की जरूरत पड़ गई है। कौन-सी आकस्मिक घटना आ गई, कौन-सी रेल से मोटरें लड़ गईं कि इस खर्चे को इसी सप्लीमेंटरी बजट में रखना जरूरी समझा गया? यह खर्चा भी मूल बजट में आ सकता था या आगे बढ़ाया जा सकता था। मैं इस बजट में वित्त विभाग भी शिथिलता ही समझता हूं। मैं इस सहायक अनुदान का विरोध करता हूं। श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झाँसी)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय सदस्य दूसरे सदस्य के लिये यह कह सकता है कि बैठो। यह न आदरणीय सदस्य को शोभा देता है और न सदन को शोभा देता है।

श्री अधिष्ठाता—

हर माननीय सदस्य को इस बात का खयाल रखना चाहिये।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सप्लीमेन्टरी बजट का समर्थन करता हूं।

आज हमारे देश में हम एक गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। हमारी जमीन पर पाकिस्तानी हमलावर है और हमें उसका मुकाबला करना है। हमें अपने देश की भूमि का जर्रा जर्रा प्यारा है। उसके लिये तन, मन, धन जिसकी भी कुर्बानी की आवश्यकता होगी उसे देने में हमें जरा भी हिचक नहीं होगी। हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, जिसका लक्ष्य सारी दुनिया में शांति और अमन-चैन कायम करना है, आज पाकिस्तान ने ललकारा है। आज हमें उसका मुकाबला करना है और पूरे तरीके से मुकाबला करना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

यह तो हमारे देश की दशा है। और इसके अलावा इस सूबे में और भी एक कुदरती संकट आया कि इस वर्ष यहां वर्षा नहीं हुई और खरीफ की फसल को बहुत बड़ी क्षति पहुंची और जिससे कि हमारे किसानों के आर्थिक जीवन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। दूसरी तरफ हमारी जो खास समस्या है वह और भी जटिल हो गई है। यह सब चीजें हमारे सामने हैं और आज हमें इन सब चीजों का मुकाबला अच्छी तरह से करना है। ऐसी अवस्था में जब हमारा यह बजट पेश हो रहा है तो हमें अपने इन तमाम हालात को सामने रखना है और उन पर विचार करना है। आज जब कि तमाम दुश्वारियां हैं, जब कि दुश्मन का मुकाबला करना है और एक संकट सामने है तो ऐसे समय में हमारा क्या फर्ज हो जाता है और हमें क्या करना है? हमारे लिये यही एक चारा है कि हम इन सब चीजों का दिलेरी और हौसले से मुकाबला करें।

आलोचना का जहां तक सवाल है, वह कोई बुरी चीज नहीं है। ऐसी आलोचना जिसके पीछे निर्माण की भावना हो वह कोई बुरी चीज नहीं है लेकिन शायद ऐसी भावना को सामने नहीं रखा जाता। आज हमारे कृषकों की क्या हालत है? उस को हमें सुधारना है। आज अगर हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा होता, आज अगर किसानों में खुशहाली का दौर दौरा होता तो मैं समझता हूं कि हम बहुत-सी बातों का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते थे। यह मैं मानता हूं कि इस बार जो खरीफ की फसल को क्षति पहुंची है वह कोई अपने या सरकार के बस की बात नहीं थी। मौसमी हालात पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। अगर इस लिहाज से सरकार को दोष दिया जाय कि सूखा पड़ रहा है तो मैं समझता हूं कि वह उचित न होगा बल्कि हमें यह सोचना चाहिये और देखना चाहिये कि सरकार ने क्या किया, किसानों को कितनी राहत पहुंचाई। इस सिलसिले में किसानों को राहत देने की माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस सदन में जो चर्चा की थी, वह मैं समझता हूं काफी सन्तोषजनक है और उस से काफी राहत किसानों को मिलेगी। मैं नहीं कहता कि वह बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि वह बहुत कुछ है। आज हमें कृषि उत्पादन की तरफ विशेष ध्यान देना है, किसानों को ऐसे साधन उपलब्ध कराने हैं जिनसे कृषि की उन्नति हो सके। आज अगर कृषि उपज बढ़ती है तो दुश्मन का मुकाबला हम सही तौर पर कर सकेंगे। सिंचाई के साधन भी हम मजबूत बनायेंगे और ज्यादा बनायेंगे, मुझे खुशी है कि हमारा इरिगेशन पाटेंशियल चन्द सालों में काफी बढ़ा है। लेकिन मुझे एक बात का दुख भी है कि वह बढ़ा जरूर है लेकिन उसका प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिये। उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होना चाहिये। हमारे जो पानी के साधन हैं, सिंचाई के साधन हैं, उनका पूरे तरीके से उपयोग होना चाहिये। मान्यवर, यह देखा गया है कि जब दरियाओं के अन्दर पानी की कमी नहीं थी, और पानी की जरूरत थी तो उस वक्त नहरें बन्द पड़ी थीं, और ट्यूबवेल हमारे खराब पड़े थे। तो मान्यवर, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज हमें यह देखना है कि हमारी नहरें, हमारे ट्यूबवेल किस प्रकार से चल रहे हैं।

(इस समय २ बज कर ३२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं जिला बुलन्दशहर और पश्चिमी जिलों के बारे में आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। वहां पर सिंचाई के लिहाज से एक रेवोल्यूशन हो रहा है। हजारों नलकूपों का निर्माण हुआ है और हो रहा है। चन्द सालों में ही वहां पर पानी की कमी का सवाल खत्म हो जायगा लेकिन जहां मैं एक तरफ इस बात की प्रशंसा करता हूं कि हमारे सिंचाई के उप मंत्री जी ने जिस राहतदिली से बिजली के कनेक्शन्स हमारे किसानों को दिये हैं, जिस तरह से बिना कोई देर किये कनेक्शन्स उन्हें दिये हैं, यहां तक कि जो भी किसान उनके पास पहुंचा है, उन्होंने उसको बिजली की सैंक्शन दे दी है और वे लोग उस सैंक्शन को लेकर खुशी खुशी घर चले गये हैं वहां सूरते हाल यह पैदा हो गयी है कि जो बिजली लगाने के साधन हैं, लाइनें पहुंचाने के साधन हैं, वह नहीं हैं। कुछ तो धन का अभाव के कारण और कुछ साधनों के अभाव के कारण, जितनी तेजी से वे लाइनें लगनी चाहिये, थीं, उतनी तेजी से वे नहीं लग रही हैं, जिससे हमारे किसान भाई आज बड़े असन्तुष्ट हैं। आज पश्चिमी जिलों में और विशेषकर बुलन्दशहर में लगभग ४ हजार

नलकूप निजी नलकूप हैं जिनको बिजली की आवश्यकता है। उन्हें भी कनैक्शन मंजूर हो गये हैं, लेकिन उनके लिये धन, उनके लिये साधन मोहैया करने की जरूरत है जिससे उन लोगों को बिजली मिल सके। अगर हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया तो उन जिलों में बहुत तरक्की होगी।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक पूरक बजट का सवाल है, वह ऐसी सूरत में सदन में आना चाहिये जब कि कोई विशेष परिस्थिति हो। जैसा कि सभी जानते हैं, आज जो बजट बनाने वाले हैं, वे प्रायः उस तबके के लोग हैं,या ऐसे इलाके के हैं जो स्वयं विकसित है और अपनी चमक-दमक के सामने, अपनी हैसियत के सामने आम जनता और पिछड़े इलाके के हालात को भूल जाया करते हैं। ऐसी दशा में जब जनता की तरफ से कुछ आन्दोलन हुए और दबाव पड़े तब उन पिछड़े इलाकों की तरफ ध्यान गया और ऐसी नयी मदों के लिये जो जरूरी थी, पूरक बजट लाया गया। जब जनता के सवालों को सामने रखकर जनता के हित का काम हो, उसके विकास का काम हो तब मालूम होता है कि जन हित का काम हो रहा है। इस दृष्टिकोण के होने पर आप समझें कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलें हैं उनमें एक विश्वविद्यालय तो खोल दिया गया है, गोरखपुर में, लेकिन सब जिलों में डिग्री कालिजेज ही हैं जहां पर विद्यार्थी केवल बी० ए० तक पढ़ सकता है। एम० ए० की शिक्षा प्राप्त करने के लिये उन्हें गोरखपुर तथा अन्यत्र ही जाना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि सब को एम० ए० की शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसका फल यह हुआ है कि पूर्वी जिलों की शिक्षा पिछड़ती जा रही है। इस काम के लिये इस पूरक बजट में कोई व्यवस्था नहीं है जब कि इसके लिये तमाम विद्यालयों के प्रोफेसरों और प्रधानाचार्यों, इन्तजाम करने वाली कमेटियों की तरफ से पत्र आये लेकिन उसके खर्चे के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहें हैं कि पटेल कमीशन आया, फिर भी पूर्वी जिलों की शिक्षा को किस तरह से पिछड़ाने के लिये तुले हुये हैं, यह इस बजट से स्पष्ट है। जो पिछड़े इलाके की सड़कें है उनकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं है, जब कि श्री चन्द्रभानु गुप्त के इलाके की सड़कों के लिये इस बजट में प्राविधान है। लेकिन गोरखपुर, देवरिया और गोरखपुर से सटा हुआ जो चिल्लूर का इलाका है, यानी फैजाबाद से लेकर गोरखपुर, देवरिया तक जो सड़कें है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उधर एक काफी चौड़ी सड़क है जिसका नाम रामजानकी मार्ग है। उसके बनाने के लिये कोई भी योजना नहीं है। पटेल कमीशन के नाम पर हमारी जबान बन्द करने की कोशिश हुई है, उसके तहत पिछड़े हुए लोगों की हालत सुधारने के लिये कोई तवज्जह नहीं दी जा रही है। अतः हम इस बजट का समर्थन नहीं कर सकते।

पिछड़े इलाके में दूध का कारखाना खोलते तो कुछ नतीजा निकालता। गोरखपुर में फर्टीलाइजर का कारखाना खोला, और नतीजा क्या निकला कि सिर्फ १,८०० कर्मचारी रहेंगे, ७०० लोगों के खेत ले लिये गये और कुल मिलाकर ४ हजार के करीब आदमी बेकार हुये। वहां के लोगों को रोजी नहीं मिलेगी, न उनको मुआवजा मिला, इसके अतिरिक्त वहां गोली से लोगों को मारा जाता है। गोरखपुर और देवरिया जिले के लोगों को कोई धंधा नहीं मिला। क्योंकि, कच्चा माल आयेगा बरौनी से और नौकरी करने आयेंगे बाहर से इसलिये खाद के कारखाने से पूर्वी जिलों को कोई लाभ नहीं हुआ। दूध का कारखाना खोलने की बात की जाती है मुजफ्फरनगर, बदायूं और मुरादाबाद में। इसको अगर देवरिया में खोल दिया जाय तो दो हजार लोगों को रोजी भी मिल जायगी और किसानों का भी विकास होगा। इसके लिये पूरक बजट आया होता तो सचमुच आप बधाई के पात्र होते। इस बजट से तो विकसित लोगों को संतुष्ट करने की बात की जा रही है। पिछड़े लोगों के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। यों तो आपकी समूची योजना ही ऐसी है कि जो विकसित हों, उन्हीं को विकसित किया जाय और जो इलाके पिछड़े हैं उसमें जो कुछ पानी स्वतः बह कर चला जाय, तो चला जाय, लेकिन योजना बना कर उनको विकसित करने का कोई विचार नहीं है उसका रूप इस बजट में साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर इस बजट को कृषि

[श्री चन्द्रबलीसिंह]

और अन्न पैदा करने के सवाल को सामने रख कर लाये होते, तब भी मैं समझता कि अन्न के सवाल को हल करने की ओर आप आगे बढ़ रहें हैं। अन्न के सवाल को हल करने के लिये कुछ धान की पैदावार बढ़ाने के लिये और कुछ अन्य काम आगे बढ़ाने के लिये आप आगे बढ़ते हैं लेकिन बुनियादी काम को करने को आप तैयार नहीं होते। जोतने वालों को आप खेती दे दीजिये और सिंचाई, खाद तथा बीज का बगैर इन्तजाम किये हुये आप देखेंगे कि खाने भर को अन्न पैदा हो जायगा। उसके बाद आप खाद, सिंचाई तथा बीज का इन्तजाम कीजिये तो आने वाले नये मुखों को खाना मिलता चला जायगा। जिनके पास आज खेत हैं वे अपने बेटों को नौकरियों पर भेज रहे हैं, रोजगार धन्धों में लगा रहे हैं और जो उनके बूढ़े बाप हैं वे नौकरों से खेती करवा रहें हैं जिससे पैदावार नहीं बढ़ती है। उनके खेतों में गेंहूं, चना, धान-मोथा इत्यादि पैदा होता है खालिस गेंहूं नहीं होता अगर पूरक बजट में जमीन बाटने की व्यवस्था होती, खेत बोने वालों के लिये हल बैल की व्यवस्था होती और तब जिसके लिये आप पैसा मांगते तो निश्चित रूप से यह रकम विधान सभा तथा उत्तर प्रदेश के लोग खुशी से देते। ऐसा करने से प्रदेश खाने के मामले में आत्म-निर्भर होता। आप कुछ इधर दे देते हैं और कुछ रुपया उधर दे देते हैं। जिनके पास ज्यादा खेत हैं उनको ही देते हैं, ज्यादा रोजगार वालों को तथा ज्यादा पैसे वालों को देते हैं। नतीजा यह होता है कि वे उसको शादी ब्याह में वे खर्च कर देते हैं। खेती में नहीं लगाते, रोजगार में नही लगाते जिससे पैदावार नहीं बढ़ती, उत्पादन नहीं बढ़ पाता है। आपकी मंशा होती है कुछ लोगों का मुंह बन्द करना। तो कहना यह है कि आप इस बजट को वापस लीजिये और इन एतराजों को सामने रख कर दूसरा बजट लाइये वर्ना जितना कर भार उत्तर प्रदेश की जनता पर लदा हुआ है, वही काफी है।

मेरा मंत्री महोदय से एक निवेदन यह भी है कि ऐसे बजटों को लाते समय विशेष तौर पर पिछड़े इलाके तथा पिछड़े लोगों का ध्यान अवश्य रखा करें तभी अच्छा नतीजा निकल सकेगा और समाजवादी सरकार की व्यवस्था हो सकेगी। आप सभी बूढ़ों के लिये पेंशन वाली बात करते। जितने बूढ़े उत्तर प्रदेश में ६० वर्ष के ऊपर हैं, चाहे किसी धन्धे में लगे हुये हों या नहीं और चाहे वारिस उनके हो या न हों उनको पेंशन देने की आप व्यवस्था करते तो इस बजट की अहमियत बढ़ जाती। गरीब इलाके में रात के ८ बजे चले जाइये, कोई न कोई बूढ़ा, कोई न कोई बुड्ढी रोते मिलेंगे कि उसकी पतोहू ने आज खाने को नहीं दिया। अगर आप समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं तो कम से कम बूढ़ों की ओर से ही समाजवाद लाने की चेष्टा करते तो भी मैं समझता कि लोक कल्याण के लिये मंत्री जी पैसा लगा रहें हैं और उसे हमको देना चाहिये लेकिन उधर माननीय मंत्री जी का ध्यान नहीं गया। मंत्री जी दो तरह के प्राइमरी स्कूल भी खोले हुए हैं। अमीरों के बच्चों के लिये मांटेसरी स्कूल या सुधरे हुए स्कूल हैं जिनमें कलेक्टर, सुपरिटेन्डेन्ट, मंत्रियों तथा पूंजीपतियों के बच्चे जा कर पढ़ते हैं और उसी की बगल में म्युनिसपैलिटी के स्कूल हैं हमारा लड़का बोरी लेकर स्कूल पढ़ने जाता है। इसको हटाने के लिये यदि मंत्री जी कोई कदम उठाते तो वे बधाई के पात्र होते और उसका कुछ नतीजा निकलता। दो तरह के नागरिक लड़के न बनते।

मुझे आपके द्वारा मंत्री जी से कहना है कि बाढ़ के सवाल को हल करने के लिये पूर्वी जिलों के राप्ती जलकुंडी के सवाल को जल्द से जल्द पूरा किया जाय। वह बहुत दिनों से खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह से छोटी गंडक को सीधे करने का सवाल है। इंजीनियरों ने सुझाव दिया था कि राप्ती के पानी को बहराइच जिले में घाघरा में जो समुद्र के समान है, डाल दिया जाय तो बाढ़ रुक जायगी। फिर भी इस सवाल की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कोई भी ऐसा ठोस कदम जिससे लोगों के मन में भावना जागे कि अनुपूरक बजट को स्वीकार किया जाय, उठाया जाता तो ऐसी दशा में हमें उसको मंजूर करने में परेशानी न होती। मैं चाहता हूं कि पूर्वी जिलों में एम० ए० क्लासेज खोली जायं। खास तौर से पूर्वी जिलों के ऐसे इलाके में जहां यातायात के साधन नहीं हैं वैसे रामजानकी मार्ग जो देवरिया से गोला तथा सिकरीगंज होते

हुये फैजाबाद को मिलाता है इस सड़क की ओर ध्यान दिया जाय। इसके अलावा दूध का कारखाना देवरिया जिले में खोला जाय जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। मैं समझता हूं कि आपका यह बजट उपयुक्त नहीं है और समय से नहीं है इसलिये इसकी स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री किशोरीलाल अग्रवाल (जिला लखनऊ)—

उपाध्यक्ष जी, मैं अनुपूरक अनुदान के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा प्रशासन की कमियों की ओर दिलाना चाहता हूं। आजकल सेक्रेटेरियट का प्रशासन बहुत ढीला ढाला है और बहुत धीमे-धीमे काम हो रहा है। महीनों फाइल्स पड़ी रहती हैं और उनका डिसपोजल जल्द नहीं होता है। यह बड़े शर्म की बात है कि जहां मुख्य मंत्री और मंत्रिगण बैठते हैं उनके नीचे के अधिकारी तेजी से काम नहीं करते।

आज सूचना विभाग का उपयोग जनता के सामने कुछ भी नहीं। वह चाहे भले ही अपने कार्यालय में कुछ भी करता हो, लेकिन जो पब्लिक की मांग है, जो उसकी आवाज है उसको उठाने में वह जरा भी मदद नहीं करता है। हमारे २५० एम० एल० ए० ने सरकार से निवेदन किया कि सिविल हास्पीटल जो हजरतगंज में आया है उसको इंफारमेशन के डायरेक्टोरेट में शिफ्ट कर दिया जाय और उक्त कार्यालय हजरतगंज में जाय ताकि उसका उपयोग जनता समझे। अगर अस्पताल उस बिल्डिंग में चला जायगा तो उसके एक्सपेंशन में आसानी होगी। मुख्य मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज्ञा दे दी है लेकिन अधिकारी फाइल दबाये हुये हैं। इसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हो रहा है। यह कितने लज्जा की बात है कि ये आपने आर्डर्स को कैरी आउट नहीं कराते हैं।

श्रीमन्, आज मैं एक चीज यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग का हर जगह पर विरोध होता है। आखिर कोई न कोई तो बात है जिसकी वजह से ऐसा होता है। लोग इसके पीछे क्यों पड़े हुये हैं? आज हम देखते हैं कि मुहल्ले-मुहल्ले में पुलिस की छत्रछाया में शराब खाने खुले हुये हैं। दूसरी चीज यह है कि करीब दो महीने हुये एकदरोगा ने एक लड़की को मारा था तो उसका केवल ट्रांसफर किया गया। ऐसे ट्रांसफर करने से सबक नहीं दिया जाता। ऐसे मौकों पर कड़ा कदम उठाना चाहिये। उस दरोगा की मुअत्तली होनी चाहिये और डिमोट करना चाहिये। उससे एक भय पैदा होता क्योंकि जिनके हाथ में ला ऐंड आर्डर, है पुलिस वाले के, उनके ऊपर श्रद्धा तभी होगी जब कि वह जनहित में कार्य करें। ऐसा मुझे मालूम हुआ, २८ तारीख को मैं लखनऊ में नहीं था, कहा जाता है कि एक व्यक्ति को बहुत मारा गया है। मैं बाहर था। मैंने आकर मालूम किया तो जिससे पूछता हूं वही कहता है कि थाने में उस व्यक्ति को बहुत मारा गया। इस पर छानबीन करनी चाहिये उच्चाधिकारी द्वारा और इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये और अगर उसमें पुलिस का दोष है तो उस पर कड़ी कार्यवाही पुलिस मंत्री जी को करनी चाहिये।

चौथी चीज यह है कि सूचना विभाग में अभी २० मार्च के करीब १९६५–६६ के कलेंडर छपवाये। उसमें जो लीस्ट टेंडर था दस आने फी कलेंडर उसको नहीं दिया गया बल्कि १ रुपया ४ आने वाले को दिया गया। शायद उनके पास रुपया था इसलिये उनको ३१ मार्च तक खत्म करना चाहिये था तो एक हजार कलेंडर जल्दी से छपवाये और मेम्बरों तथा अफसरों को बटवा दिये और सर्टिफिकेट दे दिया कि सब कलेंडर छप गये। इस तरह रुपयों का दुरुपयोग किया जाता है। यहां लखनऊ में सेक्रेटेरियट है, यहां मंत्रिगण रहते हैं। जब इस किस्म का दुरुपयोग विभागों में सरकारी पैसे का होता है तो इन चीजों को अवश्य देखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इन बातों को गवर्नमेंट के सामने पेश करते हुये मैं अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह बजट पेश हुआ मैं मौजूद नहीं था लेकिन वह वैधानिक आपत्ति जो उस वक्त मैं उठाता वह इस भाषण के दौरान में कहना चाहता हूं। कौन सरकार इस प्रकार के पूरक बजट को मांगने का हक रखती है ? कौन सी सरकार यह हक रखती है लोक सभा में या यहां कि वह बजट पेश करे या पूरक बजट को मांग रखे ? मैं समझता हूं कि सरकार के जो मंत्रिगण अपने विभागों का दुरुपयोग अपने निजी स्वार्थों के लिये और अपने सगे संबंधियों की तरक्की के लिये करते हैं उन मंत्रिगण को कोई नतिक और कानूनी अधिकार नहीं है कि वे पूरक बजट की मांग सदन के सामने रक्खें। मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन का ध्यान माननीय गृह मंत्री के मंत्रालय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। आज प्रातः जो बहस सदन में हुई उन तमाम चीजों को एक तरफ रखते हुये मैं निहायत अदब से कहना चाहता हूं कि एक घटना से कैरों के खिलाफ सारे पंजाब में बावेला मच गया था और सारे पक्ष और विपक्ष के लोगों ने जांच कमीशन की मांग की थी लेकिन आज माननीय हर गोविन्द सिंह दूसरे प्रकार के कैरों उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और अपने मंत्रालय का उपयोग अपने सगे संबंधियों, अपने लड़के, अपने रिश्तेदारों और अपने तमाम लोगों की बहबूदी में कर रहे हैं, यह बड़े शर्म की बात है। अगर कोई मंत्री अपने पद का प्रयोग अपने गांव, अपने जिले और अपने क्षेत्र के पुश्तैनी झगड़ों में विपक्षियों से बदला लेने में करता है तो वह कितनी लज्जा की बात है। अभी जौनपुर में किसी बी० डी० ओ० से माननीय हर गोविन्द सिंह की दुश्मनी चली आ रही है। उसको निकालने के लिये उन्होंने माननीय विकास मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को नोट भेजा। माननीय मुख्य मंत्री और विकास मंत्री दोनों ने नोट लिखा कि डी० डी० सी० की रिपोर्ट आने दीजिये तब बी० डी० ओ० के खिलाफ कार्यवाही होगी। जब तक रिपोर्ट आवे हरगोविन्दसिंह के लड़के लखनऊ आते हैं और मंत्री जी से कहते हैं--पिता जी अगर डी० डी० सी० वाली कार्यवाही की जावेगी तो मामला आपके खिलाफ हो जायगा। आप फौरन इस बी० डी० ओ० को यहां से मुअत्तली करवाइये। उन्होंने फ़ौरन के० के० दास, चीफ सेक्रेटरी से कहा और टेलीग्राम से उस बी० डी० ओ० को सस्पड करा दिया। माननीय गृहमंत्री इस तरह से अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री और विकास मंत्री के आदेश फाइल पर पड़े हैं और चीफ सेक्रेटरी द्वारा उसका सस्पेंशन टेलीग्राम से करवा दिया जाता है। तो म पूछता हूं कि ऐसी सरकार को कहां कानूनी अख्तियार है कि वह सप्लीमेंटरी बजट पेश करे। यहां हर मंत्री का यही किस्सा है। पहले जहां हम कहते थे कि बड़ा भ्रष्टाचार है, अब तो एक एक मंत्री की घटनाओं को क्रमबद्ध किताब के रूप में लिखा जाय इतना बड़ा भ्रष्टाचार हर एक का है। कैरों और उनके लड़के द्वारा पद का दुरुपयोग हुआ है यहां तो सारा मंत्रिमंडल अपने पद का उपयोग अपने रिश्तेदारों और निजी स्वार्थों के लिये कर रहा है। ठाकुर हरगोविन्दसिंह पर यही आरोप नहीं है जो मैंने अभी बताया, वह तो हमेशा यही करते ही हैं, सारे मंत्री अपने पद का उपयोग अपनी बहबूदी, अपने परिवार वालों के फायदे के लिये करते रहते हैं।

एक साहब कह रहे थे कि साहबे मुल्क पर बड़ा खतरा है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो बजट यहां से पास किया जाता है वह खर्च कहां होता है। मेरे यहां गांव से एक आदमी आया जब मैं आज अपना पूरक बजट पढ़ रहा था और वह आदमी जिसने अपनी ६० साल की जिन्दगी कांग्रेस की सेवा में अंग्रेजी राज्य से लड़ने में लगा दी। उसने मुझसे एक किस्सा कहा। उसने कहा कि मिश्रा जी, जो पैसा आप लोग लखनऊ की विधान सभा से या दिल्ली की पार्लियामेंट से बजट के रूप में सैंक्शन करते हैं वह खर्च किस तरह से होता है। उसने बतलाया कि वह पैसा साधारण जनता की बहबूदी के ऊपर नहीं खर्च होता है। इस संबंध में उसने एक उदाहरण दिया कि जिस तरह से एक किसान खेत की सिंचाई के लिये दिन भर खड़े होकर ढेंकी चलाता है और तीन घंटे बाद, जो इसका सहकर्मी खेत के ऊपर होता है, वह उससे कहता है कि भाई तुमको तीन घंटे पानी चलाते हो गये फिर भी खेत की क्यारी में पानी नहीं पहुंच सका है। इस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ढेंकी चलाने वाला कहता है कि जरा बीच में जाकर देखो कि कहीं क्यारी टूट तो नहीं गयी है जिससे सारा पानी कहीं किसी बिल के अन्दर घुसता चला जा रहा हो और खेत में न पहुंच रहा हो। जब वह आदमी जाकर खेत के कोने में देखता है तो सचमुच पानी सारा एक सुराख के अन्दर चला जा रहा है। तो इसी तरह से जो रुपया यहां से या दिल्ली से, विधान सभा अथवा लोक सभा से स्वीकृत करके भेजा जाता है वह जिस खास मद के लिये निश्चित होता है उस पर न खर्च करके एकाउंटेंट इंजीनियर, ओवरसियर, गृह मंत्री, आई० जी० पुलिस आदि बड़े-बड़े आफिसरों के बिल में चला जाता है। आम जनता तक वह पैसा पहुंच ही नहीं पाता है।

इतना ही नहीं, आपके जरिये मैं इस आदरणीय सदन का ध्यान इस बात की ओर खींचना चाहता हूं कि सारा मंत्रिमंडल ही भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उसके जरिये तमाम तरह के गलत-गलत काम हो रहे हैं और वह भी जान बूझ कर क्योंकि वे तो समझते हैं कि उनका तो बहुमत है, किसी भी चीज को पेश करके वे उसे संख्यासुर के बल पर पास करा ही लेंगे। एक आदमी पेश करके चला जाता है, फिर उसे कोई परवाह ही नहीं रहती। माननीय कैलाश प्रकाश जी इस बजट को पेश करके चले गये। कभी माननीय बंशीधर पांडेय बैठते हैं तो कभी और कोई बैठ जाता है। लगातार यह मंत्रिमंडल रुपये का दुरुपयोग करके अपना काम निकाल रहा है। अभी कुछ दिनों बाद ही माननीय न्याय मंत्री इलाहाबाद में एक अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की नियुक्ति के संबंध में अपनी मांग पेश करेंगे। मैं पूछता हूं कि किस कायदे कानून के मुताबिक इलाहाबाद में एक अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की गयी है। मंत्रिमंडल के सामने जब यह सवाल आया तो उसने उसका सैंक्शन दे दिया जब कि संविधान के अन्तर्गत आर्टिकल १६५ में केवल एक एडवोकेट जनरल की ही व्यवस्था है। कानून की किस धारा में अतिरिक्त एडवोकेट जनरल की व्यवस्था की गयी है जो यह नियुक्ति की गयी है। संविधान में दिया हुआ है कि एक असिस्टेंट होगा और एक स्टैंडिंग काउंसिल होगा, लेकिन मिस्टर को शशिभूषण जी को रखना था जो श्री कन्हैयालाल मिश्र के कोई लगते हैं यह सब किया गया और माननीय गृह मंत्री की श्री कन्हैया लाल मिश्र से बड़ी दोस्ती है, जब वे लखनऊ में आते हैं तो उनके साथ ही ठहरते हैं, दोनों का फोन एक ही है। मैं पूछता हूं कि श्री कन्हैयालाल मिश्र के लिये एक फर्स्ट क्लास बंगला देने की क्या जरूरत है जब कि वे अधिकतर रहते इलाहाबाद में है? इससे साफ साबित होता है कि मिल जुल कर यह सारा काम हो रहा है और उत्तर प्रदेश की जनता के साथ षड़यन्त्र करने के लिये यह सब किया गया है। चाहे श्री कमलापति त्रिपाठी हों, चाहे सी० बी० गुप्ता हों, या श्रीमती सुचेता कृपलानी हों, ये सब उस डाकू दल की तरह से हैं, जैसे कि डाकू डाका डालने के वक्त तो एक रहते हैं और जब आपस में डाके में मिले हुये माल के बटवारे का समय आता है तो आपस में वे यह कह कर झगड़ते हैं कि मैं तो सेंध के अन्दर घुसा था इसलिये मुझे लूट के माल म ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिये और तुम तो बाहर थे इसलिये तुमको कम हिस्सा मिलना चाहिये। इसी तरह से मंत्रिमंडल के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग भी कर रहे हैं। नहीं तो श्रीमन्, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी संसदीय परम्परा में यह नहीं है कि पार्टी का प्रधान अगर पार्टी के प्रधान पद को छोड़ दे तो वह पार्टी की सरकार में आकर प्रधान मंत्री बन जाय। यहां पर हालत दूसरी है। पार्टी के प्रधान कमलापति जी बने हुये हैं और सरकार के प्रधान मंत्री सुचेता जी बनी हुई हैं। यह तो उसी तरह से है जैसा मैंने निवेदन किया चोर और डकैत की तरह से धन के बटवारे में ये लोग आपस में लड़ा करते हैं और वैसे एक हैं इसलिये ऐसी सरकार का जो बजट आया है उस पर वोट देना नैतिकता के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बजट पर वोट देना नैतिकता के खिलाफ होगा और उत्तर प्रदेश की ७ करोड़ जनता के हित के खिलाफ होगा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो १८ करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इस सदन में हमारे विरोधी दल के सदस्यों की ओर से जो अनुपूरक अनुदान पेश किये गये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

हैं, उनके बारे में दूसरे कई विचार प्रकट किये गये हैं । उसका विरोध नहीं किया । नीति की क्षमता के संबंध में जरूर आलोचना की गई है, वह अपनी जगह पर चाहे उचित हो या अनुचित हो । १८ करोड़ रुपया इस बजट के द्वारा मांगा गया है । इसमें ३ करोड़ रुपया शिक्षा के लिये है और १० करोड़ रुपया कर्जा देने के लिये है । इसके अलावा २,२ और ४,४ लाख रुपया मांगा गया है और उसके लिये यह नहीं कहा जा सकता है कि वह ज्यादा है । उसका विरोध नहीं किया जा सकता । इतना अवश्य है कि विभाग की क्षमता के बारे में मुझे कुछ निवेदन करना है । इस अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत वित्त मंत्री जी ने गाजीपुर के सिटी हायर स्कूल के लिये प्राविन्शिलाइज करने का जिक्र किया है । उसके लिये एक लाख रुपया मांगा है । उस स्कूल को अब सरकार ने सरकारी स्कूल बना लिया है । इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन इसके अध्यापकों को अभी तक वेतन नहीं मिला है । ६ महीने हो गये हैं लेकिन उन अध्यापकों को आज तक वेतन नहीं मिला है । यद्यपि यह अवश्य है कि एक लाख रुपया आवर्तक रूप में दे दिया गया लेकिन वहां के ६० अध्यापकों को, जो गवर्नमेंट टीचर हैं, आज तक उन सिटी हायर स्कूल, गाजीपुर के टीचरों को वेतन नहीं मिला है ।

इलाहाबाद के डाइरेक्टर आफिस के हैड क्लर्क रोज किसी न किसी अध्यापक को नोटिस देते चले जाते हैं । वे कहते हैं कि तुम टैम्पोरेरी हो और थोड़े दिनों के लिये हो । आज उन मास्टरों को यह पता नहीं चल सका है कि वे गवर्नमेंट टीचर ह या एडेड स्कूल के टीचर हैं या किस तरह के वे टीचर हैं । ऐसा मालूम देता है कि इलाहाबाद के डाइरेक्टर आफिस के हैड क्लर्क सारे एजूकेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं । मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े काम किये हैं लेकिन आपके शिक्षा विभाग का निदेशक का कार्यालय जिस स्तर पर काम कर रहा है उसकी मैं आलोचना किये बिना नहीं रह सकता ।

माननीय चिकित्सा मंत्री भी यहां पर बैठे हुये हैं । इन्होंने ४०० रुपये की सिम्बोलिक ग्रान्ट अपने विभाग के लिये मांगी है । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इनके डाइरेक्टर ने सन् १९३८, ४० में जिन अस्पतालों के लिये जितनी ग्रान्ट निश्चित की थी आज १६ वर्ष बीतने के बाद भी उनकी उतनी ही ग्रान्ट बनी हुई है । उसमें काई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है । विभाग ने कोई जांच नहीं की कि उन अस्पतालों के अन्दर आज कितने रोगी आते हैं और कितनी मेडिसिन की आप उनको ग्रान्ट देते हैं । आज भी उनको वही मेडिसिन की ग्रान्ट मिलती है जो १०, १२ वर्ष पहले मिलती थी । मैं जब गाजीपुर से चला तो वहां के अस्पताल के सभी डाक्टर हमारे पास आये और कहा राय साहब कि अब किसी को दवाई नहीं दे सकेंगे । उनके पास जितनी भी मेडिसिन आती है वह ३ महीने के अन्दर ही समाप्त हो आती है । इसलिये मैं चिकित्सा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कम से कम एक बार आप उन अस्पतालों का निरीक्षण कर डाले और देखें कि सन् १९४० के मुकाबले में आज उनमें कितने रोगी आते हैं और उसके लिये उनको जो ग्रान्ट दी जाती है वह कितनी है ।

सार्वजनिक मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे २ लाख रुपया एक उस सड़क को देना चाहते हैं जिसका प्रान्तीयकरण मन्जूर हो चुका है । उन जिलों की तरक्की के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट फाइनेन्स कर रही है, ९१ मील सड़क तृतीय योजना में गाजीपुर जिले में मंजर की गयी थी जिसमें से केवल ५ मील सड़क पर काम हुआ है । पटेल कमीशन ने ४४ मील सड़क की मांग स्वीकार की थी, लेकिन उसे छुआ तक नहीं गया । सार्वजनिक निर्माण विभाग केवल गाजीपुर जिले में ही नहीं, बल्कि सारे प्रदेश में सो रहा है और उस के इंजीनियर काले पट्टे बांधे काफी हाउस और सिनेमा घरों में घूमते हुये देखे जा सकते हैं और किसी के सामने कोई फाइल नहीं है । बिहार गवर्नमेंट ने पटना में ब्रिज बनाने के लिये १४ करोड़ रुपये की एक स्कीम सेंट्रल प्लानिंग कमीशन को दे रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगा पर कहां-कहां पुल बनेंगे आज तक इसका ही सर्वे सरकार ने नहीं कराया और न इसकी कोई तफसील ही केन्द्र को भेजी है । आप १८ करोड़

नहीं, हमसे ८८ करोड़ मांगिये और हम देंगे, लेकिन रुपया मांगने के बाद आप यह भी तो देखिये कि आप के विभाग की क्षमता कितनी है और कहीं उस रुपये का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है।

आप का विद्युत विभाग बड़ा सौभाग्यशाली है कि उसे शान्तिप्रपन्न शर्मा जैसा मिनिस्टर मिला हुआ है। वह सदन में हर प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देते हैं मानों वह बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ९ या दस करोड़ रुपये उनको दिया गया है। यह पूर्वी जिलों में भी बहुत फैला हुआ है लेकिन उधर मेरे जिले में हफ्तों पानी के कल बंद रहते हैं इसलिये कि उनको बिजली नहीं मिलती। ६,६ महीने से कारखाने बंद पड़े हैं, लेकिन आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला। १८, २० हजार की आबादी के गांव हैं, आप की कसौटी के अंदर वह आते हैं, लेकिन उनको बिजली अभी तक नहीं दी गयी है। यह एक विचित्र स्थित है। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी इस पर विचार करेंगे। इलेक्ट्रिकसिटी बोर्ड के प्रशासक पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, उसके कामो पर हम वाद विवाद नहीं कर सकते। उनको ३३ करोड़ रुपया हम ने वर्ष के आरम्भ मे दिया था, ९ करोड़ रुपया हम देने जा रहे हैं। तो इतना रुपया जब हम प्रति वर्ष इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देते हैं और उस के प्रशासन के बारे में क्षमता के बारे मे, कार्य के बारे में हम आलोचना भी नहीं कर सकते, यह कैसे चलेगा? इन शब्दों के साथ में इस अनुपूरक अनुदान का समर्थन करता हूं, लेकिन इतना अनुरोध करता हूं कि मंत्री जी अपने विभाग की क्षमता को बढ़ावें।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री जी ने १८ करोड़ की मांग की सदन में प्रस्तुत की है, मैं उसका बिरोध करता हूं। विरोध का कारण यह है कि हमें आशा थी कि जो आश्वाशन वित्त मंत्री जी ने मूल बजट प्रस्तुत करते समय दिये थे उनको पूरा किया जायगा। सप्लीमेंटरी बजट प्रस्तुत करने के कुछ सिद्धान्त होते हैं जो कि संबिधान के अनुच्छेद २०५ में स्पष्ट लिखे हुए हैं। इसमें यह भी है कि जो धन मूल बजट में दिया गया है वह इंशफीशियेंट हो, या न की सर्विसेज की आवश्यकता पड़ जाय, या वह बात फोरसी न की गयी हो। इन के अलावा और कोई मांग अनुपूरक बजट में नहीं आनी चाहिये, लेकिन इसे देखने पर बहुत सी बातों का पता चलेगा सरकार की १९६५ की आडिट रिपोर्ट है उसके अनुसार जो रुपया सरकार लेती है मूल तथा अनुपूरक बजट में, वह सब सरकार खर्च नहीं कर पाती। सप्लीमेंटरी ग्रांट तो अलग रही, हमसे जो मूल बजट में धनराशि ली जाती है उसको भी सरकार खर्च नहीं कर पाती। इस सम्बन्ध में आडिट रिपोट पृष्ठ ४८ पर लिखा हुआ है —"एक्सक्लूडिंग केसेज आफ टोकेन प्रावीजन, सप्लीमेंटरी प्रावीजन वाज आबटेन्ड इन ५३ ग्रांट्स"। ५३ ग्रांट्स में २१.०९ करोड़ रुपया सप्लीमैन्टरी में लिया गया। ३ ग्रांट्स ऐसी हैं जो ६१ लाख की हैं, वह अनयूटिलाइज्ड रहीं सारी का सारी। ६ ग्रांट्स ऐसी हैं जो ९.३४ करोड़ रुपये की हैं उनके बारे में भी कहा गया है कि खर्च नहीं की गयीं। मैं आपको डिटेल में बतलाऊं कि इस सरकार ने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये मूल जो अनुदान था वह २१२.३३ लाख का लिया और सप्लीमेंटरी में ०.६८ लाख लिया और उस कुल में से १६.१४ लाख खर्च नहीं कर पाये। तो चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो या कैपिटल एक्सपेंडीचर हो, कोई अनुदान हो सब में यही हालत है। सोशल एंड डेवलपमेंटल सर्विसेज में आप देखें कि एनीमल हसबेन्डरी और फिशरी पर ३६ लाख खर्च नहीं कर पाये। इंडस्ट्री पर १४१ लाख खर्च नहीं कर पाये। कैपिटल आउटले आन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ३०२.९० लाख खर्च नहीं कर पाये। अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें तो टैक्स आन लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर ७५ परसेन्ट खर्च नहीं करपाये। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर ७ परसेंट और एजूकेशन पर जो सोशल डेवलपमेंट सर्विसेज में है उसमें १०० परसेन्ट खर्च नहीं हुआ। ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में ९.३ परसेंट खर्च नहीं हुआ। यह तो वह है मद जिसमें रकम २० परसेंट कम आती हैं, लेकिन आडिट रिपोर्ट में लिखते हैं कि १४ ग्रांट्स ऐसी हैं कि जिन में २० परसेन्ट से ज्यादा खर्च नहीं कर पाये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नेकराम शर्मा]

तो आडिट रिपोर्ट भरी पड़ी है कि जितना रुपया सरकार सदन से मूल बजट में मांगती है और उसके पश्चात् जितना सप्लीमेंटरी बजट में लेती है उसको खर्च नहीं कर पाती। एक तरफ मूल बजट का खर्च नहीं कर पाये, फिर सप्लीमेंटरी बजट को नहीं खर्च कर पाये, उसके बाद बजट से थोड़े दिन पहले दूसरा सप्लीमेंटरी बजट लाते हैं और रुपया खर्च नहीं कर पाते। तो आखिर ऐसा क्यों? हम रुपया देना चाहते हैं, अगर खर्च न कर पायें तो किसकी जिम्मेदारी है? माननीय वित्त मंत्री जी, आपकी है या सरकारी कर्मचारियों की है।

आप कैपिटल एक्सपेंडीचर को देखिये। सन् १९६१-६२ में ४१.६७ करोड़ का बजट था और कुल २४.१४ करोड़ खर्च कर पाये। १९६२-६३ में ४१.४१ करोड़ का बजट था और २९.५६ करोड़ खर्च कर पाये। १९६३-६४ में ३७.६७ करोड़ का बजट था और कुल ३०.६० करोड़ खर्च कर पाये। श्रीमन्, कैपिटल एक्सपेन्डीचर पर हम को सूद देना पड़ता है। आपके अधिकारी अगर कैपिटल एक्सपेन्डीचर को भी खर्च न कर पायें तो यह बड़े शर्म की बात है। करोड़ों रुपया सरकार को सूद का देना पड़ता है। तो इस को अब हम सरकार का निकम्मापन कहें, या लापरवाही या क्या कहें। श्रीमन्, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है उस पर हमको उतना रेटर्न आज नहीं मिल रहा है। आडिट रिपोर्ट में उसका जिक्र है कि कहां-कहां हम खर्च नहीं कर पाये, और करोड़ों रुपया हम को इन्टरेस्ट का देना पड़ रहा है। एक तरफ प्रदेश में गरीबी है दूसरी तरफ आप टैक्सेशन ला रहे हैं, और इधर पूरा रुपया खर्च भी नहीं कर पाते। माननीय मंत्री जी नौजवान हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिये थे कि जितना कैपिटल एक्सपैन्डीचर है, उसे खर्च किया जायेगा, अनुपूरक बजट में वहीं चीजें आयेंगी जिनको हम पहले से फोरसी नहीं कर पायेंगे, तथा और भी बजट में सुधार करने की आश्वाशन दिये थे।

श्रीमन्, कुम्भ मेले के लिये प्राविजन क्या हम मूल बजट में नहीं कर सकते थे? क्या उसका हमको पहले से पता नहीं था? कारों की खरीदारी के लिये, क्या हम इसको मूल बजट में नहीं ला सकते थे? क्या यह हमको पता नहीं था कि यह गाड़ियां पुरानी हो रही हैं, नयी खरीदने की जरूरत पड़ेगी, यह खराब हो जायेंगी। इसका मतलब यह है कि आप के अधिकारी आप के पास सही रिपोर्ट नहीं भेजते। विजिलेन्स डाइरेक्टरेट के लिये क्या आप मूल बजट में प्राविधान नहीं कर सकते थे? क्या उसकी भी आप को जानकारी नहीं थी। हिन्दी में अनुवाद कराना होगा, क्या आप यह पहले से नहीं जानते थे? उत्तराखंड के लिए रेडियो खरीदने का प्राविजन क्या मूल बजट में नहीं कर सकते थे? इसकी योजना तो बहुत पहले से चल रही थी। कन्सालिडेटेड फंड के बारे में भी संविधान में खास प्राविजन है, फिर भी आप ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरे कहने का मतलब, श्रीमन्, यह है कि जितनी भी ग्रान्ट्स हैं वे सब ऐसी हैं कि जिनका प्राविजन मूल बजट में किया जा सकता था। अभी ४-५ महीने ही तो हुये हैं बजट पास हुये। इसका मतलब यह है कि आपका वित्तीय कन्ट्रोल ठीक नहीं है। सरकार घाटे का बजट लाती है, आखिर में करोड़ों रुपया बच जाता है। यह क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं खत्म कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आश्वासन, माननीय वित्त मंत्री जी, आपने दिये हैं आप उनको पूरा करने की कृपा करें। यह समय आ गया है जब कि आपफिजूल खर्ची को रोकें, एकोनामी करें, जितना आप खर्च कर सकते हैं उतना ही बजट म रखें।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

*श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस सरकार द्वारा प्रस्तुत सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जहां तक सप्लीमेंटरी बजट का प्रश्न है यह तो मैं समझता हूं कि उधर के लोग भी इसका समर्थन करेंगे, लेकिन आज जो मैं यहां कहना चाहता हूं कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित बातें कहना चाहता हूं। वह यह हैं कि हमारे यहां सन् १९५५-५६ से बहुत सी योजनायें स्वीकार हुई थीं वे अभी भी पूरी नहीं हुई हैं। माननीय स्वास्थ्य मन्त्री महोदय भी बैठे हुये हैं। हमारे यहां अस्पताल की बिल्डिंग के लिये रुपया स्वीकार हुआ लेकिन उस बिल्डिंग की नींव भी नहीं पड़ी। इसी तरह माननीय शिक्षा मंत्री ने हमारे क्षेत्र दुद्धी में एक गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में धन स्वीकार किया था, लेकिन उसका निर्माण भी नहीं हुआ। जैसा कि दुद्धी बहुत पिछड़ा हुआ है उसके पिछड़ेपन को देखते हुए सड़क निर्माण के लिये रुपया स्वीकार हुआ था लेकिन द्वितीय योजना में जो सड़कें स्वीकार की गई थीं उनका भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है।

हमारे यहां, श्रीमन्, रिहन्द योजना बनीं और इस रिहन्द योजना से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। लेकिन हमारे यहां की जो ४५ हजार जनता उजड़ी है, जो पहिले सम्पन्न थे, खेती बाड़ी करते थे, आनन्द का जीवन बिताते थे, आज सरकार ने उनको भिखारी बना दिया है। मैं बड़े जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि वे भूमिहीन इधर-उधर भटक रहे हैं। श्रीमन्, गांव गांव में जहां बिजली फैल गई है लेकिन उनके किसी क्षेत्र में बिजली नहीं दी गई है। वहां उजड़ने से पहिले पांच हजार बन्धिया थीं उनसे वे सिंचाई किया करते थे लेकिन आज जो वहां की निर्वासित जनता है उनको पीने के पानी के लिये नदी, नालों को जाना पड़ता है। इसके अलावा जो आदिवासी जनता बसी हुई है, जो सीधी सादी भोली जनता थी, आप की जो विकास योजनाएं चल रही हैं, मैं आप को सही बताता हूं, उनके लिये वे योजनायें भारस्वरूप हो रही हैं। हमारे यहां ब्लाकों में कोई ठोस काम नहीं हो रहा है जिसे वे स्वीकार कर सकते हैं। वहां के आदिवासियों का नैतिक स्तर भी गिराया जा रहा है। जो आदिवासी सीधे होते हैं वे यह समझ रहे हैं कि ये जो ब्लाक के कर्मचारी हैं वे उनके लिये भारस्वरूप हो रहे हैं।

मैं आप के द्वारा यह बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ला एन्ड आर्डर की पोजीशन है वह इस समय अत्यन्त सोचनीय है। हमारे यहां के दुद्धी ब्लाक के प्रमुख को एक गुन्डे ने कई गुन्डों द्वारा पिटवा दिया लेकिन प्रमुख को मारने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई और पुलिस ने १०७ चला कर के निर्दोष आदमियों को उसमें फंसा दिया। इस प्रकार जो गुंडे किस्म के लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है और जो निर्दोष व्यक्ति हैं उनको १०७ में फंसा कर जनता में आतंक फैलाया जा रहा है। अभी हमारे यहां से एक चिट्ठी आयी है जिसमें लिखा है कि हमारे यहां के एक प्रधान का कत्ल कर दिया गया है। इस तरह ला ऐंड आर्डर की पोजीशन बहुत ही शोचनीय है। इस ओर माननीय गृह मंत्री तो हैं नहीं, माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे यहां की ला ऐंड आर्डर की व्यवस्था को वह देखें। हमारे यहां कोई केस होता है मार पीट होती है तो पुलिस वाले ३२३ में सीधे पकड़ते हैं।

वहां पुनर्वास क्षेत्र में जो लोग बसाये गये हैं उनकी हालत बहुत शोचनीय है। वहां एक पुनर्वास अधिकारी नियुक्त किया गया है लेकिन रिहेंड को छोड़ कर कहीं बाहर जाना नहीं चाहता। सरकार ने उस को जीप भी दे रखी है लेकिन वह कहीं नहीं जाते। वहां तरह-तरह के बहुत से झगड़े हैं, पट्टा किस को लिखा हुआ है और मौके पर कब्जा किसका है, इसको भी देखने वाला कोई नहीं है। मैंने कई बार उसका ध्यान इधर दिलाया लेकिन पुनर्वास अधिकारी रिहेण्ड और मिर्जापुर के ही चक्कर लगाया करता है और वह कभी बाहर नहीं जाता। इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहता हूं। उन्होंने मेरी प्रार्थना पर रिहण्ड से उजड़े हुये लोगों की समस्या पर विचार करने के लिए एक मीटिंग बुलायी थी और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामप्यारे]

सभी सचिवों को आदेश दिया था कि उन की समस्याओं को सुन कर उस पर ध्यान दें। लेकिन आज तक जो उस मीटिंग में बातें तय हुई थीं उन पर कार्यवाही नहीं हुई यहां तक कि पानी पीने के लिए कुएं बनाने की बात भी नहीं हुई और न बन्धियां ही बनाई गईं। स्कूलों के बदले स्कूल भी नहीं बनाये गये। मैं इस ओर ध्यान आकर्षित करूंगा कि कम से कम जो ४५ हजार जनता वहां से उजाड़ी गई है वह इस हालत में तो हो जायं जिस हालत में कि वह पहले थे। यह तो न हो कि उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाय। अभी गोरखपुर में ८७५ एकड़ के लिए ३५ लाख रुपया मुवाअजा दिया गया है लेकिन हमारे यहां १०८ गांव उजाड़े गए, ४५ हजार जनता उद्वासित हुई और कुल मुआवजा ८१ लाख रुपये दिया गया। वहां साढ़े सात से १५ रुपये बीघा तक मुआवजा दिया गया है। यही नहीं एक कुआं बनाने में वहां ७ हजार रुपया खर्च होता है, लेकिन २५ रुपये से लेकर २ सौ रुपये तक कुओं का मुआवजा दिया गया है। काश्तकारों की जो बन्धियां थी उन को कह दिया गया कि यह तो सरकारी बन्धियां हैं और कोई मुआवजा नहीं दिया। इन शब्दों के साथ मैं दुद्धी जैसे पिछड़े क्षेत्र की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इनकी तरफ विशेष ध्यान दे।

*श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिन मदों पर वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट में रुपया मांगा है, मैंने उन सब को देखा। मुझे ऐसा लगा कि इनमें कोई भी मद ऐसी नहीं है कि जिसकी कल्पना पहले से नहीं की जा सकती हो और बीच में जिसकी आवश्यकता एकदम से आ पड़ी हो। वास्तव में पहले से ठीक अनुमान न लगाने के कारण ही इस अनुपूरक बजट को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में यह सरकार के लिये अच्छा नहीं है। इसमें हिन्दी के कुछ आवश्यक अनुवाद के कार्य के लिये कुछ रुपया मांगा गया है। लेकिन अगर यहां के हिन्दी के अनुवाद की प्रगति को देखा जाय तो इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जो आडिट रिपोर्ट इस सदन में अंग्रेजी में प्रस्तुत की गई थी और उसके हिन्दी अनुवाद के लिये जब कहा गया तो सरकार की ओर से जहां तक मुझे याद है यह कहा गया कि उस जरा से अनुवाद कार्य में एक वर्ष लग जायगा जब कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि २ दिन के अन्दर उसका अनुवाद करा के दिया जा सकता है। अगर सरकार की क्षमता अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद कराने की इस प्रकार की है तो यह रुपया जो इसके लिये मांगा जा रहा है वह बिलकुल बेकार जायगा।

इसके अलावा जो समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष, मुझे जानकारी हुई है कि वह केवल एन्ट्रेन्स तक ही योग्यता रखते हैं। रुपया जो ले लिया जाता है, अगर अच्छे काम के लिये रुपया लिया जाय तो कोई माननीय सदस्य उसका विरोध न करेगा लेकिन जो रुपया लिया जाता है उसका ठीक से उपयोग किया जा रहा है या नहीं, यह सरकार नहीं देखती। हिन्दी के साथ अभी तक इसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है जिस प्रकार का अंग्रेज करते थे और मैं समझता हूं कि सदन में बार-बार आश्वासन देने के बावजूद हिन्दी के प्रति सरकार का रवैया वैसा ही बना हुआ है। अभी वेतन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट हिन्दी में पेश नहीं की गई, अंग्रेजी में पेश की गई। आज भी मुझे मालूम है कि सरकार जो पत्र-व्यवहार करती है वह अंग्रेजी में ही करती है और अगर जनता इस विषय में आवाज उठाती है तो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दमनचक्र चलाते हैं। नगीने में बिक्री-कर अधिकारी से एक व्यापारी ने कहा कि आप कृपा कर हमारा हिसाब हिन्दी में बनवा कर दे दें इस पर वह वहां से धमकी दे कर चला गया और अगले दिन उस का मुकदमा उसने एक्सपार्टी कर दिया। इस तरह से हिन्दी का दमन सरकार और उसके अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है जबकि जनता चाहती है कि उसकी मातृभाषा में काम चले। इस तरह से हिन्दी के अनुवाद के लिये जो रुपया मांगा जा रहा है वह भी बेकार जायगा क्योंकि इस काम के लिये अयोग्य व्यक्तियों को रखा जाता है जिनकी कोई क्षमता नहीं है और न वह मन से उस काम को करना ही चाहते हैं। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हिन्दी के प्रति सरकार की यही नीति रही तो बावजूद अपने आश्वासनों के हिन्दी को आगे नहीं बढ़ा सकेगी। केवल जागरूक और मजबूत जनमत की वजह से मजबूर होकर मालूम होता है यह आश्वासन दे दिये जाते हैं। इसमें शिक्षा के लिये भारी रकम मांगी गई है। जहां तक मैंने उस को देखा उस की जो मदें हैं वह अच्छी हैं जिन पर वह खर्च करने को है। मैं समझता हूं कि उनमें से कोई भी ऐसी नई मदें नहीं हैं जो पहले से चालू न हों या जिनकी पहले से परिकल्पना न की जा सकती थी। इस समय ही उनके लिये रुपया मांगना मेरी समझ में नहीं आता।

इसमें विश्वविद्यालयों के अनुदान का एक आइटम है। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि विज्ञान के प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी को पूरा करने की एक सुन्दर योजना है लेकिन स्थिति यह है कि वहां पर आज भी उनका प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, वहां पर उन की शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं ली जाती, मैं काफी शिक्षकों से मिला हूं सब ने मुझसे शिकायत की है कि वहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता खानापूरी के लिये वहां अध्यापक जाते हैं और बाद में उन को डिप्लोमा दे दिया जाता है। इसके अलावा अभी तक इन प्रशिक्षित अध्यापकों के लिये कोई वेतन-क्रम भी नहीं है। यह जो कन्डेन्स्ड ग्रेड का डिप्लोमा मिलता है उस को प्राप्त करने के बाद वह इन्टर कक्षा को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं लेकिन यू० पी० भर में ऐसा कोई मैनेजमेंट नहीं है जिसने लेक्चरर ग्रेड उनको दिया हो। इस तरह से तो कोई भी इस ट्रेनिंग को लेने नहीं आयेगा। अभी तक जो अध्यापक आये भी हैं वह यह समझते हैं कि उनको ट्रेनिंग के बाद लेक्चरर ग्रेड मिल जायगा। जब आपने ६ इन्क्रीमेंट देने की बात रखी है और वह किसी को नहीं दिये जांयगे तो इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने कौन आयेगा? लिहाजा इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये और तुरन्त आदेश जारी किए जाने चाहिए कि जिन लोगों ने कन्डेन्स्ड कोर्स का डिप्लोमा प्राप्त किया है उन्हें इन्टरमीडिएट को पढ़ाने वाले शिक्षकों की तरह से लेक्चरर ग्रेड मिलना चाहिए।

सिंचाई की सुविधाओं का जहां तक सम्बन्ध है हमें इसे बढ़ाना चाहिए। हमें अन्न का उत्पादन बढ़ाना है परन्तु अब तक जिस प्रकार से यह रुपया वितरित किया जाता है वह एक दोषपूर्ण प्रणाली है। ऐसा देखने में आया है कि जिन लोगों को रुपया दिया जाता है उनसे १००रु० में से २५-३० रुपया बांट लिया जाता है। एक तरफ हम सिंचाई के साधन बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ हम बिजली नहीं दे रहे हैं। नये कनेक्शनों को बिल्कुल बन्द कर दिया है। इसके अतिरिक्त जहां पर राजकीय नलकूप बने हुए हैं, उनके पास अगर कुछ किसान अपनी खेती के लिए व्यक्तिगत नलकूप का आवेदन-पत्र देता है तो उसे बिना किसी प्रतिबन्ध लगाए बिजली लगाने की आज्ञा दे देनी चाहिए। उससे सरकारी जो नलकूप हैं, उन को कोई हानि नहीं होगी क्योंकि उनकी क्षमता बहुत कम होती है जितना क्षेत्र सिंचाई के लिये निश्चित है उस सब में पानी नहीं पहुंचता है। डिस्चार्ज वालो जो बात हमारे इन्जीनियर बताते हैं, उसका यहां पर सवाल नहीं होना चाहिए। यह भी बात देखने में आयी है कि जहां पर कुछ व्यक्तिगत नलकूप थे, रहट बने हुए थे वहां पर और उन्हीं के पास २–३ राजकीय नलकूप लगे हुए हैं। समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों किया गया है जब कि वहां पर व्यक्तिगत ट्यूबवैल पहले से लगे हुये थे। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दूरी का ध्यान नहीं रखा गया है।

जहां तक स्वास्थ्य का सम्बन्ध है और जिस मद म इस अनुपूरक बजट में अनुदान मांगा गया है मेरा तजुर्बा है कि अस्पतालों में जो दवाइयां होती हैं वे गरीब आदमियों को और मध्यम वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाती हैं। जो प्रभावी व्यक्ति होते हैं भले ही उनको तो मिल जाय वरना सब बाजार में बेंच दी जाती है। इस चीज को दूर करने के लिये कोई कठोर कदम उठाया जाना चाहिये। कोई तरीका इसके लिये निकालना चाहिए ताकि दवाइयां बाजार में बेची न जा सकें। जनता से हम टैक्स लेते हैं और उसमें से यह रुपया दिया जाता है। इस रुपये का कुछ लोग उपयोग करें और कुछ को बिलकुल

[श्री बसन्त सिंह]

ही दवाइयां न मिलें, यह उचित बात नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चिकित्सालय नहीं है जहां पर दवाई न बेची जाती हो। अतः इसको अविलम्ब दूर करना चाहिए।

इस अनुपूरक बजट में मैंने एक और मद पढ़ी कुक्कुट पालन की जो फूलपुर में खोला जायगा। उसमें २ लाख रुपया लगेगा। उसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। कुछ आदमियों को वहां पर भत्ता वगैरह दिया जायगा। जब प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो समझ में नहीं आता कि क्यों उन पर पैसा खर्च किया जाता है। जो प्रशिक्षण लेना चाहें, वे लें ले और अपने पैसे खर्चें। इस तरह से और जो चीजें हैं उनकी क्या जरूरत है। जब कि आज देश पर संकट है तो सुरक्षा के लिये अगर आप रुपया चाहते हैं तो ठीक होगा। अगर पंचमांगियों के ऊपर कड़ी नजर रखने के लिये आप रुपया मांगते हैं कि हमें सी० आई० डी० विभाग को बढ़ाने की आवश्यकता है, सुरक्षा के लिये आवश्यकता है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की मदों को लेकर आप खिलवाड़ कर रहे हैं और जनता यह महसूस नहीं करेगी कि आज कोई संकट है।

*वित्त मंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुपूरक बजट मैंने सदन में प्रस्तुत किया है, माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए। मैं उन सब का बहुत आभारी हूं। मैंने बड़े ध्यान से उनको सुना भी है और विशेषकर इस दृष्टि से सुना कि इस अनुपूरक बजट में जो मांगे की गयी हैं उनके प्रति माननीय सदस्यों के क्या विचार हैं। सामान्यतः मुझे ऐसा लगा कि जो मांगे इस अनुपूरक बजट में की गयी हैं वे मुनासिब हैं क्योंकि उन मांगों के प्रति कोई बहुत सी बातें नहीं कही गयीं। माननीय नेकराम जी ने कुछ मौलिक बातें कहीं आडिट रिपोर्ट से उद्धरण लेकर। पहली बात यह है कि जो अनुपूरक बजट पेश करने की प्रणाली है वह केवल हमारे ही लिये नहीं है। उससे यह अनुमान लगा लेना कि अनुपूरक बजट यदि पेश करने की आवश्यकता आ गयी तो जो मूल बजट पेश किया था वह ठीक नहीं था, यह मुनासिब नहीं होता। जहां भी प्रजातन्त्रिक प्रणाली है और जहां धन खर्च करने के लिये सदन से आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ती है वहां यह प्रणाली चलती ही है क्योंकि स्वाभाविक बात है कि एक वर्ष के लिये तो चुप बैठे नहीं रह सकते। मैं उन बातों के बारे में कह सकता हूं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मामूली तरीके से उनका काम चलता रहता है। फिर ऐसे देश के लिये जो कि विकास के चरण में चल रहा है जिसको विभिन्न तरीके से विकास करना है, जिस देश का विकास दूसरे देशों के संबंध में, पूंजी से मुद्रा स्फीति से संबंध है उसमें इस बात की आवश्यकता हो जाती है कि जो चीजें सामने आती रहें उनको करते रहें। इसलिये इसकी आवश्यकता पड़ती है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा इस बजट में केवल इतना ही नहीं इस साल जो खर्च हो गया है उसी खर्चे के लिये आज्ञा लेनी पड़ती है बल्कि बजट उपस्थित कर देने के पश्चात् भी कुछ ऐसे खर्च प्रासंगिक, जिन खर्चों को करना आवश्यक हो जाता है और फिर उनको कंसालीडेटेड फन्ड से खर्च किया जाता है, चुनांचे पिछले वित्तीय वर्ष में यह खर्चा हुआ। अतः केवल अनुपूरक बजट उपस्थित कर देने से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता।

दूसरी बात यह कही कि जो अनुपूरक बजट में धन लिया जाता है और यह सदन स्वीकृत कर देता है वह खर्च नहीं किया जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसा आडिट रिपोर्ट से जाहिर है और प्रयास किया जा रहा है कि धन खर्च किया जाय। किन्तु बहुत सी दफे ऐसे कारण सामने आ जाते हैं जो कि राज्य के या अधिकारियों की सीमा के बाहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होते हैं। उदाहरण के लिये कोई हमने एक योजना रखी, उसमें बाहर की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। विदेशी मुद्रा की स्थिति अदलती बदलती रहती है और यह आशा हो कि यह विदेशी मुद्रा इस समय में हमको मिलने वाली है और वह न मिले या विदेशों से कुछ सामान मंगाया जाता है और आशा हो कि सामान आ जायगा और न आये तो जाहिर बात है कि ऐसी योजनाओं को परिवर्तित कर देना चाहिये। जहां इस तरीके के असाधारण कार्य हों वहां यदि कमी रह जाय तो मुनासिब बात है। लेकिन असाधारण कार्य न हों और कहीं कमी रहती हो तो वास्तव में यह बात ठीक है और इस चीज को देखना चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली दफा जो बजट था १९६४-६५ का उसमें कार्य-कुशलता पैसा खर्च करने की क्षमता और कार्य करने की क्षमता ऐसी बढ़ी है कि सामान्यतः जो शार्टफाल रह जाते थे वे उस हद तक नहीं रहे। वास्तविक आंकड़े जब माननीय सदस्यों के सामने रखे जायेंगे तो वे स्वयं इस बात का परिणाम निकालेंगे।

श्रीमन्, एक परिवर्तन की और भी आवश्यकता पड़ जाती है। माननीय सदस्यों को यह ज्ञात है कि जब हम योजना के अन्तर्गत काम करते हैं तो उसमें पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हैं। केन्द्र से भी पूछना पड़ता है और कुछ की स्वीकृति वहां से आती है। किसी समय स्वीकृति वहां से आई और हम इसलिये स्थगित कर दें कि उसे हम अगले बजट में रखेंगे तो वह मुनासिब बात नहीं होती है। स्वयं इसी बजट में देखेंगे ऐसी कुछ चीजें हैं जिनकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से आई और उन चीजों को हमने अंगीकार किया। जैसे कि पिछड़े जिले हैं। उनमें एक विशेष रूप से योजना बनाने की कोशिश की है। केन्द्रीय सहायता उसमें मिलती है। वह योजना उन्होंने स्वीकृत कर ली और हमारे पास आयेगी। उस योजना के लिये हमने इस बजट में मांगा है।

इसी तरह से बिजली की छोटी-छोटी योजनायें हैं। ग्रामों को विद्युतीकरण करने का सवाल है। हमारी बात को वह मान लेते हैं और जिस वक्त उस चीज को वह स्वीकार कर लेते हैं और उसे हम स्वीकार कर लें तो उस चीज को चालू कर देते हैं। इस तरह की योजना माननीय सदस्य इस बजट में देखेंगे कि है। मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि अनुपूरक बजट में जो चीजें रखी जाय उनका अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया जाय कि वे आवश्यक हैं या नहीं। यह भी देखने का प्रयास करते हैं कि आगे के लिये वे स्थगित की जा सकती हैं या नहीं। इन चीजों को देख कर, अपने विकास और गति को देख कर इस बात का हम प्रयास करते हैं। इस प्रयास के साथ इस बजट में चीज रखी जाती है क्योंकि जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है इस बजट के उपस्थित करने से स्वतः एक प्रश्न उपस्थित होता है आया इस बजट से हमारे मूल बजट पर क्या असर पड़ने वाला है? मूल बजट भी घाटे का था। वैसे आज देश के अन्दर स्थिति यह है और केन्द्रीय सरकार से आदेश आते रहते हैं, परामर्श कहिये आते रहते हैं कि घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिये। मैं इस चीज में नहीं जाना चाहता कि आर्थिक पहलू से घाटे के बजट बनाने से जन जीवन पर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर, विकास के कामों पर उसका क्या असर पड़ता है, ? आज की स्थिति को देख कर केन्द्र की यह मंशा रहती है कि हमको अपना बजट घाटे का उपस्थित नहीं करना चाहिये। चुनांचे हमारे पास भी इस तरह की बात केन्द्र से आई और तमाम प्रदेशों से उन्होंने यह बात कही कि घाटे का बजट नहीं बनाना चाहिये। हम अपना बजट पहले पेश कर चुके थे जब इस तरह की बात वहां से आई थी, लेकिन अब जो यह १८ करोड़ का बजट हमने पेश किया है उसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है।

माननीय सदस्य यह देखेंगे कि इस बजट में करीब-करीब ६ करोड़ रुपया का अतिरिक्त ऋण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देना है। यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कुछ चर्चा, कुछ आलोचना हुई। मैं ब्योरे में नहीं जाना चाहता। जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है वह माननीय सदस्यों के सामने अधिनियम के द्वारा बना है। जैसा कि एक खयाल है वह बोर्ड अच्छा काम नहीं कर रहा है, वह मैं समझता हूं कि वह खयाल उतना मुनासिब नहीं है। जब से विद्युत् परिषद् ने विद्युत् का काम लिया है और स्वयं माननीय सदस्यों ने आज भी कहा

[श्री कैलाशप्रकाश]

गा कि अब तो खुले दिल से विद्युत् के कनेक्शंस दिये गये हैं और आंकड़ों से भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जिस क्षेत्र में विद्युत् की वजह से प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ था इस दौरान में उस क्षेत्र ने काफी प्रगति की है। तो यह बात निर्विवाद है कि आज के विकास के जमाने में विद्युतीकरण भी एक मूल आधार है जिस पर औद्योगीकरण, विकसित और उन्नतिशील कृषि आधारित है और जिस पर जन जीवन उन्नतिशील हो सकता है। मैं आंकड़े में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन हमारे प्रदेश में विद्युत् का खर्चा अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कम है। इसलिये प्रयास किया गया है कि हमारे यहां विद्युत् का उत्पादन बढ़े और मुझे संतोष है कि हमारे विद्युत् परिषद् ने इसी तरीके का काम किया है। इससे प्रदेश को संतोष नहीं है बल्कि केन्द्रीय सरकार ने और आयोजना आयोग ने भी अपना संतोष प्रगट किया है और हमारे परिषद् के कार्यों से संतुष्ट होकर वे सहायता की बात करते रहते हैं।

इस बजट में जितने ऋण देने का मूल बजट में सिलसिला रखा गया था उससे अधिक है। करीब-करीब ६ करोड़ रुपया और विद्युत् परिषद् को ऋण देना है प्लान के बाहर जो खर्चा रखा गया है उसमें ३ करोड़ और कुछ हजार रुपया केवल एक मद पर रखा गया है। वह राजकीय शिक्षा संस्थाओं में कुछ सुविधाए देने के लिये रखा गया है। माननीय सदस्य ख्वाहिश मंद रहे हैं, इच्छुक रहे हैं और कई दफा सदन में भी चर्चा चल चुकी है कि शिक्षा का स्तर उठाने के लिये शिक्षकों को सुविधा देनी चाहिये और माननीय सदस्यों की इच्छा का ध्यान रखते हुये और अपने साधनों को देखते हुये इसका प्रयास किया गया है। जैसा कि सदन में कहा जा चुका है कि शिक्षकों की क्या दशा है, इसको सरकार जानती है और उनकी दशा को सुधारने के लिये उत्सुक है और उसी के लिये यह वृद्धि खर्चे में हुई है। अराजकीय शिक्षा संस्थाओं को सुविधा देने के लिये जो वृद्धि हुई है, वह करीब करीब साढ़े ६ करोड़ प्रति वर्ष आता है और इस वर्ष मूल बजट में साढ़े तीन करोड़ ६० शिक्षकों के लिये रखा गया है। इससे इस बात की पूर्ण आशा है कि माननीय सदस्य इसको भी ठीक समझेंगे।

इसके अतिरिक्त साढ़े अठारह करोड़ रुपये का खर्चा आता है। उसमें से बहुत ज्यादा तादाद में केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलने वाली है और इसमें कुछ खर्चा वह भी शामिल है जो पिछले वर्ष हुआ था। लेकिन वह माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ था और अनुपूरक बजट में आ सका था, इसलिये वह भी शामिल कर लिया गया है। मेरे कथन से माननीय सदस्य देख लेंगे कि इस बात का खयाल रखा गया है कि हमारा अनुपूरक बजट बहुत ज्यादा न बढ़ जाय। मैं ब्योरे में नहीं जाऊंगा लेकिन शिक्षा क्षेत्र की बात न कही गई हैं तथा अन्य क्षेत्रों की भी बात कही गई हैं। कुछ इस तरीके का भाव प्रदर्शित किया गया है कि मंत्री ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन अगर एक एक आइटम को देखा जाय तो इसका खंडन हो जायगा। मुझे खंडन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो खर्चा होता है वह आडिट में जाता है और आडिट रिपोर्ट आती है और लोक लेखा समिति में उस पर विचार होता है। वह उसको देखती है, सुनती है, पता लगाती है और फिर उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है कि आया यह उचित हुआ या अनुचित, साधारण या असाधारण, वह रिपोर्ट आती है, माननीय सदन के समक्ष इसलिये उस पर भी ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि जो अनुपूरक बजट माननीय सदस्यों के समक्ष उपस्थित किया है वह आवश्यक है, संविधान में उसकी आज्ञा है, अन्य देशों में होता रहा है, प्रकृति के कार्य को रोकने के हित में ऐसा करना आवश्यक होता है। इसमें जिन मदों के लिये खर्च मांगा गया है वह आवश्यक हैं। इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसकी स्वीकृति देंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

जवाब देने को मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जवाब देने का कोई सवाल नहीं ।

१९६५–६६ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९–सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,५८,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

प्रातःकाल तय हुआ था कि सब विवाद एक साथ चलेगा। इसीलिये मैंने पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष—

सामान्य विवाद समाप्त हो गया। अब मांग पेश की जायगी और उसका कटमोशन होगा।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ९—सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत १,५८,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान—संख्या १०–आयुक्त और जिला प्रशासन

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १०–आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६,६९,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्ब्रेश्वरप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १०–आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १०—आयुक्त और जिला प्रशासन के अन्तर्गत ६,६९,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १४–पुलिस

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १४–पुलिस के अन्तर्गत ५२,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४—पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या १४–पुलिस के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १४—पुलिस के अन्तर्गत ५२,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या १७–शिक्षा

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अन्तर्गत ३,७५,५४,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

मान्यवर, शिकायत लोगों की यह है कि वित्त मंत्री जी ने शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा अनुदान लिया है। इसमें लोगों की शंका है कि इसमें पक्षपात हुआ है।

(हंसी)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १७—शिक्षा के अधीन संम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७––शिक्षा के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १७––शिक्षा के अन्तर्गत ३,७५,५४,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १८––चिकित्सा

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८––चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १८––चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)––

मंत्री महोदय ने तो हम लोगों की सुविधाएं कम करा दी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८––चिकित्सा के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १८––चिकित्सा के अन्तर्गत ४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या १९––सार्वजनिक स्वास्थ्य

श्री दाऊदयाल खन्ना ––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत, ३४,२८,१०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १९–सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९––सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १९—सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत ३४,२८,१०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २,९२,३०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—२० कृषि संबंधी विकास के अधीन सम्पूर्ण मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २०—कृषि संबंधी विकास के अन्तर्गत २,९२,३०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन

श्री बलदेवसिंह आर्य—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत १,५८,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २२ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २२—पशुपालन और मत्स्य पालन के अन्तर्गत १,५८,७०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २३—सहकारिता

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ४,४४,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २३ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २३—सहकारिता के अन्तर्गत ४,४४,००० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २४—उद्योग

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २४ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २४—उद्योग के अन्तर्गत ५०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत, १, १३, ५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २५ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २५—नियोजन और समन्वय के अन्तर्गत १,१३,५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ४,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २६ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६ के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २६—श्रम और सेवायोजन के अन्तर्गत ४,७०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या २७ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २७—सूचना निदेशालय के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य

श्री बंशीधर पांडेय—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३० के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण-कार्य के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३६ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३६—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए सहायक अनुदान

श्री जगनप्रसाद रावत—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ३८ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें

श्री कैलाशप्रकाश—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४१—अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत २,५२,८०० रुपये की अनुपूरक मांग १९६५–६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या—४१ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४१--अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें के अन्तर्गत २,५२,८०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४४--वन

श्री बलदेवसिंह आर्य--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४४--वन के अन्तर्गत ११,५७,५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४४--वन के अन्तर्गत ११,५७,५०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५--प्रकीर्ण व्यय

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि अनुदान संख्या ४५--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत २९,१०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४५ के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४५--प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत २९,१०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय

श्री बंशीधरपांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,०६,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ४८ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३,०६,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय

श्री जगनप्रसाद रावत--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,६०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५१ के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५१--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत २,६०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३३,५८,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५२ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५२—सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय के अन्तर्गत ३३,५८,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनाएं

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५४—राज्य व्यापार की योजनायें के अन्तर्गत १०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)—

श्रीमन्, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५५—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १३,५३,३०,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान संख्या ५५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५५---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत १३,५३,३०,४०० रुपए की अनुपूरक मांग १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५

वित्त उपमन्त्री (श्री जयराम वर्मा)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करने के लिए सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री जयराम वर्मा---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, को पुरःस्थापित करता हूं।

(विनियोग विधेयक की प्रतियां सदन में वितरित की गयीं।)

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५-६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, पर विचार किया जाय।

*श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इसका विरोध करता हूं। आप अगर इस विनियोग विधेयक की मांगों को देखेंगे तो इसमें ऐसी मांगें भी शामिल हैं जो कि सरकार की नितान्त गलतियों के कारण हैं। ऐसी बाद की मांगें कभी भी नहीं आयी होंगी। एक आदमी का पैर टूट गया। उसके केस में ३७,९०० रुपया तो केवल कोर्ट फीस के रूप में सरकार को देना पड़ा। किसी कर्मचारी के कार्यकाल में सरकार फैसला नहीं कर सकी, उसके उत्तराधिकारियों ने दावा किया और सरकार पर डिग्री हो गयी। यह ऐसी गैरजिम्मेदारी की बातें हैं जो बड़ी शर्म की हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसका मैं इसलिए भी विरोध करना चाहता हूं कि इस सरकार में अब किसी की आस्था नहीं है और यह सरकार मूल रूप में एक गुटबन्दी की सरकार होती चली जा रही है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार अपने को साबित करे कि वह ऐसी नहीं है। कल के वक्तव्यों के बाद, मुख्य मन्त्री के और अन्य सदस्यों के, अगर कोई ऐसी सम्भावना करे तो मुझे जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, खुद आप अपना हृदय टटोल लें और स्वयं फैसला करें कि यह सरकार कितने दिनों तक टिक सकती है और मैं समझता हूं कि ज्यादा दिन नहीं। इसलिए इसको रुपया मिलने का मैं विरोध कर रहा हूं।

आप देखिए कि जितनी भी जनभावनाओं से सम्बन्धित बातें हैं सरकार उनकी उपेक्षा करती है। सरकार की क्या यही जिम्मेदारी है कि दो-दो रिपोर्टें सदन में प्रस्तुत नहीं हो पायीं, एक तो हमारी पे कमेटी की रिपोर्ट वेतन सम्बन्धी और दूसरी आडिट रिपोर्ट? मैंने आडिट रिपोर्ट के सम्बन्ध में पहले भी कहा था कि उसकी हिन्दी कराना कोई बड़ी बात नहीं है, वह हमारे बजट का ही भाग है, एक आर्थिक सिस्टम है जिसके अन्तर्गत हम अपनी स्थिति से अवगत कराते हैं। उसमें ५९ ऐसे केसेज दिए गए हैं जिनमें पूरा रुपया हमको असेसमेन्ट की गलती के कारण देना पड़ा। आए दिन आप प्रश्न सुनते हैं सरकार अपने लोगों को छूट दे देती है, रुपए की वसूली नहीं करती, वह पड़ा रहता है। विद्युत् परिषद् को सरकार ने करोड़ों रुपया दिया है, मगर उसकी बैलेन्सशीट आज तक हमारे सामने नहीं आयी। अगर बैलेन्सशीट आप देखें तो आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट ट्रेडिंग को छोड़कर सरकार की सभी स्कीमें अनुपयोगी सिद्ध हुई हैं। जितनी आशा थी, उतना उनसे नहीं मिला। मैं पूछता हूं कि विद्युत् परिषद् की बैलेन्सशीट हमारे सामने क्यों नहीं रखी गयी? मैंने पूछा था कि सतर्कता आयोग ने क्या किया यह हम बताया जाय। माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कुछ नहीं बताया, और उसके लिए रुपया हमसे मांगा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जरूरत है ४८ हजार की कार खरीदने की, जब कि दो मन्त्री कम हुए हैं, एक बढ़ा है। यह सरकार असमर्थ रही है अपने कर्मचारियों को जीने योग्य वेतन देने में। यह सरकार असमर्थ रही है खाद्य सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि वह इन रुपयों को सरकार को न दे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, वैसे तो जो अनुदान हम स्वीकृत कर चुके हैं उसी के सम्बन्ध में यह विधेयक है, किन्तु मैं इस अवसर पर एक दो बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमने देखा कि जिन विभागों के लिए रुपया लिया गया वह सब खर्च नहीं हो पाया। मार्च के महीने में जो रुपया लिया गया था जब वह खर्च नहीं हो पाया, तो यह कैसे खर्च कर पायेंगे यह रुपया जो अब लिया जाता है। मेरी पहली प्रार्थना तो मन्त्री जी से यह है कि जो रुपया आपने लिया है उसको समय से आप खर्च करें।

कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिनके लिए अगर रुपया मांगा जाता तो हमें खुशी होती। मैं उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, वेतन अभिनवीकरण समिति की सिफारिश पर १,१०० चपरासियों को निकालने का सरकार ने निश्चय किया है। सरकार ने कहा है कि हम उनको निकालेंगे नहीं किन्तु पोस्ट्स खत्म कर दी गयी हैं। अगर ऐसे वर्ग को कुछ राहत देने के लिए रुपए की मांग की गयी होती तो हमें खुशी होती।

(इस समय, ४ बजकर ४० मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, पीठासीन हुए।)

इसके अलावा, श्रीमन्, हमारे, प्रदेश में एक और प्रश्न सामने है और वह है मलेरिया विभाग में जो काम करने वाले लोग हैं उनका तथा जो चेचक उन्मूलन में काम करने वाले लोग हैं उनका। उनको निकालने की बात है और चकबन्दी समाप्त होने पर एक वर्ग के काम दिलाए जाने का प्रश्न है। उन सब लोगों के लिए जाने के बारे में अगर सरकार ने कोई मांग की होती तो

[श्री रक्षपालसिंह]

अच्छा होता। हमारे जिला परिषद् के जो कार्यालय हैं उनकी ओर भी सरकार का ध्यान नहीं गया और न वे स्थानीय निकाय में गिने जाते हैं और न पंचायती राज विभाग में गिने जाते हैं। पुराने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जो कार्यालय हैं उनमें कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। उनको सुविधा देने के लिए अगर सरकार ने मांग की होती तो अच्छी बात होती। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, हमारे जो अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनके लिए कोई मांग की होती तो मुझे प्रसन्नता होती। हिन्दी की ओर हमारी बड़ी उपेक्षा चली आ रही है। अनुवाद कराने का जो कार्य है वह नहीं हो पाता। आज अंग्रेजी में विधेयक प्रस्तुत होते हैं, उनका हिन्दी में अनुवाद नहीं किया जाता है। इस मद में सरकार ने मांग की होती तो हमें प्रसन्नता होती। हमारे यहां का जो ऐशबाग में मुद्रणालय है वहां से भी हमें अंग्रेजी के लिफाफे के अन्दर बन्द करके सामग्री भेजी जाती है। मैंने यह भी लिख कर दिया कि हिन्दी में छपे लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

इसके अलावा प्रदेश भर में सब जगह बिजली की मांग है, यह अच्छी बात है परन्तु बिजली के बारे में मैं एक बात जरूर प्रार्थना करूंगा कि बिजली की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था कृषि के लिए व उद्योग के लिए हो। उसको उपलब्ध कराने के लिए, जो किसान एक मील पर है, प्रयत्न करना चाहिए। उनको बिजली नहीं पहुंच पाती है। उद्योगों में बिजली की सुविधा प्रदान की जाय इससे प्रदेश में उन्नति होगी। बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं। यहां जो पिछड़े वर्ग की प्रदेश के अन्दर चर्चा हुई उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश के अन्दर पांच भाग कर दिए। उनमें पूर्वी पश्चिमी, बुन्देलखण्डी और उत्तरी प्रदेश अलग-अलग हैं। फतेहपुर और हरदोई आदि बीच का भाग है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पिछड़े लोगों पर बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा आज जो लड़ाई पाकिस्तान से चल रही है उसमें सुरक्षा की नितान्त आवश्यकता है। उसके लिए कोई विशेष बात अगर सरकार करे तो हमें विशेष प्रसन्नता होगी। इस बात की आवश्यकता है कि कोई भी पंचमांगी आज न रह पाए। इन सब के लिए अतिरिक्त धन लगाने की बात होगी तो हमें प्रसन्नता होगी।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय रामाश्रय राय, आप कृपया संक्षेप में बोलें क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, आपके बाद मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

इसके लिए समय की कोई बात नहीं है। जब तक भी यह चले रात के दस ग्यारह बजे तक भी चले तो भी चल सकता है, अध्यक्ष महोदय ने कहा था।

श्री अधिष्ठाता--

अभी जैसा मुझे मालूम हुआ कि सदन का कोई प्रस्ताव समय बढ़ाने का नहीं हुआ है।

श्री उग्रसेन--

माननीय अध्यक्ष ने ऐसी भाव-भंगिमा व्यक्त की थी कि दस बजे रात तक भी चाहें तो चल सकता है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय अध्यक्ष किसी समय तक भी सदन चला सकते हैं अगर सदन चाहे। सदन में तो कोई प्रस्ताव आया नहीं।

श्री उग्रसेन––

मैं प्रस्ताव करता हूं कि आठ बजे रात तक समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

माननीय रामायण राय बोलने जा रहे हैं, इस बीच आप राय कर लीजिये।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)––

मान्यवर, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन विनियोग विधेयक की आलोचना जिन तर्कों के साथ की गई उन्हें सुनकर मेरे लिए बोलना आवश्यक हो गया। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि विनियोग विधेयक जब सदन के सम्मुख प्रस्तुत होता है तो जहां तक इन नियमों का संबंध है उसमें किसी प्रकार के संशोधन की व्यवस्था नहीं होती। आम तौर से विनियोग विधेयक में केवल जिन मदों पर राज्य सरकार ने धनराशि मांग रखी है उनके औचित्य के बारे में बातें की जाती हैं। मान्यवर, हरिजनों की बातें की गईं, और कुछ ऐसी बातें की गईं जिनकी आद्योपांत अनुपूरक अनुदानों के अन्दर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन उनकी भी चर्चा इस पर की जा रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी अनुपूरक अनुदान अगर समय के साथ नहीं है तो माननीय सदस्यों को पूरा पूरा अधिकार है कि उसका विरोध करें। लेकिन आप देखें विनियोग विधेयक में जिस धनराशि की मांग है उसका एक हिस्सा उन बालकों के ऊपर खर्च होगा जो सैनिकों के बच्चे हैं, उस धनराशि का एक भाग खर्च होगा अध्यापकों के लिए जिनके लिए इधर और उधर बैठने वाले दोनों ही बार बार मांग करते रहे हैं। साथ-साथ, मान्यवर, स्मरण दिलाया जाता है कि एमर्जेंसी है। एमर्जेंसी के अवसर पर या एक ऐसे अवसर पर जबकि कोई राष्ट्र संकट में होता है तो आन्तरिक शांति नितांत आवश्यक होती है। मान्यवर, ऐसी मदों पर भी खर्च होने वाला है इसलिये मैं पुनः आग्रह करूंगा कि ऐसे विनियोग विधेयक का कम से कम वर्तमान स्थिति में विरोध न करें तो श्रेयस्कर होगा। रस्मी तौर से जो बातें होती हैं उनके लिये आज का यह मौका उपयुक्त नहीं है।

श्री अधिष्ठाता––

(श्री राधेश्याम शर्मा से) आप प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं समय बढ़ाने का या आप इस पर बोलेंगे ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

१५ मिनट तो आप स्वयं बढ़ा सकते हैं तब तक प्रस्ताव आ रहा है। मैं इस पर बोलना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

आप दो-तीन मिनट में समाप्त कर दें तो ठीक है।

श्री राधेश्याम शर्मा––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, भाई रामायण राय जी ने कहा कि यह समय नहीं है आलोचना करने का। राष्ट्रीय संकट ३, ४ दिन से जबरदस्त तरीके से आया है और आता चला जायगा। उसके लिये तो हम रामायण राय जी से कहते हैं कि जब मुल्क पर संकट आवेगा तो विरोधी पक्ष उनसे पीछे नहीं रहेगा। इसके लिये वह लिख लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

प्रश्न यह है कि हर जनतांत्रिक सरकार का कर्त्तव्य है कि वह एक बजट पेश करे और अगर ज्यादा खर्चा हो जाय तो उसके लिये अनुपूरक बजट भी लावे। लेकिन विरोधी पक्ष के देखने का कर्त्तव्य है कि वह बजट गलत तो खर्च नहीं कर दिया जाता है। उसके लिये हमको आलोचना करनी पड़ती है। माननीय उग्रसेन जी जो श्लोक कहा करते हैं उसको तो मैं नहीं कहता लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि हमारे माननीय मंत्रियों को संकट का कितना खयाल है। तीन एम्बैसडर कार के लिये ४८,००० रुपया मांगा जा रहा है। माननीय हर गोविन्द सिंह और बाबू बनारसीदास जी क्या बौम्डिला की लड़ाई में वहां चढ़ाई करने गये थे या उरी का युद्ध जो चल रहा है कमान्डर जनरल बनने की जरूरत पड़ गई थी जो यह रुपया रखा गया है? राष्ट्रीय संकट के समय सरकारों को बड़ी मितव्ययिता करनी पड़ती है। मंत्रियों के आचरण पर सारी जनता और विरोधी पक्ष का आचरण निर्भर करता है। इससे जाहिर है, माननीय रामायण राय जी, कि आपकी सरकार राष्ट्रीय संकट के मामले में कितनी सजग है।

इस बजट में २७ मांगे हैं जिनमें १८,३६,३७,५०० रुपया मांगा गया है। मैं नौकरशाही के दिमाग की तारीफ करूंगा कि वह सचिव भिड़ इस किताब को बना देते हैं और माननीय रामायण राय जी ने और हमने भी इसे आज ही देखा है। सरकार को भी कुछ खबर नहीं है। २७ मांगों में टम्बेश्वर प्रसाद जी ने गिनाया कि ३६ जगह आकस्मिक व्यय है। शिक्षा में ८,०००, आगे ३६,००, उसके आगे ६,०००। इसी तरह से है। बिलकुल गलत तरीके से सारी मांगे हैं। अगर यह सरकार कोई सही मांग पेश करे तो हम भी दिल और दिमाग रखते हैं और हम भी जानते हैं कि सरकार का काम बिना रुपये के नहीं चल सकता है। परन्तु उस रुपये का अगर सदुपयोग नहीं होता है तो हमको बहुत तकलीफ होती है। इसलिये, मान्यवर, मैं सरकार के वित्त मंत्री को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ठीक से खर्चा करें।

आप देखें कि अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिये तो केवल ३०० रुपये हैं और पुलिस के लिये ८९,९०० रुपये मांगे गये हैं। माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करता हूं कि वे अन्त में इस गोथी को मेरे कहने से गिरा दें, तो उन्हें आज ही छुट्टी मिल जायगी। अगर सरकार कोई भी सही काम करे और उसे विरोधी पक्ष पसन्द न करे तो उत्तर प्रदेश की जनता में हम क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे? हमको दुख इस बात का होता है कि गलत तरीके से हमारे लिये यह कहा जाय कि किफायतशारी करो, खर्च में कटौती करो, मितव्ययता करो और धन का सदुपयोग करो लेकिन सरकार इस चीज को अपने ऊपर लागू नहीं करती। अगर यह होता तो एक एक मद इसकी तोड़ दी जाती। इसमें जो ३६ जगह आकस्मिक व्यय के आंकड़े दिये हैं उनको हटाना चाहिये, यह कोई मामूली रकमें नहीं हैं, अगर सबको जोड़ लिया जाय तो आकस्मिक व्यय का ५९ हजार से भी ज्यादा रुपया है। यह कहां जायगा, यह हमारी समझ में नहीं आता। मैं अन्त में वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आप एक एक मद को ठीक उपयोग के लिये रखिये तो हमें मंजूर करने में तकलीफ नहीं है।

वित्त मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

अधिष्ठाता महोदय, यह बिल तो सदन के समक्ष प्रस्तुत है .....

श्री अधिष्ठाता—

मैं अपनी ओर से सदन का १५ मिनट समय बढ़ाता हूं।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अधिष्ठाता महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में जिस तरह से तमाम राजनैतिक दल हैं उसी तरह से हमारा रिपबलिकन दल भी है जिसको एलेक्शन कमीशन ने और अध्यक्ष महोदय ने रिकग्नाइज किया है। हमारी सदस्यता चाहे यहां पर कम है लेकिन सूबे की जनता में हमारा काफी बहुमत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भविष्य में उस दल का भी खयाल रखें। इस दल के लोगों का भी जनता से संबंध है और उसका भारी बहुमत है। इस अनुदान का और विधेयक का जन जन पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिये यह आवश्यक है कि सदन में हमारे दल को भी उचित अवसर अपनी बात रखने का मिले।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आपका संकेत हो गया, वह काफी है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

मैं चाहता हूं कि आप हमारे दल की भावनाओं का खयाल कर के हमें भी अवसर दें क्योंकि हमें भी एलेक्शन कमीशन ने मान्यता दी है।

श्री अधिष्ठाता—

जितना सीमित समय था उसमें यह संभव नहीं था कि हर एक दल और सदस्य को उसकी इच्छानुसार समय मिल सके लेकिन फिर भी जो विचार आपने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दूंगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न जरा सुन लेते। कांग्रेस पार्टी ....

श्री अधिष्ठाता—

मैं वित्त मंत्री जी को बुला चुका हूं, आप बैठें। आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ..

श्री जे० पी० मिश्र—

केवल आधा मिनट ही चाहता हूं, व्यवस्था का प्रश्न मेरा भी है।

श्री अधिष्ठाता—

इस तरह से अव्यवस्था को तो व्यवस्था नहीं कहते।

श्री जे० पी० मिश्र—

आप जरा सुन लें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जे० पी० मिश्र—

श्रीमन्, २७५ की हमारी पार्टी है, ये केवल ११-११ आदमियों की टुकड़ियां हैं। समय तो हमको ज्यादा मिलना चाहिये। इन टुकड़ियों में अगर आपने एक एक आदमी को ले लिया तो आपने ६ को लिया। तो हमको भी मौका देना चाहिये कि हम बोलें।

श्री भगवान दास यादवेन्दु---

श्रीमन्, भारतीय लोक सभा में भी हमारे दल के लोग हैं । वहां पर तो केवल २ ही ह लेकिन उनको भी अपना दृष्टिकोण रखने का मौका मिलता है। इसलिये किसी भी राजनीतिक विचारधारा की उपेक्षा नहीं की जा सकती ।

श्री अधिष्ठाता---

मैंने आपकी बात सुन ली। माननीय जे० पी० मिश्र जी, यदि आपने इस प्रश्न को न उठाया होता तो अच्छा था ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, राजनीतिक भाटों के लिये भी आपको समय निर्धारित करना चाहिये ।

*श्री कैलाशप्रकाश---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ५ बजने वाले हैं, अपनी ओर से सदन का समय बढ़ा दिया लेकिन मैं भी इस बात का स्वयं ध्यान रखूंगा कि अधिक समय सदन का न लूं। जो विधेयक इस सदन के समक्ष.....

श्री अधिष्ठाता---

माननीय मंत्री जी, आपसे भी मेरा यह अनुरोध है कि आप भी केवल ५ मिनट में ही यदि समाप्त कर पायें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री कैलाशप्रकाश---

श्रीमन्, जो विधेयक इस सदन के समक्ष उपस्थित किया गया है वह उन मांगों के परिणाम स्वरूप है जो सदन इससे पूर्व स्वीकार कर चुका है। संविधान की धाराओं के अनुसार संहत निधि (कन्सोलिडेटेड फन्ड) से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है जब तक इस माननीय सदन से एक विधेयक पारित न हो जाय । माननीय सदस्यों ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है। उसी के फलस्वरूप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें कोई विशेष आपत्ति नहीं होगी । माननीय सदस्यों ने अपने भाषणों में दो बातों का जिक्र किया। एक तो यह कहा गया कि जो हमारा राज्य विद्युत् परिषद् है, जिसके विषय मैंने यह कहा कि उसका कार्य संतोषजनक रहा है, कहा गया है कि उसका हिसाब किताब सदन के समक्ष आना चाहिये। मुझको पता लगा है कि राज्य विद्युत् परिषद् का वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र १९६५-६६ माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और उससे सारी स्थिति, जो कि उस परिषद् की है, को देखा जा सकता है। एक बात यहां पर हिन्दी के बारे में कही गयी कि हिन्दी के प्रति इस सरकार की बड़ी उदासीनता है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी के बारे में तो उदासीनता है ही नहीं। यह तो हमारी राष्ट्र भाषा है और हमारे प्रदेश की भी हिन्दी ही भाषा है। इस सदन में भी सारा कार्य हिन्दी में ही होता है। हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ समितियां भी बनी हुई हैं। माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि हिन्दी की पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये, और हिन्दी के लिये एक समिति का निर्माण हुआ है। इलाहाबाद में एक साहित्य परिषद् है जो इसी तरीके का काम करती है। इसी प्रकार से और भी संस्थाएं हैं जो हिन्दी की प्रगति का काम कर रही हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आपकी अभिनवीकरण समिति और आडिट रिपोर्ट तो अंग्रेजी में छपी हैं।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आप उन्हें जरा सुन तो लें।

श्री कैलाशप्रकाश—

इस बजट में जो पैसा मांगा गया है वह इसलिये मांगा गया है कि माननीय सदस्यों की इच्छा की पूर्ति हो सके। जितने हमारे नियम हैं, अधिनियम हैं, विनियम हैं, ये चीजें हिन्दी में हों और उनको शीघ्रातिशीघ्र किया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि जो धनराशि इसमें मांगना चाहते हैं वह केवल इसलिये है कि ट्रान्सलेशन का कार्य बहुत शीघ्र पूरा नहीं हो पाता है। अतः एक योजना बनायी गयी है और इसमें दूसरे लोगों को भी रखा गया है ताकि इन चीजों को भी हिन्दी में कराया जा सके। मैं कह चुका हूं कि बेसन अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट का हिन्दी में अनुवाद हो रहा है और जल्दी ही सदस्यों को दी जायगी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २, ३ तथा अनुसूची

उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से वर्ष १९६५–६६ के लिये १८,३६,३७,५०० रु० का दिया जाना

२—ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये जो ३१ मार्च, १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ २ में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ ३ में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग १८,३६,३७,५०० रु० (अठारह करोड़ छत्तीस लाख, सैंतीस हजार, पांच सौ रुपये) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

३—इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संहत निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग ३१ मार्च १९६६ ई० को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये हुए हैं।

अनुसूची

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
९	सामान्य प्रशासन ..	१,५८,७००	..	१,५८,७००
१०	आयुक्त और जिला प्रशासन	६,६९,७००	१०,२००	६,७९,९००
१४	पुलिस ..	५२,०००	३७,९००	८९,९००

१	२	३		
अनुदान-संख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संहत निधि पर भारित	योग
		रु०	रु०	रु०
१७	शिक्षा ..	३,७५,५४,०००	१,३००	३,७५,५५,३००
१८	चिकित्सा ..	४००	..	४००
१९	सार्वजनिक स्वास्थ्य ..	३४,२८,१००	..	३४,२८,१००
२०	कृषि संबंधी विकास ..	२,९२,३००	५,३००	२,९७,६००
२२	पशुपालन और मत्स्य पालन	१,५८,७००	२,४३,८००	४,०२,५००
२३	सहकारिता ..	४,४४,०००	..	४,४४,०००
२४	उद्योग ..	५००	..	५००
२५	नियोजन और समन्वय ..	१,१३,५००	..	१,१३,५००
२६	श्रम और सेवायोजन	४,७००	..	४,७००
२७	सूचना निदेशालय ..	१००	..	१००
२८	अनुसूचित और पिछड़ी हुई जातियां	..	३००	३००
३०	राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य	१००	..	१००
३१	सिंचाई अधिष्ठान ..	..	२०,५००	२०,५००
३६	संचार साधनों का सुधार	१००	..	१००
३८	सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिये सहायक अनुदान	१००	..	१००
४१	अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें	२,५२,८००	..	२,५२,८००
४४	वन	११,५७,५००	१,७००	११,५९,२००
४५	प्रकीर्ण व्यय ..	२९,१००	..	२९,१००
४८	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	३,०६,४००	..	३,०६,४००
४९	सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	..	२,२००	२,२००
५१	सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय ..	२,६००	..	२,६००
५२	सड़क परिवहन तथा अन्य योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	३३,५८,४००	..	३३,५८,४००
५४	राज्य व्यापार क योजनायें	१००	..	१००
५५	ब्याज वाले ऋण और अग्रिम	१३,५३,३०,४००	..	१३,५३,३०,४००
	योग ..	१८,३३,१४,३००	३,२३,२००	१८,३६,३७,५००

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३ एवं अनुसूची इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५

३१ मार्च, १९६६ ई०, को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिये राज्य की संहृत निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम — १—यह अधिनियम, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, १९६५, कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ कि प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, पारित किया जाय ।

श्री उग्रसेन—

एक बात मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है पारित करने के लिये ऐसे अवसर पर जबकि हम भूखों मर रहे हैं और मंत्री लोग ४८ हजार की मोटर पर चढ़ें तो जब तक यह लोग व्यक्तिगत सुख सुविधा के साधनों का त्याग नहीं करेंगे और अशोक तथा हर्षवर्धन की तरह से नहीं बनेंगे तब तक हम इसका विरोध करेंगे ।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय सदस्य की प्रार्थना के अनुसार सारे काम ही बन्द कर दिये जायं । सारी सुख सुविधायें समाप्त कर दी जायं तो जो काम हो सकता है वह भी नहीं होगा और जिस काम के लिये आपने स्वयं मंजूर किया है वह भी नहीं कर पायेंगे ।

श्री उग्रसेन—

समझा नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

जो कुछ आपने कहा उसका उत्तर उन्होंने दिया ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (१९६५–६६ का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, १९६५, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट के लिए ५ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी सिनेट में उन ५ सदस्यों के स्थान पर जिनका कार्यकाल दिनांक ७ सितम्बर, १९६५ को समाप्त होगा, कार्य करने के लिये, आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा १४ की उपधारा (१) के वर्ग ५ के अनुसार विधान सभा के ५ सदस्यों के निर्वाचनार्थ निम्नलिखित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है—

(१)	नाम निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय । ..	८ सितम्बर, १९६५ को सायंकाल ४ बजे तक ।
(२)	नाम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा ..	८ सितम्बर, १९६५ को ५ बजे (सचिव, विधान सभा, के कमरे में)
(३)	नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय । ..	१० सितम्बर, १९६५ को सायंकाल ५ बजे तक ।
(४)	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो ..	१३ सितम्बर, १९६५ को विधान भवन के कमरा नम्बर ५० में १२ बजे से ४ बजे के बीच होगा ।

उपर्युक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायगा ।

इस निर्वाचन से सम्बन्धित नाम निर्देशन-पत्र नोटिस आफिस से प्राप्त हो सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और सोमवार को ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर सोमवार, ६ सितम्बर, १९६५ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
३ सितम्बर, १९६५ ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३०(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९१ पर)

संस्थाओं के नाम	हाई स्कूल परीक्षा		इंटर परीक्षा	
	सम्मिलित	रोके गये	सम्मिलित	रोके गये
१	२	३	४	५
१—आदर्श शिक्षा सदन हा० से० स्कूल, नरसेना ..	१४१	१२४	..	..
२—हायर सेकेंडरी स्कूल, बुलकाना ..	४७	४४	..	..
३—एस० एल० इंटर कालेज, खानपुर ..	७६	६७	२२	..
४—पब्लिक इंटर कालेज, स्याना ..	३७९	५	१३९	१४
५—गांधी मेमोरियल हा० से० स्कूल, स्याना ..	४०	..	..	..
६—इन्दिरा गांधी कन्या हा० से० स्कूल, स्याना ..	३४	..	..	..
७—ए० एस० जाट इंटर कालेज, लखौती (लखावटी)	२९६	१	३२४	१७
योग ..	१,०१३	२४१	४८५	३१

संसदीय प्रलेख समूह

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१४ पर)

		भुजाओं की नाप (गट्ठों में)	क्षेत्रफल	
			बीघा	बिस्वा बिस्वांसी
१		२	३	४ ५
(१)	पहला चक (चार कोनों का)	५४,३०,५८,३०	४	३ १८
(२)	दूसरा चक (चार कोनों का)	१७९,८२,१७५,४०।	२६	१६ १८
(३)	तीसरा चक (सात कोनों का)	३६,२१,५०,४३,२०,५९ १३।	७	२ ८

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१५ पर)

क्रम-संख्या	खाता खतौनी संख्या	नाम कृषक		बकाया लगान की अवधि	बकाया लगान की धनराशि
१	२	३		४	५
				वर्ष	रु० पै०
१	३२	ठाकुर हुकुम सिंह	..	१	४–५०
२	१३	अवध राम	..	१	२२–९०
३	१४	ठाकुर हुकुम सिंह	..	२	६–१२
४	१७	कृपा राम	..	१	५–६२
५	२०	स्याम करन	..	१	१०–४९
६	२१	खुशी राम	..	१	८–७१
७	२२	गया प्रसाद	..	१	५–८६
८	२३	चेतराम	..	१	४–५७
९	२५	जंगी	..	१	५–७२
१०	२९	देवी व सुमिरन	..	१	७–६८
११	३२	नोहरी	..	१	७–९८
१२	३९	प्यारे	..	१	१७–८९
१३	४४(य)	राम रूप	..	१	४–२७
१४	५४	बाबूराम	..	१	१–८७
१५	५९	मथुरा	..	१	७–८३
१६	६५	राजाराम	..	१	१०–५८
१७	६८/२	राम फल	..	१	३५–०६
१८	७४	मु० द्रौपदी	..	१	४०–०७
१९	७५	ठाकुर हुकुम सिंह	..	२	४८–५२
२०	७६	संगम	..	२	६–००
२१	७८	ठाकुर हुकुम सिंह	..	२	२७१–८२
२२	८५	शिव कुमार सिंह	..	१	५–५९
२३	८६	शिव कुमार सिंह	..	१	२–००
२४	९४(ब)	हीरा लाल	..	१	८–७४
		योग	..	..	५५०–३९

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१६ पर)

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	जमीन जो ली गई		
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी
१	२	३	४	५
१	कालिका व बिहारी पुत्र राम स्वरूप व भरोसे पुत्र रौहन व डोरी पुत्र लखन व कुस्सा पुत्र प्रताप व पंचम व गनेशी पुत्र इकुर व पुत्तीलाल पुत्र महोदव, निवासी देह	०	६	०
२	गया प्रसाद पुत्र भगवानदीन, निवासी देह	०	०	५
३	गुलाम रजा पुत्र नाजिम हुसैन, निवासी देह ..	०	९	५
४	सैयद जफर हैदर व सैयद वदील हैदर पुत्र मनी हैदर व हजाद हैदर पुत्र फर हैदर व इफ्तखार हैदर पुत्र जफर हैदर व इफ्तखार हैदर, निवासी देह ..	०	१८	५
५	जाकिर हुसैन पुत्र नादिर हुसैन, निवासी देह ..	०	१	१५
६	जोधा पुत्र लछमन, निवासी देह ..	०	१५	५
७	जानकी पुत्र नंखे, निवासी देह ..	०	८	०
८	बनवारी पुत्र राम चरन, निवासी देह ..	०	९	१५
९	भभूती पुत्र नन्हकऊ, निवासी देह ..	०	१	६
१०	मुन्नी व सतार पुत्र अब्दुल, निवासी देह ..	०	०	७
११	राम बिलास पुत्र छोटे लाल व श्री विश्राम व बाबूलाल व नन्हें पुत्र रामभजन, निवासी लखनऊ ..	०	९	५
१२	सम्भल पुत्र हीरा व मोहवत व दुर्गा पुत्र चिन्ना, निवासी देह ..	०	११	०
१३	शिव राम पुत्र मुलई, निवासी देह ..	०	३	०
१४	अमीर खां पुत्र नूरू खां, निवासी देह ..	०	६	०
१५	सुखावत खां पुत्र फकीरे खां, निवासी देह ..	०	५	०
१६	बेचा पुत्र फते, निवासी देह ..	०	१	१५
१७	दन्ना पुत्र देवी व शिवराम पुत्र महरू, निवासी देह ..	०	८	५
१८	श्रीमती पूना विधवा सोहेवदीन व बाबूलाल पुत्र गुरूबक्स, निवासी देह ..	०	५	०
१९	जुग्गी लाल व राम खिलावन पुत्र जैरामदास, निवासी रसूलाबाद ..	०	४	२
२०	अशरफ व नसरत खां पुत्र रसूल खां व सुखावत खां पुत्र फकीरे खां, निवासी देह ..	०	१	०
२१	कल्लू पुत्र भदार, निवासी देह ..	०	९	०
२२	श्रीमती गुजराता बेवा गया प्रसाद, निवासी देह ..	०	१	१०
२३	जै नारायन व प्रागनारायन व रूपनारायण व राज नारायण पुत्र लाल, निवासी देह ..	०	११	५

क्रम-संख्या	नाम काश्तकार	जमीन जो ली गई		
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी
१	२	३	४	५
२४	चिरंजा पुत्र देवी, निवासी देह ..	०	१३	१०
२५	डोरा पुत्र दलगंजन, निवासी देह ..	०	०	५
२६	डोरी पुत्र लेखन, निवासी देह ..	०	४	१०
२७	नन्हा व मुन्ना व चुन्ना पुत्र महावीर, निवासी देह ..	०	२	०
२८	जैराम पुत्र जोधी, निवासी देह ..	०	३	०
२९	नेवजा व खमुआ पुत्र नन्हे, निवासी देह ..	०	८	०
३०	पंचम पुत्र गनेशी पुत्र ठाकुर, निवासी देह ..	०	१	१५
३१	प्यारे पुत्र जैकरन, निवासी देह ..	०	११	५
३२	प्यारे पुत्र मदारी व मिट्ठन पुत्र वचान व पग्गल पुत्र नैनसुख व गौने पुत्र गयादीन, निवासी देह ..	०	९	०
३३	राम आसरे व कल्लू पुत्र माखन, निवासी देह ..	०	१३	०
३४	सरजू व रामखिलावन पुत्र विसराम व बल्देव, निवासी देह	०	०	२
३५	भूमती पुत्र लछमन, निवासी देह ..	०	११	०
३६	भिखुआ पुत्र खुशहाल व घसीटे पुत्र दउवा, निवासी देह ..	०	१६	१९
३७	मैकू पुत्र विकरम, छोटा पुत्र खुमान, निवासी देह ..	०	११	१०
३८	मुराद खां सहजाद खां पुत्र जगे खां व अमीर खां व मुनीर खां व तुराव खां, निवासी देह ..	०	३	०
३९	श्रीमती मिठाना बेवा रामअधार व ठाकुर नन्हू पिसरान गंगाराम व तुलसी पुत्र दुआ व भूमती पुत्र तुलसी, निवासी देह ..	१	१	१५
४०	राम लाल, बाबूलाल व लल्लू पुत्र गणनन्हा, निवासी देह	०	७	१०
४१	राम रतन पुत्र शिवराम, निवासी देह ..	०	२	१०
४२	राज बहादुर पुत्र छेदा व क्लायत फते व भैयालाल चचा, पुत्र गयादीन, निवासी देह ..	०	२	०
४३	लोचन पुत्र गंगादीन, निवासी देह ..	१	३	७
४४	सूरजबली व राम आसरे पुत्र माखन, निवासी देह ..	०	१	१०
४५	सखावत खां पुत्र फकीरे, निवासी देह ..	०	१२	३
४६	जवाहर पुत्र हिमांचल, निवासी देह ..	०	२	५
४७	जव्वाद हैदर पुत्र जाफर हैदर, निवासी देह ..	०	१३	१९

नत्थी 'ङ'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१९ पर)

क्रम-संख्या	रिपोर्ट करने वाले कर्मचारी का नाम	जिसके विरुद्ध रिपोर्ट की गई
१	२	३
१	बाबूराम, पटवारी, द्वारा पेशकार, बाजपुर ..	पुरूषोत्तम लाल ।
२	बृजमोहन लाल सक्सेना, पेशकार, बाजपुर	१—नन्हूमल
३	,, ,, ,, ,, ..	१—गोविन्दराम २—दीवाना राम ३—केसरराम ४—नैनराम
४	छत्रपाल सिंह, पटवारी, द्वारा पेशकार, बाजपुर	१—बलकार सिंह २—डिमर सिंह ३—दीदार सिंह ४—जगेन्द्र सिंह ५—हरी सिंह
५	,, ,, ,, ,,	६—बहाल सिंह ७—प्रीतम सिंह
६	,, ,, ,, ,, ..	८—जीत सिंह ९—उत्तम सिंह १०—जगार सिंह
७	,, ,, ,, ,, ..	११—बचन सिंह १२—भोला सिंह १३—काला सिंह पुत्र इन्द्र सिंह १४—माही सिंह १५—काला सिंह पुत्र ठाकर सिंह १६—बलवन्त सिंह १७—बुद्धू सिंह १८—सुरजन सिंह ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिय तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२० पर)

क्रम-संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	प्रगति
१	२	३	४
१—पुलों को चौड़ा करना व उनका पुनः निर्माण—			
	(क) हार्डिंज ब्रिज का चौड़ा करना	.. ११.०२	(क) यह कार्य चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किया जायेगा ।
	(ख) लोहे के पुल का नवनिर्माण	.. १५.६०	(ख) सातों पायों में से पांच पाये बन चुके हैं और दो एवेटमेंट प्रगति में है । साथ ही साथ ऊपर की सिलेब भी डाली जा रही है ।
	(ग) यूनिवर्सिटी पुल का नवनिर्माण	.. ३३.८२	(ग) (ख) अनुसार ।
	(घ) पेपर मिल पुल का नवनिर्माण	.. १६.९०	(घ) ६ कुएं और एवेटमेंट बनाने का कार्य चल रहा है । इसमें पांच कुएं पूरे हो गये हैं और चार कुओं के ऊपर पाये बनाये जा चुके हैं ।
२—मार्जिनल बांधों का निर्माण		.. १२१.६७	२—इस में हार्डिज पुल से गवर्नमेंट हाउस तक का बांध गोमती नदी के दोनों किनारे पर शामिल है, इस समय डालीगंज पुल से गवर्नमेंट हाउस तक की लम्बाई में कार्य चल रहा है । बाईं ओर कुकरैल बांध पूरा हो चुका है । मोती महल के पीछे दीवारें भी पूरी हो चुकी हैं । गोमती के दोनों तरफ, मिलाकर १३ मील २,६९३ फीट के बांध बनाना है । २ मील ३,९९० फीट की लम्बाई पूरी हो चुकी है ।
३—रिवर ट्रेनिंग वर्क्स		.. ३.३२	३—यह कार्य चतुर्थ योजना में लिया जायेगा ।
४—वीयर को बढ़ाना		.. ३२.६६	,, ,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	काय का विवरण	अनुमानित लागत (लाख रु० में)	प्रगति
१	२	३	४
५	भूमि प्राप्त करना	.. ४.१९	५—कुल ५८६.५९ एकड़ भूमि की जरूरत है उसमें से ४४९.९५ एकड़ भूमि अध्याप्ति करने की विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। शेष भूमि लेने की कार्यवाही हो रही है।
६	निजी सम्पत्ति के लिये मुआवजा	.. २३.०१	६—इमारतें ३४७ आ रही हैं, उनके मुल्यांकन के कागजात तैयार हो रहे हैं।
७	सरकारी इमारतों का व संस्थाओं का पुनः निर्माण।	.. २२.८९	७—पंपिंग स्टेशन हटाकर दुबारा बनाये जा रहे हैं। सरोजनी नायडू स्मारक तोड़कर बायें किनारे से दाहिने किनारे पर बाल भारतीय पार्क में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कार्य आरम्भ कर दिया है और चारों तरफ चबूतरा तोड़कर नया चबूतरा तैयार हो गया है।
८	मिट्टी के नमूनों की जांच	.. ०.२२	८—यह कार्य रुड़की में माडिल टेस्ट होने पर शुरू किया जायेगा।
९	सड़क के पुलों के निकट तथा उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी रेलवे के पुलों के निकट नीचे गोमती नदी को चौड़ा करना।	.. १०.७०	९— ,, ,,
	योग	.. २.९६ करोड़	

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०२४ पर)

प्रश्न संख्या ६--डी० ए० वी० कालेज, कानपुर, के अध्यापकों की निर्वाह निधि में ३१ दिसम्बर, १९६४ को ११,४९,०९० रु० जमा था। यह धनराशि निम्नांकित राजकीय प्रतिभूति में विनियुक्त की गई है--

(१) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट

(२) नेशनल प्लान सर्टिफिकेट

(३) नेशनल डिफेन्स फंड सर्टिफिकेट

(४) बैंक कैश सर्टिफिकेट

इससे बची हुई धनराशि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक के सेविंग बैंक एकाउन्ट्स में पृथक-पृथक अध्यापकों के नाम से ६ फीसदी सालाना ब्याज की दर से जमा है।

बरेली कालेज, बरेली के अध्यापकों की निर्वाह निधि में कुल धनराशि ३१ दिसम्बर, १९६४, को ७,०६,५०० रु० ७ पै० थी। यह धनराशि निम्न प्रकार विनियुक्त की गई है--

(१) राजकीय सिक्यूरिटीज ब्याज पर ३ प्रतिशत तथा साढ़े ४ प्रतिशत

(२) राजकीय बचत पत्र,

(३) दीर्घावधि के डिपाजिट क्लास प्रथम बैंकों में ब्याज दर ६ से साढ़े ७ प्रतिशत।

(४) क्लास प्रथम बैंक के बचत खाता में

(५) बरेली कालेज स्टाफ प्राविडेन्ट फंड एसोसियेशन लिमिटेड के सदस्यों को ऋण के रूप में।

के० जी० के० कालेज, मुरादाबाद के अध्यापकों की निर्वाह निधि में ३१ दिसम्बर, १९६४ को ३४,६८४ रु० ७१ पै० सेविंग बैंक एकाउन्ट्स में ३ प्रतिशत ब्याज की दर पर जमा था जो अब ४ प्रतिशत हो गया है। इस धन के अतिरिक्त ३१ दिसम्बर, १९६४ को ४५,६०० रु० राष्ट्रीय बचत पत्रों के रूप में था। कुल धनराशि ८०,२८४ रु० ७१ पै० है।

पी०एस०यू०पी०--ए० पी० १२३ एल०ए०--१९६५--८६२।